खण्ड २—अंक २८

२ अप्रैल, १९५५ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद - विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

37 LSD

विषय-सूची

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७८, १७८० से १७८६, १७८९, १७९०, १७९२ से १७९४, १७९६, १७९७, १७९९ से १८०२, १८०४ से १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२ से १८२४, १८२६ से १८२८ . २०८३—२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६ १८१८, १८२०, १८२५, १८२९ . . . . . २१३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३७ . . . २१४१—४८

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

शनिवार, २१ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दफ्तरों का हटाया जाना

*१७७४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों को हटाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पिछला उत्तर देने के बाद से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है उन में से किन किन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और वहां कौन कौन से दफ्तर ले जाये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कितने ही स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया गया था, परन्तु अभी तक केवल पांच कार्यालय दिल्ली से बाहर भेजे गये हैं, जिन में से एक गैर सरकारी भवन न मिलने के कारण वापस लौट आया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बात सत्य नहीं है कि इस प्रश्न पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा है और क्या गवर्नमैंट यह उचित नहीं समझती है कि इस के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र से शीघ्र किया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, सरकार भी यह स्वीकार करती है कि निर्णय किये जाने चाहियें, परन्तु कुछ बाधायें ऐसी हैं जो कोई भी निर्णय किये जाने में रुकावट डालती हैं ।

श्री भक्त दर्शन उठे—

नदी घाटी योजनायें

*१७७५. **श्री झूलन सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई नदी घाटी योजनाओं में सेवायुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या तथा १९५४ के अन्त तक इस योजना अवधि में उन को वेतन तथा मजूरी के रूप मे दिये गये कुल धन के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां ।

श्री झूलन सिंह : क्या हम रोज़गार सम्बन्धी आंकड़े तथा धनराशि के आंकड़े जान सकते हैं ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम म नियुक्त व्यक्तियों की औसत संख्या यह है :—

नियमित	३,९२५
काम के लिये अस्थाई रूप से रखे गये १९५४ के अन्त तक	५८,२०३
नियमित पर व्यय की गई धनराशि	४,५५,९७,२३१ रुपये
काम पर अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों पर व्यय की गई धनराशि	४,१२,८१,३९४ रुपये
हीराकुड बांध परियोजना :	
नियमित	१,८१२
वैभागिक तथा ठेके के श्रमिक, औसतन	३५,६२५
नियमित कर्मचारियों पर व्यय हुई धनराशि	२,१०,००,००० रुपये
शेष पर व्यय हुई धनराशि	५,७१,००,००० रुपये
भाखड़ा नंगल बांध :	
औसत कर्मचारी	१८,१३३
व्यय हुई धनराशि	५,६५,०३,३६२ रुपये
नहरों के लिये नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्या, लगभग	७,००,००,००० जन कार्य दिवस
व्यय हुई धनराशि, लगभग	१५,००,००,००० रुपये

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि योजनाओं की समाप्ति पर इनमें से कितने व्यक्तियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा दूसरे, रोज़गार देने के लिये प्रति व्यक्ति कितने धन के व्यय किये जाने की आवश्यकता होगी ?

श्री हाथी : मैं समझा नहीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कुछ दिन हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये ३,००० रुपया व्यय करना होगा । इसी प्रकार के आंकडे में इस मंत्रालय से जानना चाहता हूं ?

श्री हाथी : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : इस समय यह आंकड़े यहां नहीं ह, परन्तु हमारे पास सभी सचना है । हम माननीय सदस्य को वह सूचना दे सकते हैं ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि भाखड़ा नगल में लेबर कोआॅपरेटिव्ज़ के ज़रिये कितना काम किया जा रहा है ?

श्री हाथी : लेबर कोआॅपरेटिव्ज़ से भी काम लिया जा रहा है, लेकिन कितना यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

संसद् सदस्यों के लिये क्लब तथा कैन्टीन

***१७७६. श्री केशवैयंगार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ एवेन्यू में रहने वाले संसद् सदस्यों के लिये एक क्लब रूम तथा कन्टीन का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नार्थ एवेन्यू में उस क्षेत्र में रहने वाले संसद् सदस्यों के व्यवहार के लिये एक सम्मिलित भवन का निर्माण किया जा चुका है जिस में क्लब रूम, कैन्टीन, पूछताछ कार्यालय, तथा अवधाता (केयर-टेकर) का निवास स्थान है ।

(ख) ९४,००० रुपये

श्री केशवैयंगार : सरकार इसमें तैरने के तालाब तथा इस से संलग्न टैनिस कोर्ट की सुविधाओं की व्यवस्था कब कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री अमजद अली : साउथ एवेन्यू इन सुविधाओं से क्यों वंचित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से समय आने पर दी जायेंगी ।

वैदेशिक प्रचार

*१७७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में वैदेशिक प्रचार में सुधार करने तथा उस का विस्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस अवधि में प्रचार कार्य पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान १९५४–५५ के वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ २८–३० की ओर आकर्षित किया जाता है जो इस सभा के सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है ।

(ख) सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के व्यय के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं । परन्तु ३८·३ लाख रुपये (मुख्य कार्यालय के व्यय समेत) की कुल रकम दिसम्बर १९५४ को समाप्त होने वाले ९ मास में व्यय हुई थी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने चलते फिरते पुस्तकालय प्रारम्भ किये गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : पश्चिमी द्वीप समूह तथा मारीशस में हमारे चलते फिरते पुस्तकालय हैं । हम ने फिजी, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, ब्रिटिश ईस्ट अफरीका तथा अफगानिस्तान के लिये चलते फिरते पुस्तकालयों की स्वीकृति दे दी है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितनी नई प्रचार चौकियां स्थापित की गयी हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस वर्ष में, हम ने तीन नये देशों में पांच प्रचार चौकियां स्थापित की हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : विदेशी प्रचार को भारतीय विदेश सेवा से एकीकृत करने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कई योजनायें मंत्रालय के विचाराधीन हैं, तथा मैं इस समय यह बताने में समर्थ नहीं हूं कि इस विशिष्ट प्रश्न के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अफगानिस्तान जैसे मध्यपूर्व के कुछ देशों में, जो हमारे मित्र नहीं हैं, मनोरंजन व्यय पर, जो कि हमारे प्रेस सहचारियों तथा अन्य प्रतिनिधियों के लिये स्वीकृत है, नियंत्रण होने के कारण प्रचार कार्य में बाधा पहुंचती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं इस प्रश्न को ठीक प्रकार से समझा नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के प्रश्न के अनुसार क्योंकि मनोरजन के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है इसलिये इस का यह परिणाम निकला है कि उन देशों में, जिन से हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नहीं हैं, हमारे राजदूतावासों को विभिन्न व्यक्तियों से मिलने और मित्रता बढ़ाने में कठिनाई होती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे विदेश सेवा के निरीक्षक, कुछ दिन पूर्व इन चौकियों पर गये थे तथा उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और वह इस समय मंत्रालय का ध्यान आकर्षित कर रही हैं ।

भाखड़ा नंगल बांध का आर्थिक सर्वेक्षण

*१७७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नंगल बांध का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण के द्वारा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सिंचाई और विद्युत् विभागों द्वारा ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह आर्थिक सर्वेक्षण किन विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में किया जायेगा ?

श्री हाथी : यह सर्वेक्षण कई मदों के सम्बन्ध में था । मैं उनमें से कुछ को बताता हूं । सब से पहले उसे सब से महत्वपूर्ण फ़सल तथा उस को प्राप्त करने के उपायों तथा साधनों के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था । दूसरे :—

१. भाखड़ा क्षेत्र के वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण के आधार पर कितने क्षेत्र का कृष्यकरण अपेक्षित है, किस टैकनीक का प्रयोग किया जायेगा तथा इस कार्य के लिये स्थापित किये जाने वाले संगठन की रूप रेखा ;

२. विभिन्न विभागों द्वारा किये गये फ़स्ल सम्बन्धी प्रयोग ;

३. वर्षा ;

४. परियोजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लिये स्वीकृत जल भत्ता ;

५. बड़े नगरों तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की समीपता ; तथा कुछ और भी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस आर्थिक जांच को करने के लिये कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

श्री हाथी : लगभग १८ व्यक्ति हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी सूची दे सकता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह जांच कब तक समाप्त हो जायेगी, तथा क्या यह जांच भाखड़ा-नंगल निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के प्रश्न से भी सम्बन्धित होगी ?

श्री हाथी : प्रतिवेदन तैयार हो चुका है । जहां तक विस्थापित व्यक्तियों के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस पर एक दूसरी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सह-अस्तित्व के सिद्धान्त

*१७८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों ने भारत के सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि पूज्यपाद पोप ने भी उन का समर्थन किया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) शायद इशारा उन पांच सिद्धान्तों की ओर है जो कि आम तौर से पंचशील के नाम से जाने जाते हैं । नौ देशों ने खास तौर पर यह राय ज़ाहिर की है कि यह सिद्धान्त सब राष्ट्रों के लिये श्रद्धा के योग्य हैं । इसके अलावा यह भावना बढ़ती जा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इन सिद्धान्तों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाय ।

(ख) पूज्यपाद पोप ने इन विशेष सिद्धान्तों का कोई ज़िकर नहीं वि ।

अखबारों से मालूम होता है कि उन्होंने सब राष्ट्रों से शान्तिपूर्वक मिल जुल कर रहने की प्रार्थना की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : जिन नौ देशों ने को-एग्सिस्टेंस के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, क्या हम उन के नाम जान सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, ब्रह्मा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, नैपाल, विएतनाम का गणतंत्र, यूगोस्लाविया तथा कम्बोडिया ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को अमरीका में भी पंचशील के प्रचार के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***१७८१. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के हेतु सहकारी समितियों बनाने में सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक संगठित की गई तथा कार्य कर रही सहकारी समितियों की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६२]**

राज्य सरकारें और अधिक सहकारी समितियां बनाने का प्रयत्न कर रही हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : ये समितियां कब पंजीबद्ध की गई थीं, तथा इन्होंने कितनी उन्नति की है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : समितियों की संख्या काफी अधिक है । तथा मैं प्रत्येक समिति के पंजीयन के सम्बन्ध में सूचना देने में असमर्थ हूं । परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी समिति विशेष के सम्बन्ध में कोई सूचना चाहते हों तो मैं वह सूचना बताने को तैयार हूं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या माननीय मंत्री प्रत्येक समिति के सदस्यों की औसत संख्या बता सकते हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : समितियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं । यह प्रश्न पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में है, पश्चिमी पाकिस्तान के सम्बन्ध में नहीं है । ये समितियां आवास समितियां, उत्पादन समितियां तथा अन्य कई प्रकार की समितियां हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या किसानों के लिये कृषि भमि सम्बन्धी भी कोई सहकारी समिति बनाई गई है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं एकदम से इस का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

गांवों में संयंत्रों का प्रदर्शन

***१७८२. श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देहातों के कारीगरों की कुशलता का उपयोग करने और इस प्रकार उन क्षेत्रों में प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिये देहाती क्षेत्रों में कृषि औजारों जैसे छोटे संयंत्रों का प्रदर्शन करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : मेरे विचार से माननीय सदस्य का निर्देश, भारत में छोटे पमाने के उद्योगों

के सम्बन्ध में फोर्ड प्रतिष्ठान दल के प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ पर वर्णित छोटे संयंत्रों के प्रदर्शन से सम्बन्धित सिफारिश ६(३) की ओर है। यदि हां, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कृषि औजार बनाने के लिये ऐसा कोई संयंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो कहां ?

श्री कानूनगो : अनेक स्थानों पर यह एकक काम कर रहे हैं। यह एकक जोरहाट, मुज़फ्फरपुर, गांधीनगर, भोपाल, नीलोखेड़ी और कई अन्य स्थानों पर हैं। कृषि औजारों के लिये जो चलाये जा रहे हैं उन की संख्या १८ है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन संयंत्रों के विकास के लिये कोई निश्चित धनराशि स्वीकृत की है ?

श्री कानूनगो : हां, जो संयंत्र काम कर रहे हैं उन के लिये योजना की लागत २८,५८,९९६ रुपये है। इस का कुछ अंश फोर्ड प्रतिष्ठान से पूरा किया जाता है।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की यह इच्छा है कि अन्त में ये संयंत्र कृषकों को अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों को बेच दिये जायें ?

श्री काननगो : यह परिस्थिति पर निर्भर है। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे संयंत्रों की संख्या अधिक बढ़े।

श्री हेडा : क्या मैं संयंत्र की लागत के बारे में जान सकता हूं जिस से कि यह पता चल सके कि अन्ततः किस श्रेणी के लोग उसे लेंगे ?

श्री कानूनगो : विचार यह है कि गांव के लुहार अपने कौशल को सुधार सकेंगे। यह कोई फैक्टरी या वैसी ही कोई चीज़ नहीं है। यह तो केवल औज़ारों में कुछ सुधार करने के लिये है।

मद्यसारिक औषधीय उत्पाद

*१७८३. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष राज्य सरकारों को मद्यसारिक औषधीय उत्पादों के निर्माण, विक्रय, आयात और निर्यात का नियंत्रण करने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). मद्यसारिक औषधीय उत्पाद तथा अन्य वस्तुओं के अन्तर्राज्यिक वाणिज्य तथा व्यापार को नियंत्रित करने के लिये एक विधेयक २४ मार्च, १९५५ को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्यसारिक औषधियों की शक्ति का सुनिश्चय करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कानूनगो : मैं आप के प्रश्न को समझ नहीं सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने पर्याप्त संभरण का सुनिश्चय करने के लिये. . . .

श्री इब्राहीम : शक्ति।

अध्यक्ष महोदय : औषधियों की ? मेरे विचार से माननीय सदस्य को इस विषय पर चर्चा करने का तब अवसर प्राप्त होगा जब वह विधेयक सभा के समक्ष चर्चा के लिये उपस्थित किया जायेगा।

चावल, आटा और तेल मिलें

*१७८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ग्रामोद्योगों के हित के लिये उस राज्य में चावल आटा और तेल की नई मिलों के खोले जाने पर पाबन्दी लगा दिये जाने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो १९५४–५५ में चावल, आटा और तेल की मिलें खोलने के लिये कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं; और

(ग) बिहार सरकार के निवेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री का नगो) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध केवल उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत आने वाली तेल मिलों के अनुज्ञापन से है । घोलक प्रणाली से तेल पेरने के विषय में बिहार से एक आवेदन-पत्र मिला था और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी कर दी गई थी । इस अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाली चावल, आटा तथा तेल मिलों को स्थापित करने की अनुज्ञप्तियां स्वयं राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं ।

(ग) भारत सरकार ने चावल की मिलों और तेल पेरने के उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिये विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की हैं, और उन के प्रतिवेदनों के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । समितियों द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने पर ही बिहार सरकार के निवेदन के विषय में अंतिम निर्णय दिया जायेगा । तब तक के लिये बिहार सरकार से कहा गया है कि नई मिलें खोलने के व्यक्तिगत आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर ही निर्णय किये जाने चाहियें ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस ने अब तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने उस समिति को कोई हिदायत दी है कि वह इतने समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे ?

श्री कानूनगो : जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है और उम्मीद है कि यह समिति जल्दी रिपोर्ट दे भी देगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को बिहार की विधान सभा का कोई संकल्प प्राप्त हुआ है जिस में चावल मिलों द्वारा चावल की कुटाई और तेल मिलों द्वारा तेल पेरे जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की प्रार्थना की गई है ?

श्री कानूनगो : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर जैसा कि मैं ने पहले ही बताया है स्वीकारात्मक है ।

सीमा-विवाद

*१७८५. **श्री हेडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर से लगभग बीस मील दूर लोपोक पुलिस स्टेशन के अधीन कुछ भूमि के बारे में भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद की स्थिति अब क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख) हां, श्रीमान्। शान्तिपूर्ण निबटारे के लिये यह मामला

अमृतसर और लाहौर के उपायुक्तों को सौंप दिया गया है । दोनों उपायुक्तों के संयुक्त प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

श्री हेडा : इस विवाद के प्रारम्भ होने से पहले क्या दोनों ओर की पुलिस में गोली चली थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : नहीं । कोई गोली नहीं चली ।

श्री हेडा : सरकार को इस मामले के कब तक अन्तिम रूप से निर्णीत हो जाने की आशा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं नहीं कह सकता कि हम को उस का उत्तर कब तक मिल जाना चाहिये, परन्तु हम ने पंजाब सरकार से इस विषय में जल्दी करने को कहा है ।

बनारस के घाटों की मरम्मत

*१७८६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस के जीर्ण शीर्ण घाटों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिये सरकार ने कितनी रकम की स्वीकृति दी है ;

(ख) कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की आशा है; और

(ग) क्या इस धन से कोई नया घाट बनाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५४–५५ में भारत सरकार ने ३५ लाख रुपये का ऋण उत्तर प्रदेश की बाढ़ रक्षा योजनाओं के लिये स्वीकृत किया है । इस में बनारस के घाटों की मरम्मत के लिये दस लाख रुपया भी सिम्मलित है ।

(ख) कार्य प्रगति कर रहा है ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किस एजेन्सी द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जायगा ?

श्री हाथी : इस कार्य को उत्तर प्रदेश सरकार करेगी ।

श्री एस० सी० समान्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इन घाटों की मरम्मत के लिये अपेक्षित कुल रकम के सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

श्री हाथी : ३२ घाटों के लिये कुल ९६ लाख रुपये की जरूरत होगी ।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह : क्या यह सच है कि मरम्मत किये जाने वाले घाटों में आनन्दमयी घाट को शामिल नहीं किया गया है, और यदि हां, तो इसे क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : इस समय केवल नौ घाटों को प्राथमिकता दी गई है । बत्तीस में से इस वर्ष नौ घाटों को प्राथमिकता दी गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि पुनर्निर्माण के समय इन घाटों की रूप रेखा में कोई मलभूत परिवर्तन नहीं किया जायगा और न कोई नया निर्माण कार्य किया जायेगा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध होगा ?

श्री हाथी : इस समय तो हमारा विचार केवल घाटों की वर्तमान रूप में ही मरम्मत कराने का है ।

जूट दबाने वाले यंत्र

*१७८९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कच्चे जूट का निर्यात बन्द हो जाने से कलकत्ता तथा उस के उपनगरों में जूट दबाने के कितने यंत्र बेकार हो गये हैं;

(ख) इस के कारण कितने मज़दूर बेकार हो गये हैं;

(ग) क्या इन दबाने वाले यंत्रों का किसी अन्य प्रकार से उपयोग करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दबाने वाले १८ कारखानों में ६० दबाने वाले यंत्र बेकार पड़े कहे जाते हैं।

(ख) ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) और (घ). सरकार को बताया गया है कि इन दबाने वाले कारखानों में लगी मशीनरी किसी अन्य उपयोग में नहीं आ सकती है। जहां तक भूमि तथा भवनों का सम्बन्ध है, अधिकांश मालिकों ने उन्हें किराये पर दे दिया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन जूट दबाने वाले यंत्रों को, जो बेकार पड़े हुए हैं, जूट के पैदा करने वाले, दबाने वाले, और जहाजों पर लादने वाले स्थानों पर भेज देने के प्रश्न पर विचार किया जाना संभव है ?

श्री कानूनगो : जब तक जूट का निर्यात नहीं किया जायेगा ये दबाने वाले यंत्र बेकार रहेंगे। इन में से कुछ तो पहले ही पाकिस्तान भेज दिये गये हैं; और उन की मांग होने पर औरों को भी निर्यात कर देने की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं तो यह पूछ रहा था कि क्या इन दबाने वाले यंत्रों को जूट पैदा करने वाले आसाम और बिहार आदि जैसे क्षेत्रों को भेज देना संभव नहीं था जिस से कि वहां जूट को दबाया जा सके और कलकत्ता भी भेजा जा सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इन दबाने वाले यंत्रों से जिस प्रकार की गांठें बनाई जाती हैं वे अधिकांशतः निर्यात के उद्देश्य के लिये होती हैं। सरकार को पता नहीं है कि देश में आन्तरिक जूट संभरण के लिये भी इस प्रकार की गांठों की आवश्यकता हो सकती है। यदि माननीय सदस्य हमारा परिचय ऐसे लोगों से करा दें जिन्हें इन की जरूरत हो तो संभव है कि सरकार वही कार्यवाही करे जो माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान को जो दबाने वाले यंत्र निर्यात किये गये हैं वह भारतीयों के हैं अथवा उन में विदेशी हित अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

पश्चिमी बंगाल में सूती मिलें

*१७९०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की तीन सूती मिलें, राधेश्याम कॉटन मिल (हावड़ा), महालक्ष्मी कॉटन मिल (२४ परगना) और हुगली कॉटन मिल (हुगली), हाल ही में बन्द हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के बन्द होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने उनके बन्द हो जाने के कारणों की कोई जांच की है या करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) (१) आर्थिक संसाधन अपर्याप्त बताये गये;

(२) महालक्ष्मी कॉटन मिल्स में श्रम-संकट था; और

(३) हुगली कॉटन मिल में साझीदारों में झगड़ा था। नवीनतम सूचना यह है कि उच्च न्यायालय ने परिसमापन का आदेश दे दिया है।

सरकार वस्त्र उद्योग की इकाइयों का सर्वेक्षण करना चाहती है और उस में ये मिलें भी सम्मिलित की जायेंगी।

श्री तुषार चटर्जी : इस सर्वेक्षण के कब प्रारम्भ होने और कब समाप्त होने की संभावना है ?

श्री कानूनगो : वह लगभग प्रारम्भ हो चुका है।

खादी

*१७९२. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत में खादी सम्बन्धी कार्य करने वाली प्रामाणिक संस्थाओं को दी गई आर्थिक सहायता की कुल रकम कितनी है;

(ख) क्या इस सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या अन्य खादी विक्रेताओं को भी ऐसी आर्थिक सहायता देने की कोई योजनायें हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५२ में कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई थी। १९५३ और १९५४ में दी गई आर्थिक सहायतायें इस प्रकार हैं :

१९५३—२१,८१,६२६ रुपये ६ आने
१९५४—४३,३९,९३४ रुपये

(ख) यह विषय खादी बोर्ड के विचाराधीन है।

(ग) नहीं श्रीमान्। केवल प्रमाणित खादी विक्रेता ही आर्थिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या आर्थिक सहायता प्रणाली के प्रारम्भ किये जाने के बाद से खादी के उत्पादन और विक्रय में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितन प्रतिशत ?

श्री कानूनगो : ठीक ठीक आंकड़ों के लिये तो मझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है, किन्तु बहुत वृद्धि हुई है।

विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास योजनायें

*१७९३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनाओं को एकीकृत करने के सम्बन्ध में उन के और योजना मंत्री के बीच हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (१) पूर्वी प्रदेश के राज्यों में कुटीर उद्योग चालू करने में सहायता देने के लिये एक विशेषज्ञ की सेवायें इस मंत्रालय को उपलब्ध की गयी हैं।

(२) योजना आयोग ने ऐसे बड़े क्षेत्रों का, जहां पश्चिमी बंगाल से मिलती जुलती दशायें, और जहां कम से कम ५०० परिवारों के समुदायों में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जा सकता है, स्थान-निर्धारण करना स्वीकार किया है।

(३) योजना आयोग ने रेलवे, उत्पादन, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों को विस्थापित व्यक्तियों को वर्कशॉप और नदी घाटी योजनाओं में लाभप्रद काम दिये जाने के लिये लिखा है।

(४) यह निर्णय किया गया है कि पश्चिमी बंगाल के नगरों और

विभिन्न महत्वपूर्ण उपनिवेशों के बेकारों के सम्बन्ध में एक तुरंत सर्वेक्षण किया जाय जिस से कि उन्हें लाभप्रद रोज़गार दिलाने की योजनायें बनाने में सुविधा हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि ये योजनायें, विशेषकर पश्चिमी बंगाल की भूमि से मिलती जुलती भूमि के स्थान-निर्धारण की योजना, कितने समय में अन्तिम रूप से तैयार हो जायेंगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं लक्ष्य की तारीख बताने में असमर्थ हूं। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है। योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि पंच वर्षीय योजना के अधीन बनायी जा रही विभिन्न योजनाओं में, स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने के लिये पुनर्वास योजना और विस्तार योजना को एकीकृत करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है और जिस प्रकार का सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, प्राय उसी के अनुसार हम ने उस से कहा है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*१७९४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास मंत्री** २ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अभी कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करना शेष है ;

(ख) क्या गत चार महीनों में उन की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लोगों के कुछ समूहों को, जो अभी हाल में ही त्रिपुरा में आये हैं, शरणार्थी शिविरों में रखा गया है और अभी फिल हाल उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरी स्वयं की जानकारी यह है कि पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उचित रूप से देखभाल की जा रही है। यदि माननीय सदस्य को किसी विशिष्ट मामले के बारे में मुझे सूचना देनी हो, तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्रीमती खोंगमेन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह तथ्य है कि त्रिपुरा में भूमि-हीन आदिम जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भी पुनर्वासित करने के विषय में सोच रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे त्रिपुरा में भूमिहीन आदिम जाति के लोगों की संख्या ज्ञात नहीं है। मेरा सम्बन्ध विस्थापित व्यक्तियों की समस्या से है, और हम त्रिपुरा में प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति के प्रति, चाहे वह आदिम जाति का हो अथवा किसी अन्य जाति का हो एक सा ही व्यवहार कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में गये हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिये आवास

*१७९६. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में गये हुए स्थायी भारतीय प्रतिनिधि के लिये न्यूयार्क में एक मकान खरीदने की प्रस्थापना है;

(ख) अभी उसे कितना मकान किराया भत्ता दिया जाता है; और

(ग) १९५४ में स्थायी प्रतिनिधि मंडल पर कितना धन व्यय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) स्थायी प्रतिनिधि को कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता । उसे सरकारी खर्च पर, जिस की कि एक अधिकतम सीमा है, सुसज्जित आवास दिया जाता है ।

(ग) १९५३-५४ में व्यय ८,७५,६०२ रुपये था । अनुमान किया जाता है कि १९५४-५५ में व्यय ८,९७,१०० रुपये होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितना किराया दिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी हम आवास के लिये ६५० डालर प्रति मास दे रहे हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और कुल मकान भत्ता कितना दिया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह मकान भत्ता शिष्टमंडल के प्रधान के लिये है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार का कोई इरादा संयुक्त राष्ट्र संगठन की बैठक के भारत में आयोजित किये जाने के लिये निमंत्रण देने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ।

शिमला में रेडियो स्टेशन

*१७९७. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) वह स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) २६,९५१ रुपये, फरवरी १९५५ के अन्त तक ।

(ख) जून १९५५ तक ।

(ग) लगभग २·११ लाख रुपये ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह स्टेशन कितनी ताकत का होगा और कितने इलाक़े को कवर कर सकेगा ?

डा० केसकर : यह ढाई किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर होगा और अन्दाज़न कोई दो सौ मील के बीच में सुना जायगा ।

डा० सत्यवादी : क्या यह माना जा सकता है कि इस स्टेशन के प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के बाशिन्दों की भाषा और टेस्ट का ख़ास ख्याल रखा जायगा ?

डा० केसकर : जी हां । इसीलिये तो यह शिमला में खोला जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह विचार किया जा रहा है कि इस रेडियो स्टेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय ज़िलों में भी कुछ सेवा की जा सके ?

डा० केसकर : जहां तक हो सकेगी की गी ।

गांवों में बिजली लगाना

*१७९९. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति होने की आशा की जाती है;

(ख) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित करने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) क्या १९४७ के पश्चात् कार्यान्वित की गयी गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अध्ययन करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) आशा की जाती है कि करीब ६,५०० गांवों में बिजली लगायी जायगी ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गांवों में बिजली लगाने के बारे में लक्ष्य निर्धारित करना अभी समय से बहुत पहले की बात है । किन्तु यदि राज्य सरकारों से योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये प्राप्त हो रही योजनाओं को एक संकेत समझा जाये तो यह आशा की जाती है कि दूसरी योजना की अवधि में करीब १०,००० से १२,००० गांवों में बिजली लगायी जायगी ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : अब तक कितने गांवों में बिजली पहुंचायी गयी है ?

श्री हाथी : लगभग ५,००० ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : योजना अवधि में खर्च की जाने वाली धनराशि की परिमात्रा कितनी है, और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

श्री हाथी : विभिन्न राज्यों को १७ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और इस वर्ष कदाचित् १२ करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या इस कार्य के लिये सरकार कोई आर्थिक सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

श्री हाथी : मंत्रियों के समन्वय बोर्ड की बठक में आर्थिक सहायता के प्रश्न पर विचार किया गया था । उस में यह निर्णय किया गया था कि पहले राज्य स्वत: उन मुनाफ़ों से, जो विद्युत् विभाग स्वयं प्राप्त करते हैं, अपनी सहायता करने का प्रयत्न करें, और उस के बाद यदि कोई घाटा हो, तो वे सरकार के पास आयें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भाग (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार अनुसन्धान कर के यह मालूम करने की प्रस्थापना करती है कि योजनाओं का कितना अनुपात उद्योगों को बिजली देने के काम में लाया जायगा और कितना अनुपात गांवों में उपभोक्ताओं के लिये काम में लाया जायगा ?

श्री हाथी : यह योजना सामान्यतया कुटीर-उद्योगों और कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि गांवों में बिजली लगाने के लिये कोई अग्रेतर अनुदान, ऋण या प्रोत्साहन देने के पूर्व क्या सरकार यह जानने की प्रस्थापना करती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितनी बिजली काम में लायी जायगी ?

श्री हाथी : यह योजना केवल नवम्बर, १९५४ में चालू की गयी थी । यह योजना वास्तव म, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोज़गार देने के लिये बनायी गयी थी । अत: वास्तव में इस योजना का क्षेत्र अधिक रोज़गार देना था ।

खादी

*१८००. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई भागों में नक़ली खादी शुद्ध खादी के रूप में बेची जाती है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में नक़ली खादी बेचने के अपराध के लिये भारत सरकार ने कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई क़ानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है, क्योंकि खादी (नाम सुरक्षण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत नक़ली खादी बेचना प्रसंगेय अपराध नहीं है । नक़ली खादी बेचने के अपराध की दंड-व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसे कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है कि इस तरह की जो गलत ढंग की खादी बिक रही है उस पर कोई रोक लगायी जा सके ?

श्री कानूनगो : मैं ने इस का उत्तर अपने जवाब के भाग 'ख' में दे दिया है ।

बंजर भूमि

*१८०१. **डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार को कोई सुझाव या निर्देश जारी किये गये हैं जिस से उसे आन्ध्र में नदी घाटी योजनाओं के अधीन आने वाली कृषियोग्य बंजर भूमि को नीलाम करने या बेचने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में नन्दीकोन्डा योजना को सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार द्वारा रखी गयी शर्तों में से एक शर्त यह है कि राज्य की बेकार भूमि की बिक्री से हुई आय योजना के खाते में जमा कर दी जाय; और यह शर्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गत आन्ध्र विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया था कि सभी बंजर भूमि भूमिहीन कृषकों और कृषक-मज़दूरों को निःशुल्क बांट दी जाय ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान् । ऐसा एक संकल्प था । सरकार उस से अवगत है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य के बावजूद भी कि कांग्रेस समेत सभी राजनैतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों में यह निश्चित रूप से वचन दिया था कि बंजर भूमि निःशुल्क वितरित की जायगी, क्या सरकार इस पर दृढ़ रहेगी ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि भूमिहीन मजदूरों को पूर्णरूप से निःशुल्क भूमि देना संभव होगा ।

भूतपूर्व पांडिचेरी प्रशासन

*१८०२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांसीसी सरकार ने भूतपूर्व पांडिचेरी प्रशासन को कुल कितना अग्रिम देय

दिया था और वह किन उद्देश्यों के लिये दिया गया था;

(ख) क्या भारत सरकार इन सभी अग्रिम देयों का भुगतान करने के लिये सहमत हो गयी है; और

(ग) पहले कितना भुगतान किया जा चुका है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ग). फ्रांसीसी सरकार ने भूतपूर्व पांडिचेरी प्रशासन को ४२·९ लाख रुपये अग्रिम देय के रूप में दिये थे। इस में से ४२·८ लाख रुपये ३१-१०-५४ तक नहीं दिये गये थे। ऋण और अग्रिम देयों का ब्यौरा और उन की पुनः भुगतान की शर्तों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६३]** भारत सरकार ने इन ऋणों पर अब तक कोई पुनः-भुगतान नहीं किया है।

(ख) राज्य क्षेत्रों के वस्तुतः हस्तान्तरण के सम्बन्ध में २१ अक्टूबर, १९५४ को हुए भारत-फ्रांसीसी करार के अनुच्छेद २० के अधीन, भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार द्वारा भूतपूर्व प्रशासन को दिये गये ऋणों और निधियों का फ्रांसीसी सरकार को भुगतान कर देने का वचन दिया है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन ऋणों के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व भी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि हमें उस शहर के बिजली घर की खरीद के लिये २० से २२ लाख रुपये तक देना है।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन ऋणों का कुछ प्रतिशत भाग फ्रांसीसी प्रशासन कार्यालय या फ्रांसीसी बलों की देख रेख के लिये काम में लाया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये ऋण स्पष्ट रूप से निश्चित किये गये थे। ये पुलिस अथवा सेना के लिये नहीं थे।

नन्दीकोन्डा में सीमेंट संयंत्र

*१८०४. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आन्ध्र राज्य में नन्दीकोन्डा स्थान पर एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे): अभी ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या उस परियोजना क्षेत्र में एक सीमेन्ट कारखाना बनाने के लिये अनज्ञप्ति दिये जाने के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री आर० जी० दुबे : हां। सूचना यह है कि मचरला में एक कारखाना बनाने के लिये मद्रास के मेसर्स डी० रामकृष्ण एण्ड सन्स को हाल में एक अनुज्ञप्ति दी गई है।

श्री सी० आर० चौधरी : अनुज्ञप्ति जारी करने के पहले, इस बात की जांच करने के लिये कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नन्दीकोन्डा परियोजना आरम्भ की जाने वाली है उस क्षेत्र में कारखाना बनाना व्यवहारिक है या नहीं, कोई आदेश दिये गये थे और कोई जांच की गई थी ?

श्री आर० जी० दुबे : जब मचरला में निर्माण किया जाने वाला यह कारखाना पूरा हो जायेगा तो यह नन्दीकोन्डा परियोजना की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा।

डा० रामा राव : क्या आंध्र सरकार ने, इस प्रयोजन के लिये, एक राजकीय सीमेन्ट कारखाना बनाने का सुझाव दिया है और उस के आरम्भ करने की अनुज्ञा मांगी है ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी तक नहीं मांगी है ।

ट्रैक्टर

*१८०५. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३५ के उत्तर के सम्बन्ध में इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल इस देश में आयात किये हुए पुर्जों को फिट कर के तैयार किये जाने वाले विभिन्न अश्व-शक्तियों के ट्रैक्टरों की प्रति ट्रैक्टर लागत तथा ट्रैक्टर द्वारा खींची जाने वाली विभिन्न कलों की लागत का क्या कोई अनुमान किया गया है;

(ख) किस मार्के के ट्रैक्टरों को इस प्रकार जोड़ कर तैयार किया जा रहा है;

(ग) यह अनुमानित लागतें, उसी मार्के के, आयात किये गये, ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों द्वारा खींची जाने वाली कलों के मूल्यों की तुलना में कैसी हैं; और

(घ) इस प्रकार का पुर्जों को जोड़ने का काम करने वाले समवायों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६४]**

श्री सारंगधर दास : क्या यह समवाय अपने वर्कशॉपों में इन ट्रैक्टरों के कोई भी पुर्ज़े निर्माण कर रहे हैं या निर्माण करने की योजना बना रहे हैं ; यदि हां, तो उन में से कितनों को और मुख्य पुर्ज़ों के नाम क्या हैं ?

श्री कानूनगो : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, फिर भी अपनी प्रस्थापनाओं में उन्होंने कुछ पुर्ज़ों के तैयार करने के उपबन्ध किये हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार ने इन समवायों को भारत में ट्रैक्टर निर्माण करने की अनुज्ञप्तियां दी हैं, और यदि हां, तो किस लक्ष्य तिथि तक भारत में ट्रैक्टरों के सम्पूर्ण रूप से बनाये जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जहां तक इन समवायों का सम्बन्ध है, ट्रैक्टरों का निर्माण करने और उस के लिये अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । ये मोटर बनाने वाले समवाय हैं । फर्गुसन ट्रैक्टर में जो इंजन काम में आता है वह वही इंजन है जो स्टैण्डर्ड मोटर कार कम्पनी अपनी बनाई कारों में काम में ला रही है । इसलिये जब यह इंजन सम्पूर्ण रूप से भारत में निर्माण होने लगेगा अनुमान है कि ऐसा होने में अधिक समय नहीं लगेगा—तो ट्रैक्टर के लिये अपेक्षित चालक शक्ति भारत में तैयार की हुई होगी ।

श्री सारंगधर दास : प्रश्न के खण्ड (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बाहर से आयात किये गये ट्रैक्टरों के प्रायः एक ही जैसे अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

श्री कानूनगो : दूसरे ट्रैक्टरों का आयात नहीं किया जाता है क्योंकि सब का आयात सीकेडी स्थिति में किया जाता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समान अश्व-शक्ति वाले दूसरे मार्के के ट्रैक्टर भारत में बेचे जा रहे हैं और उन ट्रैक्टरों के मूल्य क्या हैं ?

श्री कानूनगो : यह जानकारी सूचना मिलने पर ही दी जायेगी ।

बांध

*१८०६. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी बातों को, जैसे लागत, हमारे देश के धन का विदेशों को जाना, तथा संधारण पर होने वाले व्यय, ध्यान में रखते हुए, ईंट चूने तथा कंक्रीट के बांधों के सापेक्ष गुणावगुणों की जांच की है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के अभिमान क्या हैं और उस के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार, अभी तक बनाये गये या बनाये जा रहे ईंट चूने तथा कंक्रीट के बांधों के नामों की एक सूची सभा पटल पर रखेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). ईंट, चूने तथा कंक्रीट के बांधों के सापेक्ष गुणावगुणों का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६५]**

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार के पास दामोदर घाटी निगम और हीराकुड की दो इंजीनियरिंग संस्थाओं का, जो कि संभवतः आगामी कुछ वर्षों में इन दोनों परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर काम से मुक्त हो जायेंगी, उपयोग करने की कोई योजना है ?

श्री हाथी : हां । विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे इन प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है और एक कर्मचारी समिति, न केवल इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में वरन् आगामी पन्द्रह वर्ष में आरम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं का अनुमान करने के लिये नियुक्त की गई है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : जब तक यह प्रश्न समिति के विचाराधीन है, क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यह निर्माण कार्य अन्य ग़ैर सरकारी संगठनों को नहीं सौंपे जाते हैं ?

श्री हाथी : इन समवायों को ठेके देने के प्रश्न का निर्णय केवल उन शर्तों को देख कर किया जा सकता है जिन पर समवाय काम करने को राज़ी हों ।

श्री केलप्पन : क्या यह सच नहीं है कि कंक्रीट के बांध बनाने में बहुत सी ऐसी मूल्यवान मशीनों से काम लेना पड़ता है जिन का आयात किया जाता है ?

श्री हाथी : हां, सामान्यतः कंक्रीट के बांध बनाने में हम को मशीनों से काम लेना पड़ता है ।

श्री केलप्पन : रोड़ों और ईंट चूने के बांधों और कंक्रीट के बांधों की तुलनात्मक लागत कितनी है ?

श्री हाथी : जो बात मैं ने कही है उस को मैं और अधिक सामान्य नहीं बना सकता हूं । परन्तु मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । तुंगभद्रा में लागत १३० रुपये प्रति १०० घन फीट थी, निचली भवानी में ११०रुपये थी तथा हीराकुड में १५० रुपये थी । ये सब ईंट चूने के बांध हैं । कंक्रीट बांधों के सम्बन्ध में मेरे पास तीन चार आंकड़े हैं । एक की लागत १९५ रुपये प्रति १०० घन फ़ीट थी, दूसरे की २१८ रुपये और तीसरे की १९० रुपये प्रति १०० घन फ़ीट थी ।

भारी जल संयंत्र

*१८०८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५५ के उत्तर के सम्बन्ध

बताने की कृपा करेंगे कि लगभग कब तक भारी जल संयंत्र सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारी जल भाखड़ा नांगल क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र में उर्वरक के उप-उत्पाद के रूप में तैयार किया जायगा। संभव है कि इस वर्ष के समाप्त होने के पूर्व उस स्थान की सफ़ाई का कार्य आरम्भ हो जाय। १९५९ के पूर्व इस संयंत्र के चालू होने की कोई आशा नहीं है क्योंकि उस समय तक भाखड़ा बांध से विद्युत् उपलब्ध नहीं होगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार बता सकती है इस परियोजना की लगभग लागत कितनी होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं। अभी जो अनुमान तैयार किये वे बहुत ही मोटे रूप में हैं। वे भी इस समय यहां मेरे पास नहीं हैं। परन्तु अब समय आ गया है कि उनका समुचित रूप से अनुमान किया जाये और परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाये। हम ने उसके तैयार किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इस परियोजना के सम्बन्ध में अमरीका के अणु शक्ति आयोग के साथ कोई खोज विषयक वार्ता हुई है ; यदि हां, तो उस से क्या निष्कर्ष निकला है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई है। मुझे ज्ञात नहीं है--परन्तु हो सकता है किसी अन्य वार्ता के सम्बन्ध में इस का निर्देश किया गया हो कि हम इस प्रकार का संयंत्र स्थापित करने वाले हैं। मुझे किसी वार्ता विशेष का ज्ञान नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : डा० भाभा जो प्रधान मंत्री के भाखड़ा नांगल के दौरे के अवसर पर उनके साथ गये थे, द्वारा संवाददाताओं को दिये गये इस बयान का आधार क्या है कि अमरीकी अणुशक्ति आयोग के साथ खोज विषयक वार्ता हो रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस के सम्बन्ध में ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस भारी जल संयंत्र के सम्बन्ध में।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ने भारी जल संयंत्र अमरीका से क्रय किया है और कर रहे हैं। अणु शक्ति सम्बन्धी अन्य विषयों पर हम ने उन के साथ यहां और अमरीका में वार्ता की है।

इस्पात में हित रखने वालों का सम्मेलन

***१८०९. श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ मार्च, १९५५ को नई दिल्ली में इस्पात उत्पादन में हित रखने वालों का कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस में किन किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और वे कहां कहां से आये थे; और

(ग) उस सम्मेलन में क्या निश्चय हुए ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया उन के नामों की सूची लोक-सभा पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ग) सम्मेलन इस उद्देश्य से बुलाया गया था कि मौजूदा और भविष्य के मुख्य

उत्पादकों के विचारों को, इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जो अन्तिम उत्पादन होंगे उन के सम्बन्ध में जाना जाय । इस सम्मेलन में सम्बन्धित विषयों की छानबीन के लिये विचार-विनिमय हुए और अभी तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं हुए हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में विदेशों से इस्पात के कारख़ाने खोलने के जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर भी विचार किया गया था ?

श्री एस० एन० मिश्र : किस क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ? क्या व्यक्तिगत पूंजी के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में ? कुछ प्रस्ताव तो पहले ही से आते हैं । उस सम्मेलन में इस की भी कुछ चर्चा हुई थी और होनी मुनासिब भी थी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने कोई ऐसी भी योजना रखी है कि जिस के अन्तर्गत निकट भविष्य में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना हो ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, इस बात पर सरकार पहले ही गौर कर चुकी थी और योजना आयोग के सामने जो विषय था वह इसी से ताल्लुक रखता था । लेकिन इस के बारे में इस सम्मेलन में कुछ करना नहीं था । इस पर सरकारी निर्णय हो गया है कि कितनी वृद्धि हो ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस सदन को यह मालूम हो सकता है कि इस सम्मेलन ने किन किन प्रश्नों पर विचार किया और उन की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा मैं ने जवाब में बतलाया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि मौजूदा और भविष्य के उत्पादकों के बीच में जो हमारा कार्यक्रम है और उस के अनुसार जो अन्तिम उत्पादन होने वाले हैं उन का किस प्रकार से बटवारा हो और इस सम्बन्ध के विषयों की छान बीन हुई । उस सम्मेलन का उद्देश्य केवल "एक्स्प्लोरेटरी टाँक्स" ही था और अब हम उस पर कुछ हफ्तों में निर्णय करने वाले हैं ।

उद्योग-व्यापी सम्मेलन

*१८११. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रधान निर्यात सामग्रियों के, अन्तर्देशीय तथा विदेशी बाज़ारों में हो सकने वाले, नये प्रयोगों के सम्बन्ध में प्राप्य वैज्ञानिक गवेषणा का मूल्यांकन करने के लिये लाख तथा अभ्रक जैसी प्रत्येक मुख्य निर्यात वस्तु के उद्योग-व्यापी सम्मेलन को तत्काल आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में अन्त र्राष्ट्रीय योजना दल की सिफ़ारिश की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

श्री मुरारका : यह प्रतिवेदन मार्च, १९५४ में प्रस्तुत किया गया था । इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने म सरकार को अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री कानूनगो : प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अन्तर्गत अभ्रक समिति की सब से अन्तिम बैठक कुछ ही सप्ताह पूर्व हुई थी । सरकार का विनिश्चय इस सम्बन्ध में महत्व नहीं रखता है अपि

सभी तत्सम्बन्धी हितों के मत का ही महत्व है । इसलिये थोड़ा अधिक समय लेना ही अच्छा है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया

*१८१३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २३ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या पी० टी० आई० का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये एक सार्वजनिक निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में जैसी कि प्रेस आयोग की सिफ़ारिश थी तब से कोई विनिश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : २२ दिसम्बर, १९५४ को सभा पटल पर रखी गई प्रेस आयोग की कुछ सिफ़ारिशों पर विचार करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति को प्रकट करने वाले एक विवरण में (क्रम संख्या ११) सरकार के विचार सभा के सामने रखे गये थे । वहां बताई गई स्थिति नीचे उद्धृत की जा रही है :—

> "आयोग ने यह सिफ़ारिशें तत्सम्बन्धी दोनों समाचार अभिकरणों के अंशधारियों तथा प्रबन्धकों को संबोधित कर के की हैं तथा सरकार को विश्वास है कि उन के द्वारा इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा । सरकार को किसी भी ऐसी योजना पर जो उनके विधानों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उन के द्वारा रखी जायेगी, विचार करने में प्रसन्नता होगी । सरकार इस सम्बन्ध में दोनों अभिकरणों के साथ एक समान व्यवहार करना पसन्द करेगी । "

सरकार को पी० टी० आई० के अंशधारियों या प्रबन्धकों से, इस समाचार अधिकरण के विधान में परिवर्तन करने की कोई योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस बात पर ध्यान देते हुए कि संचालकों तथा प्रबन्धकों ने अभी तक सरकार के पास कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

डा० केसकर : सरकार प्रबन्धकों से पत्र-व्यवहार कर रही है और हम शीघ्र ही कोई न कोई उत्तर प्राप्त करने की आशा करते हैं । उस के बाद हम कोई विनिश्चय करेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को ज्ञात है कि पी० टी० आई० के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध खराब हो गये हैं ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार निगम के स्थापित किये जाने तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार करती है ?

डा० केसकर : सरकार पी० टी० आई० के कर्मचारियों के संघ से पत्र-व्यवहार कर रही है । कुछ दिनों में ही वे मुझ से मिलने आ रहे हैं और मेरा इरादा उन से बात करने का है । उस समय हम सोचेंगे कि हम इस विषय में क्या कर सकते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : पी० टी० आई० विवाद के सम्बन्ध में विनिश्चय करते समय क्या सरकार इस विवाद के न्यायनिर्णयन के विनिश्चयों की राह देखेगी या उस के पहले ही कोई कार्यवाही करेगी ?

डा० केसकर : अभी मैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं । यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार तथा पी० टी० आई० प्रबन्धकों के मध्य राजकीय सहायता में अविवृद्धि करने तथा वायरलेस समाचार शुल्कों में कमी करने के सम्बन्ध में

कोई बातचीत हो रही है; यदि हां तो इस पर ध्यान देते हुए कि निगम का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

डा० केसकर : पी० टी० आई० तथा सरकार के मध्य कोई बातचीत नहीं हो रही है । पी० टी० आई० बोर्ड ने अवश्य ही अपनी आवश्यकतायें सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं । सरकार इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करते समय निश्चय रूप से प्रेस आयोग द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखेगी ।

दृष्टांक

*१८१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान तथा भारत की सरकारें दृष्टांक नियमों को शिथिल करने की प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : इस समय भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है । सरकार, पाकिस्तान सरकार के परामर्श से, दृष्टांक नियमों में समुचित शिथिलता लाने वाली प्रस्थापनाओं पर विचार करने को सदैव तैयार है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या ईस्ट पाकिस्तान की विसा के सम्बन्ध में आप कोई सहूलियत और देंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

पारनयन अनुमति पत्र

*१८१७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारखानों का तैयार माल, कच्ची सामग्री तथा अन्न को भारत से त्रिपुरा राज्य को भेजने के लिये पारनयन अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा भावी व्यापारियों के अनेकों प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि केवल कुछ ही व्यापारियों को ही, जिन को त्रिपुरा राज्य के संभरण विभाग से अनुज्ञप्तियां प्राप्त हैं, इस माल को कलकत्ता से त्रिपुरा ले जाने की अनुमति है ?

श्री कानूनगो : कोई पारनयन अनुमति पत्र नहीं है, परन्तु कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में विक्रेताओं को अनुज्ञप्तियां लेनी होती हैं ।

श्री बीरेन दत्त : कुछ विक्रेताओं को अनुज्ञप्तियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो : कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं; इस के विपरीत सभी आवेदन-पत्रों को स्वीकार कर लिया गया है ।

दीवार-घड़ियों का कारखाना

*१८१९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत सरकार ने दीवार-घड़ियों का एक कारखाना चालू करने के लिये आवश्यक मशीनरी तथा उपकरण खरीद लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर वास्तविक लागत कितनी आई है;

(ग) मध्य भारत सरकार द्वारा कितनी, यदि कोई, रक़म दी गई है; और

(घ) क्या उक्त फ़ैक्टरी ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को ज्ञात है कि यह कारखाना गृह-उद्योग के आधार पर चलाया जायेगा ?

श्री कानूनगो : संभव है कि अवयवभूत अंग छोटे छोटे एककों में बनाये जायें परन्तु उन के जोड़ने का काम किसी कारखाने में किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस से पूर्व हमारे देश में पुर्ज़ों को जोड़ने के कोई प्रयत्न किये गये थे ?

श्री कानूनगो : केवल आयात किये गये पुर्ज़ों को कभी कभी जोड़ा गया है ।

अखबारी काग़ज़ का कारखाना

*१८२२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिय अपने यहां अख़बारी काग़ज़ का एक कारखाना खोलने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का यह अर्थ है कि इस सम्बन्ध में अभी उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार ही नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में कोई छानबीन नहीं की गई है ?

श्री कानूनगो : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस का यह मतलब है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की किसी स्कीम पर विचार कर रही है तो उस के उपयुक्त अवसर आने पर केन्द्रीय सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी ?

श्री कानूनगो : ज़रूर ग़ौर किया जायेगा ।

कोयला

*१८२३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री इन बातों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ और १९५३ में पृथक् पृथक् सरकारी कोयला खदानों से खदान वार निकाले गये धातुकर्मिक कोयले का कुल परिमाण कितना था; और

(ख) उन्हीं वर्षों में ग़ैर-सरकारी कोयला खदानों से निकाले गये धातुकर्मिक कोयले का कुल परिमाण कितना था ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६७**]

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : गत वर्षों की तुलना में १९५३ के सम्बन्ध में दिये गये उत्पादन के आंकड़े उद्वद्ध' सीमा से कम हैं, क्या मैं इस का कारण जान सकता हूं ?

श्री आर० जी० दुबे : इन में से कुछ खानों—श्रीरामपुर और बोकारो—में काफ़ी समय से काम हो रहा है और इसलिये और अधिक काम में लाये जाने की उन की क्षमता कम हो गई है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं यह नहीं समझ सका हूं कि क्या उत्पादन की यह कमी इन खानों की उत्पादन सम्बन्धी अक्षमता के कारण है अथवा यह मज़दूरों तथा अन्य चीज़ों की कमी के कारण है ?

श्री आर० जी० दुबे : मज़दूरों की कोई कमी नहीं है । इन खानों विशेष में बहुत समय से काम हो रहा है और इसलिये कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार की इच्छा इन खानों के उत्पादन के आंकड़े 'उद्वह्व' सीमा तक ले आने और यथासंभव हानि को समाप्त करने की है ?

श्री आर० जी० दुबे : निश्चय ही ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति

***१८२४. श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें २८ मार्च, १९५५ तक विभिन्न राज्यों में पुनर्वासित कर दिया गया है;

(ख) उन में से कितनों को २८ मार्च, १९५५ तक केन्द्रीय सरकार द्वारा रोज़गार दिया गया है; और

(ग) कितनों को २८ मार्च, १९५५ तक छात्रवृत्तियां दी गई हैं और इस प्रकार दी गई धनराशि कितनी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) उन के अतिरिक्त, जिन्हें जम्मू तथा काश्मीर राज्य में पुनर्संस्थापित कर दिया गया है, ८,०६४ ।

(ख) और (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नमूना सर्वेक्षण

***१८२६. श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात का ठीक ठीक अनुमान लगाने के लिये कि समाचार पत्र किस सीमा तक प्रेस सूचना कार्यालय की सेवाओं का उपयोग करते हैं कोई सावधिक नमूना सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : समाचार पत्रों द्वारा प्रेस सूचना कार्यालय की सेवाओं का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में १२७ से २४६ समाचार पत्रों के विषय में किये गये नमूना सर्वेक्षण के सन्तोष जनक परिणाम निकले हैं । इस प्रकार के उपयोग का उल्लेख स्वतंत्र रूप से प्रेस आयोग की रिपोर्ट में किया गया है । इस नमूना सर्वेक्षण के क्षेत्र को सभी समाचार पत्रों तक विस्तृत करने और इस के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यय का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री मुरारका : यह नमूना सर्वेक्षण अन्तिम बार कब किया गया था तथा कितनी अवधि के पश्चात इसे किया जाता है ?

डा० केसकर : यह नमूना सर्वेक्षण सावधिक रूप से किये जाते हैं; उन सभी तिथियों को यहां बताना मेरे लिये संभव नहीं है । उदाहरण के लिये, प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में, समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया को ज्ञात करने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया था । अगस्त में एक सावधिक नमूना सर्वेक्षण होता है ।

दो और सावधिक सर्वेक्षण होते हैं, और यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न की सूचना देंगे, तो मैं निश्चय ही उन को तिथियां बता दूंगा ।

श्री मुरारका : नमूना सर्वेक्षण से क्या ज्ञात होता है ; क्या इस कार्यालय का उपयोग करने वाले समाचारपत्रों की संख्या बढ़ रही है अथवा कम हो रही है ?

डा० केसकर : इस सर्वेक्षण का आशय न केवल उन समाचारपत्रों की संख्या ज्ञात करना है जो इस कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं परन्तु यह भी ज्ञात करना है कि दी गई विषय वस्तु का कितना भाग उपयोग में लाया जाता है और दी गई विषय वस्तु के सम्बन्ध में उन का क्या विचार है ।

श्री मुरारका : नमूना सर्वेक्षण के आधार पर समाचार पत्रों की सम्मति क्या है ? इस कार्यालय द्वारा दिये गये समाचारों के विषय में समाचार पत्रों की क्या सम्मति है ?

डा० केसकर : उन का विचार है कि सूचना बहुत लाभदायक होती है ।

पूर्वी जर्मनी से व्यापार

***१८२७. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार तथा पूर्वी जर्मनी के बीच अक्तूबर, १९५४ में हुए व्यापार क़रार के परिणामस्वरूप पूर्वी जर्मनी से कितने मूल्य का सामान आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : अक्तूबर से दिसम्बर तक पूर्वी जर्मनी से भारत में हुए आयात का योग ५·९ लाख रुपया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसी समय में हम ने कतना एक्सपोर्ट किया ?

श्री कानूनगो : इस की इन्फ़ारमेशन हमारे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं उन चीज़ों के नाम जान सकता हूं जो कि इम्पोर्ट की गई थीं ?

श्री कानूनगो : न्यूज़प्रिंट, दूसरी किस्म का काग़ज़, कार्ड बोर्ड, इन्स्ट्रूमेंट्स, कैमिकल्ज़, सिंथेटिक रेज़िन, मोल्डिंग पाउडर, फायर आर्म्स वगैरह ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह दूसरी क़िस्म का काग़ज़ क्या है ?

श्री कानूनगो : छपाई का काग़ज़, लिखने का काग़ज़, पैकिंग का काग़ज़ वगैरह ।

सड़क कूटने के रोलर इंजन

***१८२८. श्री इब्राहीम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में भारत में सड़क कूटने के कितने रोलर तथा भाप से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन बनाये गये; और

(ख) इस उद्योग के भावी विकास का क्षेत्र क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सड़क कूटने का भाप से चलने वाला केवल एक इंजन बनाया गया ।

(ख) भारत में सड़क कूटने के इंजन रोलर बनाने के उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त क्षेत्र है । किन्तु मांग डीज़ल प्रकार के इंजनों की होती जा रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या रायल्टी आधार पर इसी देश में सड़क कूटने के भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण के लिये मेसर्स मारशल सन्स से कोई क़रार हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान् । सड़क कूटने के भाप से चलने वाले इंजन बनाने के लिये मारशल सन्स और टेल्को के बीच एक समझौता हुआ था ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह समझूं कि सड़क कूटने का केवल एक ही इंजन बनाया गया एक हज़ार नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने प्रत्यक्षतः इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रश्न में कितनी अवधि का उल्लेख है । इस अवधि में केवल एक ही इंजन बनाया गया क्योंकि कोई मांग ही नहीं थी । भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि डीज़ल प्रकार के सड़क कूटने के रोलरों की मांग होती जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम कितने रोलर आयात कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-सूची समाप्त हो गई है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या १८२१ को लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : : जी हां, प्रश्न संख्या १८२१ ।

पैट्रोलियम

*१८२१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी पैट्रोल के उत्पादन की लागत आयात किये गये पैट्रोल के मूल्य से कहीं कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पैट्रोल की क़ीमत में कोई कमी करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). देशी पैट्रोल के उत्पादन का निर्देश करते समय कदाचित माननीय सदस्य का ध्यान नये तेल परिष्करण कारखानों की स्थापना की ओर था । क्योंकि अपेक्षित अशुद्ध तेल काफी दूर से मंगाना पड़ता है, अतः इन कारखानों में पैट्रोल के उत्पादन की लागत आयात किये गये पैट्रोल के मूल्य से कम होने की संभावना नहीं हो सकती है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस के अलावा कि सरकार तेल के मूल्य में कमी करना चाहती है, क्या सरकार की ऐसी कोई निश्चित नीति है कि भारतीय विद्यार्थियों के दलों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये जिस से कि वे तेल की खोज करने का काम करें और पश्चिम या पूर्व के किसी भी देश में प्रशिक्षण प्राप्त करने का उन्हें अवसर मिले ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं आदरपूर्वक यह सुझाव देता हूं कि यह प्रश्न प्राकृतिक संसाधन मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि हम उस पर आयात शुल्क के रूप मे काफ़ी हानि उठाते हैं, क्या इतनी दूर से अशुद्ध तेल मंगाने का खर्चा उस से कहीं अधिक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह कुछ पेचीदा है और कुछ कुछ मेरी समझ से बाहर है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि अशुद्ध तेल फारस की खाड़ी से आयेगा, क्या उस का मूल्य अब भी मैक्सिको की खाड़ी के मूल्यों पर आधारित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन कारखानों द्वारा पूरी क्षमता से कार्य शुरू कर दिये जाने पर ही इस प्रश्न पर निश्चय किया जाना है । इस की बहुत कुछ संभावना है कि मूल्यों के सम्बन्ध मे कुछ विभिन्नता हो । यह बात अब भी काल्पनिक है कि क्या अशुद्ध तेल के मूल्य तथा उस पर दिये भाड़े का पैट्रोल के मूल्य पर, जो कि यहां लिया जाता है, वस्तुरूप म कोई प्रभाव पड़ेगा ।

श्री सारंगधर दास : क्या तेल समवायों से किये गये क़रार में यह बात सम्मिलित है कि मूल्य बाद में, जब उन में पूरी क्षमता से उत्पादन होने लगेगा, निश्चित किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तेल समवायों से जो क़रार हुआ था वह सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और माननीय सदस्य उस से यह मालूम कर सकते हैं कि उन का विचार सही है या नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाकिस्तान से व्यापार

*१७७३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक व्यापार सम्बन्धों का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) किस प्रकार के निर्णय किये गये हैं और क्या किसी व्यापार सम्बन्धी करार के किये जाने की भी संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हाल ही में इस प्रकार का कोई संयुक्त पुनरीक्षण नहीं किया गया, जिस का माननीय सदस्य ने निर्देश किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उर्वरक कारखाना, सिंदरी

*१७७९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री पी० सी० बोस :

क्या **उत्पादन** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बाते दिखाई गई हों :

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने में उपोत्पादों से यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने के लिये किन किन देशों से अन्तिम रूप से टेण्डर प्राप्त हो गये हैं;

(ख) इन योजनाओं पर विदेशी निर्माता कितनी पूंजी लगायेंगे और उन को क्या सुविधायें दी जायेंगी; और

(ग) क्या भारत में कोई भी व्यक्ति इस काम को करने के लिये तैयार नहीं था और स्वयं सरकार द्वारा इस काम को कराने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६८]**

शान्ति स्मारक

*१७८७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी शिल्पकार ने सरकार से एक शान्ति स्मारक बनाने की अनुमति दिये जाने तथा उस के लिये कुछ भूमि देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या उस ने स्मारक का नक्शा भी प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) क्या उस की प्रार्थना पर विचार किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). नवम्बर, १९५४ में श्री शोशू निशिकावा ने भारत सरकार से भारत में भारत सरकार के खर्चे पर एक शान्ति स्मारक बनाने की प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के साथ साथ उस ने उक्त स्मारक का एक स्थूल नक्शा भी भेजा था। सरकार ने उस प्रस्थापना पर विचार किया किन्तु उस को अनुपयुक्त पाया।

मंत्रणा बोर्ड

*१७८८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अभी हाल ही में जो बोर्ड बनाया गया था, क्या उस का परामर्श लेने की कोई विशिष्ट सीमा होगी; और

(ख) क्या प्रतिकर की मात्रा से सम्बन्धित मामलों में भी उस बोर्ड से परामर्श लिया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के प्रवर्तन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिये एक मंत्रणा बोर्ड बनाया गया था।

(ख) जी हां, बोर्ड से परामर्श किया गया है।

अभ्रक उद्योग

*१७९५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बिहार सरकार से अभ्रक उद्योग में विदेशी विशेषज्ञों को अनुज्ञायें दिये जाने के सम्बन्ध में तब से कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). यह ज्ञात हुआ है कि जांच पूरी हो चुकी है। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

खनिज तेल

*१७९८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितना खनिज तेल मंगाया जाता है, उस में से कितना शुद्ध किया हुआ तेल होता है और कितना अशुद्ध तेल होता है;

(ख) भारत में तेल साफ करने के कितने कारखाने हैं और उन में प्रति वर्ष कितना तेल साफ़ किया जाता है; और

(ग) भारत में ही तेल साफ़ करने से कितनी बचत होती है तथा उस का हमारी डालर और पौण्ड पावना विनियमन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५४ में ३९ लाख टन खनिज तेल का आयात हुआ था। इस में से ५ लाख टन अशुद्ध तेल था।

(ख) डिगवोई के एक पुराने कारखाने समेत इस समय तेल साफ़ करने के तीन कारखाने चल रहे हैं। यह प्रति दिन लगभग ९००० टन अशुद्ध तेल साफ़ कर सकते हैं

(ग) जब कि तीनों नये कारखाने पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे, तो यह आशा की जाती है कि विदेशी विनिमय में प्रति वर्ष कोई १० करोड़ रुपय की बचत होगी ।

हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लिमिटेड

*१८०३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **उत्पादन** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लि०, दिल्ली के निदेशकों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस समवाय के निदेशकों के बोर्ड की संरचना कैसी है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिपे परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६९]**

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*१८१०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण केन्द्रों में वहां कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये भोजन आदि के विषय में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये कृषि फार्म स्थापित करने के हेतु बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कुल कितनी राशि निश्चित की है और प्रारम्भिक तथा वार्षिक व्यय के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यह कार्य कब से आरम्भ होगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). खाद्य पदार्थों को हवाई जहाज से लाने-ले जाने के ऊपर जो अधिक खर्च हो रहा है, उस को कम करने के लिये और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्रों को खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाने के लिये, भारत सरकार शासन सम्बन्धी केन्द्रों में कृषि फार्म्स स्थापित करने का विचार कर रही है । अन्न सरकारी फार्म में उगाया जायेगा और फल सब्ज़ी सरकारी कर्मचारी, व्यक्तिगत या सहकारी रूप से, उगायेंगे । इस योजना पर काम किया जा रहा है ।

मिलान में व्यापार मेला

*१८१२. **श्री राधा रमण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५५ में मिलान में होने वाले व्यापार मेले में सम्मिलित होने का भारत ने निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो मेले में प्रदर्शन के लिये क्या वस्तुएं भेजने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई राशि मंजूर की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) २,६०,००० रुपये ।

प्रसारण का विकास

*१८१६. **श्री गिडवानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रसारण के विकास के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना में उपबन्धित कुल राशि में से ३१ जनवरी, १९५५ तक कितनी राशि व्यय की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : ४,९४,२५,००० रुपये के कुल उपबन्ध में से ३१ जनवरी, १९५५ तक ७६,०६,८१० रुपये की राशि व्यय के लिये नियत की गई थी । वस्तुतः वास्तविक व्यय बहुत अधिक हुआ है परन्तु अभी तक पुस्तकों में लिखा नहीं गया क्योंकि आयात उपकरणों की लागत और केन्द्रीय निर्माण विभाग के भवन निर्माण के व्यय के सम्बन्ध में अभी सूचना नहीं मिली है ।

एकीकृत प्रचार कार्यक्रम

***१८१८. डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी नाटक मंडलियां बनाई गई हैं;

(ख) प्रत्येक मंडली में कितने और किस प्रकार के कलाकार हैं; और

(ग) इन मंडलियों के कार्यक्षेत्र का निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) कोई नयी नाटक मंडली नहीं बनायी गयी; इस समय पेशेवर या शौकिया नाटक खेलने वालों की और राज्यों की जो मंडलियां पहले से उपलब्ध हैं उन का उपयोग किया जाता है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

प्रतिकर

***१८२०. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तरिम प्रतिकर योजना के अधीन विस्थापित व्यक्तियों के कुल कितनी राशि के दावे पंजीबद्ध किये हैं; और

(ख) अब तक कितनी राशि के दावों की जांच की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जो अन्तरिम प्रतिकर योजना नवम्बर, १९५३ में चलाई गई थी उस के अधीन दावे पंजीबद्ध नहीं किये गये । उन्हें विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५०के अधीन पंजीबद्ध किया गया था । इन दावों में मांगी गई राशि ज्ञात नहीं है क्योंकि यह जानकारी एकत्र नहीं की गई थी ।

(ख) कृषि-भूमि के दावों को निकाल कर लगभग ५०० करोड़ रुपये ।

पटसन-उद्योग

***१८२५. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस बढ़ती हुई विदेशी प्रतियोगिता की ओर दिलाया गया है जिस का सामना भारतीय पटसन उद्योग को करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उद्योग की कठिनाइयों को हल करने के लिये उस की क्या सहायता करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार को इस का पता है ।

(ख) निर्यात पणन में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये, उद्योग की सहायता के हेतु निम्नलिखित मुख्य कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में समय-समय पर कमी-बेशी की जाती है ।

(२) विदेशों में प्रचार-कार्य करने के लिये उद्योग को समय-समय पर

तदर्थ सहायता अनुदान दिये जाते हैं।

(३) उद्योगपतियों से कहा गया है कि वे यथासंभव बाज़ार ढूंढने के कार्य को विकसित करने और उत्पादन के नमूनों में विभिन्नता लाने का प्रयत्न करें।

इन उपायों के फलस्वरूप भारतीय पटसन का निर्यात १९५३ के ७४७,००० टन की तुलना में १९५४ में ८४३,००० टन तक बढ़ गया है।

गंगा बांध

*१८२९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की करेंगे कि गंगा बांध का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : इस योजना की अभी आरम्भिक स्थिति है और इस समय यह कहना संभव नहीं कि गंगा बांध का निर्माण कब आरम्भ होगा।

विदेशी फिल्म कम्पनियां

५२७. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी विदेशी फिल्म कम्पनियां फिल्म निर्माण कार्य कर रही हैं ; और

(ख) इन कम्पनियों ने गत पांच वर्षों में कितनी फिल्मों का निर्माण किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिस के अनुसार विदेशी फिल्म कम्पनियों को परमिट लेना या रिपोर्ट पेश करना आवश्यक हो, ऐसी कम्पनियों की संख्या या उन के बनाये चित्रों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास केवल ऐसी कम्पनियों के बारे में जानकारी है जिन्होंने विशेष सुविधायें मांगी हैं।

चलचित्र (फिल्में)

५२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) भारत में १९४८ से प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों से अलग अलग कितने विदेशी चलचित्र आयात किये गये; और

(ख) इसी काल में किन-किन देशों को भारतीय चलचित्र (फिल्में) निर्यात किये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में आयात किये गये विदेशी चल चित्रों की संख्या विषयक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी एक विवरण संलग्न है जिस में देशानुसार फुटों के आधार पर सिने-चित्रों के आयात से सम्बन्धित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७१**]

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आल इण्डिया रेडियो (आकाशवाणी)

५२९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया रेडियो में नौकरी से अलग किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों में से कितने लोगों को १९५१ से फिर से सेवा में रख लिया गया है; और

(ख) उन्हें फिर से सेवा में रख लेने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायगी ।

कोयला

५३०. **श्री हेडा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कोयले की तह लगाने पर कितनी औसत लागत आई और गत तीन वर्ष की लागत के साथ उसकी क्या तुलना हो सकती है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : वर्ष १९५०–५१ से १९५३–५४ तक कोयला खानों में रेत की तह लगाने की औसत लागत इस प्रकार है :—

	रु० आ० पा०	
१९५०–५१	१–१३–३	तह लगाई गई सामग्री प्रति टन
१९५१–५२	१–१२–२	,,
१९५२–५३	१–११–७	,,
१९५३–५४	१–११–९*	,,

(*१९५३–५४ के आंकड़े अनुमित हैं)

ईंटें बनाने की मशीन

५३१. **श्री हेडा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंट बनाने की मशीन का आविष्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की लागत और लाभ क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). बाज़ार में कई प्रकार की ईंट बनाने की मशीनें मिल सकती हैं । कुछ को आदमी चलाते हैं और कुछ बिजली द्वारा चलती हैं । मशीन की किस्म, क्षमता और प्रयोजन के अनुसार उस के मूल्य भिन्न भिन्न हैं । इस के लाभ ये हैं कि मशीन के प्रयोग से अधिक भारी और अच्छी प्रकार की ईंटें तैयार होती हैं ।

स्वरपरीक्षण

५३२. **श्री इब्राहीम** :क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने कलाकार आकाशवाणी के स्वरपरीक्षण में अनुपस्थित रहे और उन्हें जनवरी, १९५४ से अब तक कार्यक्रम में नहीं रखा गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : केवल उन कलाकारों को कार्यक्रम में नहीं रखा जाता जो बिना उचित कारण बताये स्वरपरीक्षण के समय नहीं आते । १ जनवरी, १९५४ से २८ फरवरी, १९५५ तक करनाटक संगीत में ऐसे कलाकारों की संख्या २४७ और हिन्दुस्तानी संगीत में १६५ थी । ये कलाकार भविष्य में स्वरपरीक्षण करा सकते हैं और कार्यक्रम प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त कर सकते हैं ।

कपड़े की मिलें

५३३. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्नलिखित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ (अप्रैल–दिसम्बर) में ब्यावर और विजयनगर की कपड़े की मिलों में निर्मित मध्यम और घटिया किस्म के धागे और कपड़े की मात्रा कितनी है; और

(ख) कुल वृद्धि या कमी की प्रतिशतता और, यदि कमी हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७२]**

साइकिलें

५३४. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५३ और १९५४ में कितनी साइकिलें बनाई गईं; और

(ख) उन्हीं वर्षों में भारत में कितनी साइकिलें आयात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७३]**

पूंजी विनियोजन

५३५. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय बनने के पश्चात् सरकारी उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) मंत्रालय के बनने के पश्चात् ग़ैर-सरकारी-उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ग) मंत्रालय बनने के पश्चात् कितने नये उद्योग आरम्भ किये गये ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) मंत्रालय के बनने के पश्चात् मई १९५२ में उत्पादन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित निर्माण परियोजनायें चलाई गईं या इन का नियमित उत्पादन आरम्भ हुआ :—

१. उर्वरक ।

२. टेलीफोन के तार ।

३. मशीनों के औज़ार ।

४. डी० डी० टी० ।

५. पेन्सिलीन ।

६. इस्पात (रुड़केला और मिलाई परियोजनायें)

अन्य योजनायें अभी बनाई जा रही हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली आदिम जातियां

५३६. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५४ में पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सी आदिम जातियां पश्चिमी बंगाल में आई थीं;

(ख) यदि हां, तो उन की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक वर्ष १९५५ में कितने लोग भारत आये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). आदिम जातियों की संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं । यह अनुभव किया जाता है कि इसे एकत्र करने में इतना अधिक समय और श्रम लगेगा जितना उस से लाभ नहीं होगा ।

निर्यात

५३७. { **श्री एम० वी० एच० नरसिंहम् :**
श्री सी० आर० चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम्, मद्रास और बम्बई से क्रमानुसार कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जा सकती हैं; और

(ख) प्रत्येक पत्तन से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अन्तर के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). किसी विशेष पत्तन से निर्यात करने के लिये कोई वस्तुएं रक्षित नहीं हैं । विभिन्न वस्तुओं में से, विशेषतः कृषि सम्बन्धी वस्तुओं में से, निर्यात के लिये अतिरिक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रादेशिक आधार पर निश्चय किया जाता है । जहां किसी विशेष प्रदेश में कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं होते वहां उस प्रदेश के पत्तन से कुछ भी निर्यात नहीं होता ।

लोक
वाद विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक-सभा

शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

१९५५-५६ के लिए अनुदानोंकी मांग*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में मांगें

अध्यक्ष महोदय: ढाई बजे तक मांग संख्या ६२, ६३, ६४ तथा १२६ पर चर्चा होगी तथा उसके पश्चात् गैर सरकारी मदस्यों का कार्य आरम्भ होगा।

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुदानों की यह मांगें अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	३७,९८,०००
६३	प्रसारण	२,८७,२४,०००
६४	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय।	१,१३,६६,०००
१२६	प्रसारण पर पूंजी व्यय	३,६६,४२,०००

सरदार ए० एस० महगल (बिलासपुर): में माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और प्रसारण मंत्रालय सम्बन्धी मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे चलचित्र उद्योग के सामने बहुत बड़ी ड़ी अड़चनें हैं। यह उद्योग चालीस वर्ष पुराना है और अब तक इसने जो भी उन्नति की है बिना किसी सहायता के तथा भारी अड़चनों के होते हुये की है। अन्य देशों की तुलना में पूंजी विनियोग की दृष्टि में इस का नम्बर दूसरा है, जितनी मजूरी का इसके द्वारा भुगतान किया जाता है उस की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है तथा इसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से इसका स्थान पांचवां है। इस समय ७३ स्टूडियो तथा तीन हजार थियेटर हैं। इस उद्योग के समक्ष अनेकों कठिनाइयां हैं। विदेशों में उच्च स्तर होने का कारण ही यह है कि हमारे पास उच्च कोटि के उपकरण नहीं हैं और हमारे प्रविधिविज्ञों ने कोई प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। दो वर्ष पहले सरकार ने जो चलचित्र जांच समिति नियुक्त की थी उसने एक चलचित्र ब्यूरो, केन्द्रीय चलचित्र बोर्ड तथा एक संस्था स्थापित करने के

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित।

[सरदार ए० एस० सहगल]

सुझाव दिये हैं । परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है जिस से माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं ?

सरदार ए० एस० सहगल : कुछ खास बातें मैं ने नोट कर ली हैं ।

अध्यक्ष महोदय: लिखित भाषण पढ़ना संसदीय प्रणाली नहीं है । माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ रहे हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही चलचित्र जांच समिति की सिफारिशों पर विचार करे । मैं तो समझता हूं कि यह संस्था न केवल इस उद्योग को वरन् सारे राष्ट्र को बहुत सहायता पहुंचायेगी । हमारे प्रविधिविज्ञों को इस प्रकार जो प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जायेगा उस के फलस्वरूप हमारे देश में अच्छे अच्छे चित्र तैयार होंगे ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ रहे हैं इसलिये वे अपना भाषण बन्द कर दें ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर---दक्षिण व जिला इटावा---पूर्व) : आपने इसी सभा में सदस्यों को लिखित भाषणों को पढ़ने की आज्ञा दी है और उन में से कुछ तो ऐसे भी थे जो भली भांति अंग्रेजी बोल सकते थे । इस सम्बन्ध में आप के निर्णय की अवज्ञा करना मेरा आशय नहीं है मैं ने तो केवल इस की ओर ध्यान दिलाने के लिये यह बात कही है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को अनुभव करना चाहिये कि यहां एकत्रित होने का हमारा अभिप्राय वादविवाद करना है । पहले से तय्यार किये हुये भाषण का उन बातों मे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है जो यहां सभा में कही जाती हैं । इसलिये उत्तम संसदीय व्यवहार यही है कि लिखित भाषणों को पढ़ कर सुनाने की अनुमति न दी जाय । माननीय सदस्य आवश्यक बातें पहले से नोट कर सकते हैं और उद्धरण दे सकते हैं । पुरानी केन्द्रीय विधान सभा में भाषण पढ़ कर सुनाने की अनुमति दी जाती थी । परन्तु विधान सभा की समाप्ति के पश्चात् मैं ने जानबूझ कर यह प्रथा क़ायम की है कि लिखित भाषण को पढ़ कर सुनाने की अनुमति न दी जाये जिसके कारणों का मैं उल्लेख कर चुका हूं । ऐसा भी हो सकता है कि जो भाषण पढ़ कर सुनाया जा रहा हो वह किसी और का लिखा हुआ हो । यह बात मैं माननीय सदस्य के भाषण के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । मुझे एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं है जब मैं ने किसी को पहले से लिखा हुआ भाषण पढ़ कर सुनाने की अनुमति दी हो । कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य देते समय मंत्रिगण पहले से लिखे हुये भाषण को पढ़ कर सुना सकते हैं । वह दूसरी बात है । परन्तु भाषणों के सम्बन्ध में ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है । मैं नौ साल से यहां पर हूं । आरम्भ के एक दो वर्षों के सम्बन्ध में तो मैं मैं नहीं कह सकता जब सामान्य सभा कार्य करती थी परन्तु उस के बाद से गत पांच छै वर्षों से मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ने ऐसी अनुमति कभी नहीं दी है ।

सरदार ए० एस० सहगल : अध्यक्ष महोदय, आपका यह चार्ज है कि स्पीच मेरे हाथ की तैयार की हुई नहीं है, यदि इस क़िस्म का कोई चार्ज है तो मैं आपके सामने अपनी कच्ची स्पीच रखने के लिये तैयार हूं.....

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये । मैं ने साफ कहा है कि इस केस में मैं नहीं कहता हूं कि आनरेबुल मेम्बर ने स्पीच नहीं लिखी है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं ने कहा कि कई दफा ऐसा होता है कि आनरेबुल मेम्बरान की स्पीचें कोई दूसरा लिखता है और उनके लिये मैं ने कहा है कि स्पीचें पढ़ने की प्रैक्टिस यहां पर ठीक नहीं है, इतना ही मेरा कहना है ।

सरदार ए० एस० सहगल : आपने जो अभी फरमाया मैं उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, जो कुछ आप इस सम्बन्ध में आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा । पालन करने के साथ साथ यह मेरा फ़र्ज़ हो जाता है कि जिस वक्त आप चेयर में होते हैं और इस क़िस्म की जो रूलिंग्स देते हैं तो आपके बाद जो चेयर में आते हैं उनको आपकी रूलिंग मान्य होनी चाहिये और वे भी इसी क़िस्म की रूलिंग्स अवसर आने पर दें क्योंकि मैं ने देखा है कि आपके बाद जो दूसरे महानुभाव इस चेयर को सुशोभित करते हैं उन लोगों ने बराबर इस हाउस में मेम्बरों को अपनी स्पीचें पढ़ने के वास्ते एलाऊ किया है और मैं आपको इस क़िस्म के बहुत से इन्स्टांसेज़ देने को तैयार हूं ।

अध्यक्षय महोदय: मैं आनरेबुल मेम्बर को बताना चाहूंगा कि हाउस का तरीक़ा एक ही होता है । अगर यहां पर कोई दूसरी रूलिंग्स दी गयी होगी तो मैं रूलिंग्स देने वालों से विनती करूंगा कि चेयर में बैठ कर ऐसी बात न करें, ऐसा मैं उनसे कहूंगा । अब यह मामला खत्म होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आपने अभी यह फरमाया कि अगर किसी के पास कोपिएस नोट्स हैं तो जो उस समय चेयर पर बैठा है उसे देखना होगा कि आया वह मेम्बर नोट्स को कभी कभी देख कर स्पीच दे रहा है या उस स्पीच को पढ़ता ही जा रहा है । डिप्टी स्पीकर साहब के जिस फैसले का हवाला मेरे लायक़ दोस्त ने दिया है, उस वक्त भी उन्होंने कभी उस लिखी हुई स्पीच को स्पीच की तरह पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी । मेरे दोस्त का यह कहना कि चेयरमैन साहब इस तरह की इजाज़त देते हैं, यह ठीक नहीं है । रूल्स में लिखा हुआ है कि रिटिन स्पीचेज़ को पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी लेकिन यह एक शख्स की तोहीन होगी अगर वह नोट्स को सामने रख कर बोल रहा हो, और उसको टोक दिया जाय, क्योंकि वह कभी कभी अपने नोट्स पर नज़र डाल कर स्पीच दे रहा है, और ऐसी हालत में उसको टोकना उस आनरेबुल मेम्बर की बेइज्ज़ती करनी होगी । जब तक यह चेयरमैन को मालूम न हो जाय कि एक आनरेबुल मेम्बर अपने नोट्स को ही पढ़ कर सुनाये जा रहा है, तब तक उसको टोकना मुनासिब नहीं जान पड़ता । अब जो चेयरमैन उस वक्त चेयर पर है उसके इंडिविजुअल औबज़र्वेशन का सवाल है कि आनरेबुल मेम्बर अपनी लिखी हुई स्पीच को ही पढ़ता जा रहा है या कभी कभी उस पर नज़र डाल कर स्पीच दे रहा है । इसमें इंडिविजुअल आबज़र्वेशन का सवाल है, रूल्स का सवाल नहीं है । हमारे रूल्स लिखी हुई स्पीच की इजाज़त नहीं देते हैं—लेकिन नोट्स देखने की पूरी इजाज़त है । हमारी प्रैक्टिस भी यही है ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर और अधिक तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है । यह एक निश्चित नियम है । श्री साधन गुप्त ।

सरदार ए० एस० सहगल : आप मुझे अंग्रेज़ी में मत बोलने दीजिये, लेकिन मुझे

[सरदार ए० एस० सहगल]

बोलने की इजाज़त तो दीजिये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे यह कहने पर भी कि वह लिखित भाषण को न पढ़ें उसे पढ़ते ही गये । इसलिये मैं ने उनसे स्थान ग्रहण करने के लिये कहा । अब उन को दुबारा भाषण देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य प्रसारण पर नियंत्रण करना तथा चल-चित्रों के समुचित निर्देशन का मार्ग प्रदर्शन करना है । उचित उपयोग किये जाने पर रेडियो तथा चलचित्र, संगीत साहित्य, कविता तथा नाटक के क्षेत्र में देश की महान सांस्कृतिक परम्पराओं को आगे बढ़ाने में सहायता दे कर, हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं । जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है वह इस सम्बन्ध में हमारी तनिक सी सहायता नहीं करता है । इसके स्थान पर इस में अन्याय, पक्षपात तथा हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति किये गये उपेक्षा के व्यवहार को छिपाने के लिये विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का एक जाल सा रचा गया है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

आल इण्डिया रेडियो को ही लीजिये । अनियमितता के नाम पर ऐसे २४ कार्यक्रम सहायकों (प्रोग्राम असिस्टेंटों) की छंटनी कर दी गई जो वर्षों से काम कर रहे थे । इनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अस्तित्व में आने के पूर्व नियमित रूप से की गई थी । १९४९ में जब इनकी पदोन्नति की गई और उनको ऊंची श्रेणी में भेजा गया तो उस समय भी नियमित रूप से ही ऐसा किया गया था ।

मान लीजिये इन के मामलों का निर्देश संघ लोक सेवा आयोग को उचित रूप से किया गया था, तब भी सभा को इस भुलावे में रखना तो बहुत ही अनुचित था कि संघ लोक सेवा आयोग ने उनको ऐसा करने के लिये विवश कर दिया था । अपने पिछले आय-व्ययक भाषण में माननीय मंत्री ने कहा था कि अवसर प्राप्त होते ही वह इन प्रोग्राम असिस्टेंटों को पुनः सेवायुक्त कर लेने के लिये तैयार थे । परन्तु इस प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । इन में से कुछ व्यक्तियों को कर्मचारी कलाकार (स्टाफ़ आर्टिस्ट) का काम दिया गया है जिसमें उन को पहले की तुलना में केवल आधा पारिश्रमिक ही मिलता है और वह कार्य भी ऐसा है जिसमें बिना किसी प्रकार की पूर्व सूचना के उन को किसी भी समय निकाला जा सकता है । बात ऐसी भी नहीं है कि इन को सेवायुक्त के अवसर नहीं हैं । वास्तव में संघलोक सेवा आयोग की सिफारिश यह थी कि नियमित रूप से नियुक्त किये गये दस प्रोग्राम असिस्टेंटों संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय तक सेवायुक्त रह सकते थे । आज एक के बाद दूसरा नया रेडियो स्टेशन खुलता जा रहा है । कितने ही पारेषण सहायकों (ट्रांसमिशन असिस्टेंटों) के स्थान रिक्त होते हैं । इन में से कुछ प्रोग्राम असिस्टेंटों को मंत्री महोदय इन स्थानों पर नियुक्त कर सकते थे और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से उन का नियमीकरण करा लेते । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । कई महीने की असमंजस के बाद मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इन स्थानों के विज्ञापन निकलवाये और फिर आवेदन-पत्रों की अन्तिम तिथि निकल जाने पर यह निर्णय किया कि यह विज्ञापन वापस ले लिया जाये । मुसीबत के मारों के साथ ऐसा निर्दयतापूर्ण

परिहास करने की क्षमता में ने और कहीं नहीं देखी है ।

ऐसा ही व्यवहार इंजीनियरिंग कर्मचारियों के साथ किया गया है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित १७६ असिस्टेंट इंजीनियरों में से केवल ३२ का पुष्टीकरण किया गया है । कितने ही वरिष्ठ सीनियर इंजीनियर स्थानापन्न आधार पर रखे जाते हैं और उनका पुष्टीकरण असिस्टेंट इंजीनियरों के रूप में किया जाता है । ४० असिस्टेंट इंजीनियर बिना किसी अपराध के या तो छंटनी कर दिये गये हैं या निम्न पदों पर भेज दिये गये हैं । यही हाल कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ़ आर्टिस्टों) का है जिन में से अधिकांश अल्प वेतन भोगी हैं तथा उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है ।

आल इण्डिया रेडियो में मंत्रालय के हस्तक्षेप का यह हाल है कि श्री लाल के जाने के बाद महासंचालक का स्थान जो कि रिक्त हुआ है तो अभी तक रिक्त ही चला आता है क्योंकि प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति जानता है कि मंत्रालय के इतने हस्तक्षेप के होते हुये वह इस संस्था की कोई भी सेवा नहीं कर सकेगा । मैं ने तो सुना है कि मंत्रालय का हस्तक्षेप इतना अधिक है कि मंत्रालय यह आदेश तक दे देता है कि किस किस का तबादला किया जाये, किस किस को भर्ती किय जाये, कौन से कार्यक्रम रखे जायें कौन कौन से न रखे जायें । जहां ऐसी दुर्दशा हो वहां सुचारु रूप से कोई काम नहीं हो सकता है, यही कारण है कि कार्यक्रमों में कोई सुधार नहीं हुआ है और घटिया क़िस्म के फिल्मी रिकार्ड बजानेवाला रेडियो सीलोन आल इण्डिया रेडियो के साथ प्रतियोगिता करता है ।

शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में डा० केसकर ने मैरिस कालिज के श्री रत्न जंकर को हिन्दुस्तानी संगीत स्वर परीक्षण समिति के द्वारा अन्य सभी प्रणालियों के संगीत पदों की जांच करने का एकस्व सौंप दिया है । मैं श्री रत्न जंकर का प्रशंसक हूं परन्तु साथ ही मैं अन्य संगीतकारों की भी प्रशंसा करता हूं जो श्री रत्न जंकर की प्रणाली को नहीं मानते हैं जैसे श्री ओंकार नाथ ठाकुर, श्री विलायत खां, उस्ताद अमीर खां इत्यादि । ऐसी अवस्था में एक प्रणाली के प्रतिपादकों को अन्य सभी प्रणालियों की जांच करने का एकस्व सौंप देना उचित नहीं है ।

अब सरल संगीत के क्षेत्र में आइये दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास तथा बम्बई केन्द्रों ने ११ मई तक सरल गीतों की तैयारी में ९२,००० रुपया खर्च किया, ३२२ गीत तैयार किये गये परन्तु उन में से कुल २० गीतों के रिकार्ड तैयार किये गये हैं । कलकत्ता केन्द्र ने २६ गीत तैयार किये जिन में से एक का रिकार्ड बना, लखनऊ केन्द्र ने ३५ तैयार किये जिनमें से एक का रिकार्ड बना, और मद्रास केन्द्र ने ६४ तैयार किये जिन में से एक का भी रिकार्ड नहीं बनाया गया । यदि सारी कथा का वर्णन किया जाये तो वह और विस्मयजनक होगा । मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय मंत्री महोदय हमें वह कहानी बताना नहीं भूलेंगे । इस से तो यह अच्छा होता कि सारे देश के कवियों तथा कलाकारों से कहा जाता कि उचित प्रकार के सरल संगीत का क्रय किया जायेगा, और हज़ार दो हज़ार रूपया प्रति गीत भी दिया जाता तो हम अधिक गीत तैयार कर सकते थे ।

समाचारों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम पर ध्यान दीजिये तो आप देखेंगे कि मंत्रियों के भाषणों तथा वक्तव्यों को उचित पत्रकारिता के किसी भी मापमान के अनसार अनुपात से अधिक स्थान दिया जाता है, यहां तक कि विरोधी कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न

[श्री साधन गुप्त]

हों फिर भी यदि उन के व्याख्यानों या वक्तव्यों का एक वाक्य का भी उल्लेख कर दिया जाये तो उसे अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिये ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि आकाशवाणी की विकास योजना के पूरे होने के बाद, मध्यम तरंगों पर प्रसारित कार्यक्रम देश की लगभग २२ करोड़ जनता द्वारा सुना जा सकेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक सस्ते रेडियो सेट न बनें २२ करोड़ जनता यह प्रोग्राम सुन कैसे सकेगी । इस के लिये चाहिये यह था कि जब तक भारत इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन आरम्भ नहीं करता है सस्ते सेट बनाने के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता और यदि वह बिना राजकीय सहायता के सस्ते रेडियो सेट बनाने में असमर्थता प्रकट करते तो उन को सहायता दी जानी चाहिये थी ।

इस प्रतिवेदन में कलकत्ता स्टेशन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है जहां ५० किलोवाट का मध्यम तरंग स्टेशन बिना सोचे समझे एक ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया गया था जो ठीक नहीं था और अब उसको दूसरे स्थान में ले जाने में दो लाख रुपया व्यय किया जायेगा ।

आल इण्डिया रेडियो के प्रति जनता के मन में सन्देह बहुत दूर तक घर कर चुका है जो उस समय तक दूर नहीं हो सकता है जब तक कि उस की अच्छी तरह से जांच न की जाये । इस लिये मैं स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के एक जांच आयोग के नियुक्त के किये जाने की पुनः मांग करता हूं । बी० बी० सी० की कितनी ही बार जांच हो चुकी है और यदि मंत्री महोदय के मन में कोई कपट नहीं है तो उनको इस चुनौती को सब से पहले स्वीकार करना चाहिये ।

श्रीमती शिवराजवती नहरू (ज़िला लखनऊ—मध्य) : सभापति महोदय, आप की आज्ञा से आल इण्डिया रेडियो के सूचना विभाग के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगी । इस विभाग ने बहुत अच्छी दिशाओं में क़दम उठाये हैं और कई एक अच्छी बातें भी की हैं, जैसे ५० किलोवाट के कई एक ट्रांसमीटर लगाना और—लाइट म्युजिक के कार्यक्रम शुरू करना । इन चीज़ों की इस देश में बहुत आवश्यकता भी थी । अभी हमारे भाइयों ने उसकी बहुत आलोचना की । हमारे मंत्री जो भी काम करते हैं उनके बारे में कोई कन्स्ट्रक्टिव बात तो नहीं कही जाती है परन्तु उसकी आलोचना ही की जाती है आलोचना करना तो बहुत आसान होता है और यह हमेशा की भी जा सकती है । अभी कहा गया कि लाइट म्युज़िक में रुपया वैस्ट किया गया है । जब पक्के गाने बहुत अधिक मात्रा में दिये जाते हैं तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि पक्के गाने किसी की समझ में नहीं आते हैं और किसी को अच्छे नहीं लगते हैं । मैं तो इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि जो कोई भाई भी हमारी आलोचना करें वह कोई कन्स्ट्रक्टिव बात भी हमें बताये । जब तक इस आलोचना के साथ साथ कोई कन्स्ट्रक्टिव बातें हमें नहीं बताई जाती तब तक आलोचना करना व्यर्थ है और यह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । मेरे नज़दीक़ ऐसी आलोचना जो कि सुधार के उपाय बताये बिना की जाती है बेमानी होती है और केवल क्रिटिसिज्म के लिये ही होती है जैसा कि हमारे आपोज़ीशन वालों का एक रवैया सा हो गया है कि हर बात को क्रिटिसाइज़ किया जाये ।

इस विभाग का जो सूचना विभाग है उसमें पिछले दिनों के मुक़ाबले में इस समय

काफ़ी उन्नति हो रही है और उसके प्रकाशन विषय तथा गेट अप विभागों ने काफी तरक्की की है । अच्छी फ़िल्में बनाने वालों के लिये पुरस्कार इत्यादि देने का जो फैसला किया गया है यह स्वागत करने योग्य है । इस से हमारी फ़िल्में बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा । छोटे छोटे बालकों के लिये फ़िल्में बनाने की जिस योजना पर विचार हो रहा है यह भी बहुत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा । यह दोनों ही बातें प्रशंसनीय हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से, मैं, सभापति महोदय देख रही हूं कि इस विभाग के मंत्री ने इस विभाग में जो कुछ कमियां थीं उनको पूरा करने का प्रयत्न किया है और उस में उनको बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है । यदि हम देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे जो देहाती प्रोग्राम हैं उन्होंने हमारे देश में एक जागृति की लहर उत्पन्न कर दी है । आज हमारे देहाती बहुत अधिक शिक्षित न होते हुये भी बहुत समझदार हो गये हैं और हमारे देश की कठिनाइयों और समस्याओं से भली भांति परिचित हो गये हैं । यह सब इस विभाग की देन है । अध्यक्ष महोदय, इस में अभी भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहती हूं और कुछ ऐसी कमियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जिन को दूर करना एक विभाग के लिय आवश्यक है । सब से पहले सभापति महोदय, मैं कुछ आल इण्डिया रेडियो के सम्बन्ध में कहूंगी । मेरे विचार में आल इन्डिया रेडियो के जो कर्मचारी हैं उनकी कंडिशन में और उनके टर्म्स आफ सर्विस में कुछ सुधारों की आवश्यकता है । इतने अधिक कर्मचारियों को इतने अधिक समय तक और एक अनिश्चित समय तक टेम्पोरेरी बेसिस पर रखना, मेरे विचार में, उचित नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देंगे और यथासम्भव इसके अन्दर सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ।

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं वह यह है कि आल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों में विद्यार्थियों के कार्यक्रमों के लिये बहुत कम समय दिया जाता है । कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आल इंडिया रेडियो का प्रयोग मनोरंजन तथा दिल बहलाव के लिये ज्यादा अधिक करते हैं और शिक्षा के लिये जितना इसका प्रयोग होना चाहिये, नहीं करते हैं । मेरे विचार से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये इसमें और ज्यादा प्रोग्राम रखने चाहियें । हमारा राष्ट्र अभी अल्प-व्यस्क है और यदि हम इसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें अपने इन कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान देना होगा और इस के साथ ही साथ जो हमने पंच वर्षीय योजना बनाई है इसके प्रचार की ओर भी अधिक ध्यान देना होगा ।

प्रचार विभाग के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं और वह यह है कि हमारे देश में जितने भी महान् व्यक्ति हुये हैं उनकी जीवनीयों का सच्चा और संक्षिप्त प्रचार इस विभाग द्वारा होना चाहिये । इस से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो हमारे देश के राजनीतिक नेतागण हैं उनकी जीवनियों का प्रचार न हो, वरन् हमारे देश में सौ वर्ष से अनेकों सामाजिक और धार्मिक सुधारक हुये हैं और जिन्होंने आज भी राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में, जैसे विज्ञान में, कला में, साहित्य में, संगीत में काफी नाम पैदा किया है ऐसे आदमियों की जीवनी और उन के कार्यों का यदि हम रेडियो से प्रचार करें तो वह हमारे देश के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

अब, सभापति महोदय, इस के बाद में फिल्मों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं जहां मुझे सब से अधिक त्रुटियां दिखाई देती हैं। हमारे आचरण में, हमारी शिक्षा के मामले में और दूसरी बातों में कितना ज्यादा महत्व है और कितनी प्रभावशाली यह होती है, वह आप सब को मालूम ही है और मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश में जो चल चित्र का उद्योग है यह हमारे देश के उद्योगों में शायद चौथा उद्योग है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रति वर्ष हमारे देश में ६० करोड़ व्यक्ति सिनेमा देखते हैं यानी ६० करोड़ टिकटें बिकती हैं और इसे लगभग हमारे देश को २० करोड़ की आय होती है। इसलिये यह बड़ा आवश्यक है कि इस पर हमारी सरकार का नियंत्रण अधिक रहे। मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि हमारे यहां जो चित्र बनाये जाते हैं उन का स्तर दिन प्रति-दिन गिरता ही जाता है और इस में सुधार की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहती कि जितने भी चित्र बनाये जाते हैं वे कुप्रभाव डालते हैं। अच्छे चित्र भी बनते हैं। लेकिन ऐसे चित्र जो अच्छे भी हों और शिक्षाप्रद भी नहीं बनाये गये हैं। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत से चित्र ऐसे बनते हैं जिन का कला और नैतिक दृष्टि से स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ होता है।

आजकल, अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी फिल्में देखते हैं, जैसे कि एक अवारा फ़िल्म है। अब आप सोचिये, अध्यक्ष महोदय, कि इसका नाम ही कितना अनुचित है। अगर हम एक आवारा को अपने फिल्म का नेता और हीरो बनायें तो आवरगी ऐसे एक अवगण को अच्छाई में परिणत करना है। और उसकी प्रशंसा करके उसको बजाय बुराई के गुण बना देना है। अध्यक्ष महोदय, यह फ़िल्म हमारे शहर लखनऊ में लगभग तीन चार महीने तक चलती रही। इसकी दिलकशी और मनोरंजकता जो थी उसमें अन्त तक कमी नहीं हुई। अन्त तक हाउस खचाखच भरा रहता था। जैसी यह फ़िल्म है वैसे ही इसके गाने भी थे हालत यह हुई कि सारे शहर के जो मामूली श्रेणी लोग हैं, जैसे तांगे वाले, इक्के वाले, रिक्शा वाले, बालक, और नौकरपेशा या खोंचे वाले, सभी जगह मुहल्ले में सड़कों पर गलियों के अन्दर, हर समय यही राग अलापते दिखायी देते थे कि "मैं आवारा हूं, मैं आवारा हूं, और सब दुनिया से न्यारा हूं।" अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये कि यह कैसा अश्लील और बेमानी गाना है। अध्यक्ष महोदय, हमारी फिल्मों में चोरों और डाकुओं को हीरो बनाया जाता है और उन चोरों और डाकुओं में अच्छे अच्छे गुणों का प्रदर्शन किया जाता है। हमको तिजोरियों का तोड़ना, हत्या करना, चोरियां करना, दीवार फांदना इत्यादि सभी प्रकार की चार सौ बीसी करना इन फिल्मों के द्वारा सिखाया जाता मेरा इससे यह अभिप्राय नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश में सभी फिल्मों में ऐसा किया जाता है, किन्तु कुछ फ़िल्में ऐसी हैं जिनमें ऐसी बातें सिखायी जाती हैं। मुझे इस बात का बड़ा अचम्भा है कि सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सैंसर्स के होते हुए भी इस प्राकर के चित्रों का कैसे प्रदर्शन हो पाता है ?

मुझे यह देख कर दुख होता है कि हम फ़िल्मों से केवल धन कमाने का एक व्यापार कर रहे हैं, और एक ऐसे शिक्षाप्रद और शक्तिशाली यंत्र का उचित उपयोग करके हम उससे पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की इस

तरुण अवस्था में रेडियो के प्रोग्रामों का और फ़िल्मों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग राष्ट्र के उद्धार के लिये किया जाय ।

इस सिनेमा के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय और वह यह कि हमारे सारे देश में सिनेमा-घरों की कुल संख्या सवा तीन या साढ़े तीन हज़ार है । इतने विशाल देश के लिये यह संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है। किन्तु यह कुल संख्या कुछ थोड़े से बड़े बड़े शहरों के अन्दर संचित हो गयी है । ऐसा लगता है कि हमारे नगर निवासियों को धन कमाने के लिये दूसरा कोई काम ही नहीं रह गया है । हालत यह है कि नये सिनेमाघर बनाने वाले न तो यह देखते हैं कि यहां शिवालय, है या यहां मन्दिर है, या यहां मस्जिद है या गिरजाघर है या अस्पताल है या स्कूल है, जहां ज़मीन पायी वहीं सिनेमाघर बना कर खड़ा कर दिया । कुछ बड़े बड़े नगरों में इनकी संख्या पन्द्रह पन्द्रह, बीस बीस तक पहुंच गयी है और अभी यह संख्या बढ़ती ही चली जाती है । इसके उपर भी सरकार को कुछ प्रतिबन्ध रखना चाहिये । सरकार को ऐसा कोई नियम बनाना चाहिये कि बड़े शहरों में सिनेमा घरों की संख्या कितनी हो और किन किन स्थानों में ये सिनेमाघर बनाये जायें ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे और कहनी है । वह है हमारी शिक्षा के सम्बन्ध में । शिक्षा के सम्बन्ध में एक कवि ने कहा है: "हम ऐसी सब किताबें क़ाबिले ज़ब्ती समझते हैं, कि जिन को पढ़ के लड़के बाप को खब्ती समझते हैं ।" यही चीज़ इन फ़िल्मों पर लागू होती है । और मेरा सुझाव है कि ऐसी सब फिल्मों का प्रदर्शन सरकार की ओर से बन्द कर दिया जाय जो हमारे राष्ट्रीय जीवन को ऊपर नहीं उठाती हैं, जो लक्ष्य हीन हैं, जो कोई उच्च आदर्श हमारे सामने पेश नहीं करती हैं और हमारे सामने कोई ऐसा साधन नहीं प्रस्तुत करती हैं जिससे हम जीवन में उन्नति करने के लिये उत्साहित हों ।

मैं आशा करती हूं कि हमारा रेडियो और सूचना विभाग दिनों दिन उन्नति करेगा और जो कुछ मैंने थोड़े से सुझाव सरकार के सामने रखे हैं उन पर विचार किया जायगा।

सभापति महोदय: श्री गाडगील । मैं देखता हूं कि वे खड़े नहीं हुये । यदि वह न बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें बाध्य नहीं करता ।

श्री गाडगील (पूना—मध्य) : मैं बोलना चाहता हूं । किन्तु क्रम-पत्र से यह दिखायी पड़ता है कि श्री एन० श्रीकान्तन नायर "चलचित्र विवाचन सम्बन्धी नीति का अननुमोदन" विषय पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं । मैं उनके बाद बोलना चाहूंगा, पहले नहीं ।

सभापति महोदय : श्रीमती उमा नेहरू । वह भी नहीं खड़ी हो रही हैं । कठिनाई यह है कि मेरे पास कागज़ के पर्चे भेजे जाते हैं और मैं यह फैसला नहीं कर सकता कि मैं किस क्रम से वक्ताओं को बुलाऊं ? कई शिकायतें की जाती हैं कि हमें अवसर नहीं मिला है । यदि कोई माननीय सदस्य मेरे पास पर्चे भेजते हैं तो यह मुझ पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि मैं उन्हें किस समय बुलाऊं । यदि वे किसी खास समय अपनी इच्छा से बोलना चाहें, तो प्रत्येक सदस्य को अवसर देना कठिन है । यदि कोई माननीय सदस्य, जिन्होंने मेरे पास पर्चा भेजा है, मेरे बुलाने पर बोलने के लिये खड़े न हों, तो मैं यह समझूंगा कि वह बोलना नहीं चाहते ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : इस निर्णय के सम्बन्ध में, आप इस प्रथा का अनुसरण करें कि जो सदस्य खड़े होते हैं और

[डा० सुरेश चन्द्र]

सभापति का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय: प्रत्येक विषय को कई प्रकार से निपटाया जा सकता है । एक तरीक़ा यह है कि मेरे पास पर्चा भेजने के बाद यह मुझ पर छोड़ दिया जाय कि मैं अपनी इच्छानुसार उन्हें बुलाऊं । मैं नहीं चाहता कि सभी सदस्य प्रत्येक बार खड़े हों । यदि कोई सदस्य किसी विशेष समय पर बोलना चाहें, तो उन्हें उस समय कम से कम खड़ा हो जाना चाहिये । अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह निर्णय मुझ पर छोड़ दिया जाय अन्यथा प्रत्येक सदस्य को अवसर देना कठिन होगा और चर्चा सुचारु रूप से नहीं हो सकेगी ।

श्री **डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : वास्तव में इस मंत्रालय द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को बिलकुल नहीं के बराबर सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । साथ ही व्यक्तिगत शिकायतों और प्रशासनिक कठिनाइयों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयत्न किया गया है । यदि कुछ व्यक्तियों के प्रति अन्याय हुआ है, उन्हें उनका उचित भाग नहीं मिला है अथवा क्रय के अनुसार उनकी पदोन्नति नहीं की गयी है या उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है, तो मैं यह कहूंगा कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और किसी को कहने या सोचने का मौक़ा नहीं मिलना चाहिये कि उसे उचित भाग नहीं दिया गया है । इन बातों के विस्तार में जाने में कोई सार नही है ।

एक शिक़ायत यह की गयी है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के सांस्कृतिक हितों की देखभाल नहीं करता । मुझे खेद है कि ऐसी शिकायत की गयी है । गत एक या दो वर्षों में आकाशवाणी में बहुत परिवर्तन हुआ है । मैं कह सकता हूं कि इस मंत्रालय ने औपनिवेशवाद के अवशिष्ट निकाल फेंके हैं । आल इंडिया रेडियो और इस मंत्रालय के लिये एक संक्रमणकाल था जिस में कई कठिनाइयां थीं । पूर्व प्रशासन की देन से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे, किन्तु आज मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि अब हमने उससे छुटकारा पा लिया है अब इस मंत्रालय और विभागों के सामने एक निश्चित राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय लक्ष्य है । इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि यह मंत्रालय हमारे देश के सांस्कृतिक अथवा अन्य प्रकार के विभिन्न हितों की यथासम्भव उत्कृष्ट रूप से सेवा कर रहा है । इस प्रतिवेदन से यह ज्ञात होगा कि जहां तक प्रकाशन विभाग का सम्बन्ध है, उसकी ओर से प्रकाशित पुस्तकों से हमारी संस्कृति, भारतीय नाटक, भारतीय साहित्य आदि का पूर्ण दिग्दर्शन होता है । मैं तो यह कहूंगा कि इस दिशा में मंत्रालय के प्रयत्न प्रशंसनीय हैं । मैं यह नहीं कहता कि वे पर्याप्त हैं क्योंकि पर्याप्त प्रयत्नों के लिये अधिक निधि और बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता है । जो रास्ता यह मंत्रालय अपना रहा है, उससे राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे ।

कार्यक्रमों के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारे देश में भी बी० बी० सी० के कार्यक्रमों के अनुरूप कार्यक्रम बनाये जाने चाहियें बी० बी० सी० की स्काटिश मंत्रणा परिषद् जिस प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित करती है उसी आधार पर यदि हमारे कार्यक्रम बनाये जायें तो मेरी समझ से इस प्रकार की शिक़ायतों के लिये बहुत कम गुंजाइश रहेगी ।

अब मैं चलचित्रों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कल शाम ही मैं ने एक चलचित्र देखा

था जिसमें मैंने यह पाया कि अपराध का चित्रण नैतिकता, लैंगिक सम्बन्धों तथा अन्य चीज़ों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में इसे प्रतिवेदन में दिये गय सभी आदेशों को ठुकराया गया है और उनका उल्लंघन किया गया है । मैं नहीं समझ पाता कि चलचित्र निर्वाचन बोर्ड किस प्रकार ऐसे चलचित्रों को प्रमाणित कृत कर देता है । इन चलचित्रों में अपराधिकता और अशिष्टता और सभी प्रकार की भद्दी बातों पर ज़ोर दिया जाता है । यदि हमें अपने राष्ट्र की उन्नति करनी है तो ऐसे चलचित्रों का पहले की अपेक्षा अधिक सावधानी से परीक्षण किया जाना चाहिये । यदि इन चल चित्रों का कोई शैक्षणिक प्रभाव अपेक्षित हो तो मेरे विचार से उनके स्वरूप और रंग ढंग और सामाजिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में सुधार किया जाना चाहिये । मुझ विश्वास है कि जब तक यह नहीं किया जायगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा ।

अब यह कहा जाता है कि हमारे और और राष्ट्र के बीच ए० आई० आर० एक कड़ी है किन्तु मैं यह कहूंगा कि अभी तक वह कोई बहुत मज़बूत कड़ी नहीं है । कितने सामूहिक सेट हमने स्थापित किये हैं, हमारे स्कूलों में कितने सेट हैं और हमारे देश में कितनी अनुज्ञप्तियां हैं ? यदि हमें सरकार और राष्ट्र के बीच की इस कड़ी को मज़बूत करना है, तो इन चीज़ों को अधिक प्रोत्साहन देना होगा । साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि ए० आई० आर० के प्रशासन में विभिन्न स्तरों में एक साझेदारी की भावना उत्पन्न करनी होगी। इस भावना के अभाव में, कोई भी उपयोगी कार्य नहीं किया जा सकता । यह मैं इसलिये कहता हूं कि ए० आई० आर० में काम करने वालों में यह भावना नहीं है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विभाग के कर्मचारियों में साझेदारी की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करें ।

मैं ने इसी सभा में लोगों को यह कहते सुना है कि हमारे समाचारीय चलचित्र हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते । मेरी राय में उनकी यह विचारधारा बिलकुल ग़लत है । हमारे समाचारीय चलचित्र बहुत सफल रहे हैं और शिल्पशैली और निर्माण की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं । किन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे प्रलेखीय चलचित्रों के सम्बन्ध में भी वही स्तर कायम रहे । हमारे प्रलेखीय चलचित्र ऐसे होने चाहिये जिनसे कि हमारे लोग जान सकें कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है । अन्त में मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सार्वजनिक संचार का कार्यक्षम साधन बनाना है, तो उस के क्षेत्र को अधिक विस्तृत किया जाना चाहिये और उसके साधनों को अधिक बढ़ाया जाना चाहिये और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिये जिस से कि कर्मचारी वर्ग के विभिन्न स्तरों में साझेदारी की वह भावना उत्पन्न की जा सके जिसका निर्देश हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार किया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : माननीय सभा पतिजी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि आलोच्य वर्ष में इस मंत्रालय ने ऐसे कार्य किये हैं जो सराहनीय हैं, क्षेत्रीय प्रचार का कार्यक्रम इस मंत्रालय ने अपने हाथ में लिया है, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि हम ने सम्पूर्ण देश में ऐसे ऐसे कम दाम वाले सेट्स, कम्युनिटी सेट्स बनाये हैं जिन से हम सम्पूर्ण देश में जो विकास के चल रहे हैं उन का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह नहीं चाहता कि रिपोर्ट में जो कुछ वर्णन किया

[श्री भागवत झा आज़ाद]

गया है उस को दोहराऊं। यह रिपोर्ट सब के सामने है और जितने भी कार्य किये गये हैं उन के विवरण पृष्ठ एक से अन्तिम पृष्ठ तक हैं। लेकिन मैं मंत्रालय का ध्यान उन प्रश्नों की ओर ले जाना चाहता हूं जो आज सन्तोषजनक रूप से नहीं हो रहे हैं।

मैं अपने इस कम समय में केवल तीन चार विषयों पर प्रकाश डालूंगा और वह यह हैं कि आज तक आकाशवाणी, दिल्ली देश में अपने प्रोग्राम का कोई भी माप दण्ड तैयार नहीं कर पाया है। दूसरी बात यह है कि आज इस रेडियो की कोई भी हिन्दी नीति नहीं है। तीसरी बात रेडियो में काम करने वाले कलाकारों के प्रति उपेक्षा की नीति है और चौथी बात यह है कि आकाशवाणी, दिल्ली जो समाचार प्रसारित करता है वह समाचार ताज़े नहीं बल्कि बासी हुआ करते हैं।

सभापति जी, मैं यह जानता हूं कि हमारे सामने बार बार बी० बी० सी० का उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि बी० बी० सी० का जो माप दंड तैयार हो सका है उस का विशेष कारण यह है कि बी० बी० सी० को स्वयं औद्योगिक क्षेत्र से ही काम करना पड़ता है इसलिये उस ने सम्पूर्ण देश में अपनी नीति और अपना माप दंड लोगों की रुचि को जान कर तैयार कर दिया। लेकिन हिन्दुस्तान सात लाख गांवों का देश है, इस लिये यहां ऐसा करना सम्भव नहीं है। लेकिन क्या इस का यह अर्थ है कि हिन्दुस्तान ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात साल बाद भी और इस के लिये प्रयत्न करने के बाद भी, कोई ऐसा माप दंड तैयार न करे ? क्या इस का अर्थ यह है कि बी० बी० सी० ने जो सराहनीय कार्य किया है उस को देखते हुये यह सात वर्ष बहुत कम हैं और इतने समय में हम अपने देश की अभिरुचि, अपने देश के टेस्ट और माप दंड को नहीं जान पाये हैं ? आज जो कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली प्रसारित करता है उस के लिये, चाहे वह गाना सुनाने वाला हो, चाहे कोई शिक्षाप्रद विषय सुनाने वाला हो, इन तमाम चीज़ों में कोई भी ऐसी चीज़ देने का प्रयत्न नहीं करता है जिन से लोगों को आनन्द मिले। आज आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन से ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे प्रोग्राम और चीज़ें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है जिन से जनसाधारण की कोई रुचि नहीं होती है। मैं मानता हूं कि इस देश में गाने सुनने वालों की, विशेषकर शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा, वग़ैरह सुनने वालों की भी कुछ संख्या है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे जानने वालों की संख्या कितनी है और क्या उस संख्या की प्रतिशतता से आकाशवाणी, दिल्ली के कार्यक्रम में गाने सुनाये जाते हैं ? मैं आज यह कह सकता हूं कि आकाशवाणी, दिल्ली ने कोई भी माप दंड तैयार नहीं किया है। जो कार्यक्रम आज वहां से प्रसारित किये जाते हैं अगर उन का लेखा जोखा किया जाय तो उन से साफ साफ मालूम होता है कि आकाशवाणी, दिल्ली से जो प्रोग्राम प्रसारित किये जाते हैं वह व्यक्ति विशेष के लिये हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा हैं और व्यक्ति विशेष द्वारा चुने गये हैं। अगर यह बात नहीं है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सूची में आकाशवाणी, दिल्ली ने आलोच्य वर्ष में कितने कलाकार तैयार किये, ऐसे नये कलाकार जो ड्रामा से सम्बन्ध रखते हैं, जो अच्छे अच्छे कथानक से सम्बन्ध रखते हैं, जो ऐसे प्रोग्राम देश के सामने रखते हैं जिन में जनसाधारण की रुचि हो ? मैं जानता हूं कि जो बड़े बड़े आफिसर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग इस सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी गण हैं, उन के सामने एक सूची है जिस में

व्यक्ति विशेष के नाम हैं और चाहे किसी चीज़ का प्रोग्राम हो, चाहे वह संगीत का प्रोग्राम हो, चाहे कविता का प्रोग्राम हो, चाहे लेखों का प्रोग्राम हो, वे ही व्यक्ति बारबार साइकिल रोटेशन में हमारे सामने आते हैं और आल इंडिया रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि देश के नये नये कलाकार आज जंगली फूल की नाईं खिलते हैं और उन पर हमारे माननीय मंत्री जी की या माननीय मंत्री जी के सलाहकारों की दृष्टि नहीं जाती है । वह अपनी सुगन्ध और प्रकाश को बिना जनता को दिखाये हुये ही मुरझा जाते हैं और बिखर जाते हैं और हम उन से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं ।

इसलिये मेरा प्रथम तो यह कहना है कि आल इंडिया रेडियो ने आज तक कोई भी माप दंड तैयार नहीं किया है और न उसने आज तक ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है जिस के कारण वह अपनी कला और ज्ञान का अमृत जनता को नहीं दे सकते हैं । मेरी दूसरी आलोचना यह है कि आल इंडिया रेडियो ने आज तक कोई भी हिन्दी की नीति निर्धारित नहीं की है । इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है, सभापति जी, कि अगर आप एक सप्ताह तक जो समाचार ऑल इण्डिया रेडियो, दिल्ली से प्रस्तुत किये जाते हैं, उन को नियमित रूप से सुनें तो आप को पता चलेगा कि उन में ही जो उन्होंने अपना माप दंड रखा है वह ग़लत है । कभी कभी कहा जाता है कि 'सवाल' नहीं 'प्रश्न' लिखो, कभी कहा जाता है 'समस्या' नहीं 'मसला' लिखो, कभी कहा जाता है 'बड़ा दफ्तर' नहीं 'सचिवालय' लिखो । इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम रखे जाते हैं । मैं जानता हूं कि इस का कारण यह है कि आकाशवाणी, दिल्ली में हिन्दी जानने वाले लोग बहुत कम हैं । चाहे कोई वहां के लाट साहब ही क्यों न हों, कोई भी बड़े से बड़े अफसर क्यों न हों, कोई हिन्दी नहीं जानते हैं । मुझे तो ताज्जुब हुआ कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे हिन्दी के सुपरवाइज़र साहब श्री वात्स्यायन जी थे उन को वहां से नौकरी से हटा दिया गया । उन को यह कह कर हटा दिया गया कि हिन्दी का माप दण्ड तैयार हो चुका है और अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । यह वह साहित्यकार था जिस ने हिन्दी के सुधार के लिये बहुत ज्यादा कोशिश की । उसको केवल इतना कह कर ही हटा दिया गया है कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी का मपा दण्ड तैयार हो गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि मसले और प्रश्न के नामों के बारे में आप ने फैसला कर लिया और उन सब अक्षरों के बारे में जिन का कि ज़िक्र मैं ने अभी किया है आप ने फैसला कर लिया है ? अभी तक यह सब प्रश्न हल नहीं हुये हैं । मुझे यही बताया गया है कि उनको सिर्फ उस लिये हटाया गया है....

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसलर) : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी अफ़सर की नियुक्ति या उसके हटाये जाने के बारे में उसका नाम ले कर इस हाउस में चर्चा हो सकती है ?

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति । वाद-विवाद सम्बन्धी नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं । नियमों के अनुसार किसी सदस्य को किसी अधिकारी विशेष का नाम नहीं लेना चाहिये । वाद विवाद को व्यक्तिगत विद्वेषों के लिये काम में नहीं लाया जाना चाहिये । वादविवाद में व्यक्तिगत उल्लेख नहीं होने चाहियें । अतः माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह उक्त विभाग की नीति सम्बन्धी बातों पर ही चर्चा करें ।

श्री गाडगील: यदि अधिकारी का नाम न लिया जाये तो वह उसके हित में ही है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उसे जानता भी नहीं हूं। मैं सिर्फ उसके लेखों से परिचित हूं। मैं उनकी यहां पर कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि अभी तक हिन्दी का कोई माप दण्ड तैयार नहीं हुआ और उसको कोई कारण बताये बिना, सिर्फ इतना कह कर कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकाल दिया गया है। मैं उसकी कोई सिफारिश नहीं करता हूं। यह सिफारिशें आल इंडिया रेडियो में बहुत होती हैं। यह एक चरागाह है जिस में जिस को भी चाहे रख लिया जाता है और जिस को चाहे निकाल दिया जाता है। तो मैं यह कह रहा था कि आल इंडिया रेडियो के पास कोई निर्धारित नीति नहीं है। अगर आप दिन प्रति दिन समाचार सुनें तो आपको मालूम होगा कि अभी तक हिन्दी की कोई शब्दावली नहीं बनी है। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता था कि हिन्दी की कोई नीति न बनने के बावजूद भी क्यों उस अफसर को निकाला गया है।

तीसरी आलोचना यह है कि यद्यपि डा० केसकर के आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो के कलाकारों के कुछ ग्रीवेंसिज़ हल हो गये हैं लेकिन फिर भी अभी तक बहुत से ग्रीवेंसिज़ हल होने को बाक़ी हैं आज भी रेडियो कलाकारों के सामने कोई प्रोत्साहन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन कलाकारों के साथ आज भी वर्गभेद किया जाता है। इन की महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि बी० बी० सी० के जो कलाकार हैं उनका स्तर बहुत ऊंचा होता है। इसका एक ख़ास कारण है। उनके साथ न्याय किया जाता है। उन के लिये पेंशन का इन्तज़ाम है। जब उनसे कोई ड्रामा कराया जाता है तो यह देखा जाता है कि उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाये। उसका इम्प्रैशन लेकर आप क्या करते हैं ? यहां पर तो कलाकारों के लिये बैठने की जगह नहीं होती है। जब तक आप उनकी दिक्क़तों को दूर नहीं करते हैं आप स्तर ऊंचा नहीं कर सकते हैं। आप अपने अफ़सरों को अर्नड लीव देते हैं और चार महीनों की देते हैं लेकिन आप इन कलाकारों को ४२ दिन की ही अर्नड लीव देते हैं। जब तक इन की शिक़ायतों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक कलाकारों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। इन के साथ न्याय होना चाहिये। कलाकारों का स्तर ऊंचा हो, इस के लिये आप को उन को सन्तुष्ट करना चाहिये। आज ऑल इंडिया रेडियो की नीति इन के प्रति वही है जो कि सात वर्ष पहले थी। इनकी कोई १५ शिकायतें हैं जो कि मेरे पास लिखी हुई है। इन सब को दूर करना आप का फर्ज़ है।

आज विकास के क्षेत्र में मैं समझता हूं आकाशवाणी दिल्ली ने जो भाग लिया है वह नगण्य है। इस दिशा में भी काफी तबदीली करने की ज़रूरत है। अभी तक विकास कार्य करने का बड़ा स्कोप है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

श्री बी० डी० शास्त्री (शहडोल—सीधी) : आदरणीय सभापति महोदय, अभी अभी एक देवी ने अपने भाषण के सिलसिले में बताया कि विरोधी दल केवल आलोचना

करना ही जानता है और उसके पास इसके सिवा कुछ नहीं है । मैं समझता हूं कि किसी को भी आलोचना से डरना नहीं चाहिये । जो स्वस्थ होता है वह यह सोचता है कि जो भी आलोचना की जाती है और त्रुटियां बताई जाती हैं उन को दूर कर अपने आप को और मजबूत बनाये ।

मैं जहां तक समझता हूं सूचना और प्रसारण विभाग दुनिया के जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं उनमें से सब से आवश्यक है । सूचना तथा प्रसारण विभाग पर एक बहुत लम्बे चौड़े देश को एक दूसरे के नज़दीक रखने का श्रेय होता है । इस लिये किसी तरह की कमी इस में रह जाय तो बहुत दुःख की चीज़ हो जाती है ।

मुझे एक तो यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि एस्टीमेट्स कमिटी ने अपनी ११ वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि एक एक मिनिस्टरी के साथ एक एक इन्फारमेशन आफिसर नियुक्त न किया जाये बल्कि संयुक्त दृष्टिकोण से उनकी नियुक्ति की जाये । उससे कम से कम जितने लोग हो सकते हैं उन में काम बांटा जा सकता है और ज्यादा लोगों की भर्ती की आवश्यकता नहीं हो सकती । लेकिन इस के बाद ६ इनफारमेशन आफिसरों की नियुक्ति की गई है और वह भी यू० पी० एस० सी० के ज़रिये से नहीं की गई है क्योंकि उन्हें यह शक़ था कि यू० पी० एस० सी० इन लोगों को जिन को कि वे चाहते थे रखता या न रखता । इस लिए अपने आदमियों को लाने के लिये उन्होंने भोली भाली अपनी डिपार्टमेंट कमेटी के द्वारा ही नियुक्त कर लिया । इन पोस्ट्स को एडवरटाईज़ भी नहीं किया गया क्योंकि मुमकिन है कि एडवरटाईज़मेंट में उन से ज्यादा योग्य लोग आ जाते । और उनके मुक़ाबले में यह लोग न लिये जाते । मैं समझता हूं कि यह ऐसे आदमी होंगे जिन को लेना ज़रूरी समझा गया, इस लिये इन पोस्ट्स को एडवरटाईज़ भी नहीं किया गया । मैं ने तो सुना है, पता नहीं सच है या नहीं, इन में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन को कि यू० पी० एस० सी० ने रिजेक्ट कर दिया था । इस के साथ ही साथ जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस इन पोस्ट्स के लिये रखी गई थीं उन क्वालिफिकेशंस को इन के केस में रिलैक्स कर दिया गया क्योंकि यह लोग उन क्वालिफिकेशंस को कवर नहीं करते थे । इन सब बातों के होते हुये भी इन लोगों को मिनिस्टरी के अन्दर रख लिया गया है । शायद उसमें एक नाटककार भी है । और एक वैज्ञानिक भी है जिनका इनफारमेशन से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । लेकिन मुझे ऐसी सूचना मिली है ।

इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं । मिनिस्टर साहब ने यह सोचा था कि इनफारमेशन आफिस में एक अच्छा अनुभवी हिन्दी पत्रकार नियुक्त किया जाता और वह इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकता था । उन्होंने शायद इसके लिये आश्वासन भी दिया था कि हम सोच रहे हैं कि एक अच्छे अनुभवी पत्रकार को प्रिंसिपल इनफारमेशन आफिसर बनाकर नियुक्त करेंगे । लेकिन क्या आज तक उन्होंने उसे नियुक्त किया, या वह बात भी उनकी आकाशवाणी की तरह आकाश की चीज़ हो कर रह गयी ?

अभी हमारे भाई आज़ाद ने बताया कि इस विभाग में हिन्दी की कितनी अवज्ञा होती है । वस्तुतः जब राष्ट्र ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो हमें उसे हर तरीक़े से ऊपर उठाना चाहिये । सूचना और प्रसार विभाग के ज़रिये ही हिन्दी दृढ़ हो सकती है और सारा देश इसे पकड़ सकता है । लेकिन मैं बतलाऊं कि आजतक इस विभाग का सारे देश में कोई भी हिन्दी का दफ्तर नहीं है । सिर्फ लखनऊ में एक

[श्री बी० डी० शास्त्री]

हिन्दी का दफ्तर खोला गया है, वह भी शायद उत्तर प्रदेश की सरकार के ज़ोर देने पर। शायद उन्होंने यह कहा था कि यदि इस विभाग के पास इस काम के लिये पैसा नहीं है तो हम पैसा दे सकते हैं। तब यह दफ्तर खोला गया। जब हिन्दी का यह हाल है तो प्रान्तीय भाषाओं के अलग दफ्तर का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हमारा मतलब यह है कि हम बजाय हिन्दी को प्रोत्साहन देने के अंग्रेज़ी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि हमने हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार किया है।

अभी मिनिस्ट्री ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखने के लिये कुछ सम्वाददाताओं के एक शिष्टमंडल को भेजने का निश्चय किया था। भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ सम्वाद-दाता लोग गये थे। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि उनमें से हिन्दी गुजराती, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं के सम्वाददाता कितने थे और अंग्रेज़ी के कितने थे। जहां तक मैं जानता हूं उनमें ९० प्रतिशत अंग्रेज़ी के थे और दस प्रतिशत हिन्दी के थे। दूसरी भाषाओं का तो सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार अंग्रेज़ी और हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं के बीच वर्गवाद पैदा करना मैं नहीं समझता कहां तक ठीक है।

दूसरी चीज़ यह है कि मैं एक तमाशा देख रहा हूं कि इनफारमेशन ब्यूरो किस तरह से काम कर रहा है। उसे जनता के हित को सामने रख कर काम करना चाहिये। वह देखे कि देश की क्या आवश्यकता है, हमें किस तरह की चीज़ें प्रकाशन में भेजनी चाहियें और किस तरह की चीज़ें छोड़नी चाहियें। बजाय इसके वह इस फ़िराक़ म रहता है कि मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं। उसका यह हाल है कि स्वामी" दिन को रात कहें, तो मैं तारे चमका दूं"। मुझे इसकी कई रिपोर्टें देखने को मिली हैं। मैं तो देखता हूं कि ब्यूरो की चापलूसी और प्रोपेगेंडा में ही ज्यादा दिलचस्पी है। मिनिस्टरों के बढ़िया बढ़िया फोटो ब्लाक्स निकलते हैं। अगर वह दस लाइनें कहते हैं तो उनकी ११ लाइनें निकलती हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी जो कि अपने क्षेत्र में नेतृत्व करता है, यदि वह कुछ कहता है तो उसकी एक दो लाइन निकलती है। तो यह एक निजी पबलिसिटी का साधन बन गया है बजाय इसके कि यह जनता का हित करता।

केवल इतने से ही इनको सन्तोष नहीं होता बल्कि प्राइवेट फंक्शन्स में भी इन फारमेशन ब्युरो के आदमी जाते हैं। अभी डा० केसकर ने अजमेर में एक भाषण दिया था। वहां भो इनफारमेशन ब्युरो के आदमी गये थे। इसके लिये मैं इनफारमेशन आफिस को भी दोष नहीं देता। उन पर ज़ोर डाला जाता है और उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम इस तरह नहीं करोगे तो न मालूम क्या नतीजा हो। इतनी सब चीज़ें मैं ने इनफारमेशन के ऊपर कहीं।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ब्राडकास्टिंग के बारे में। ब्राडकास्टिंग के बारे में मुझे यह कहना है कि जहां तक शासन प्रबन्ध का प्रश्न है, गत वर्ष भी यह एक हंगामा मचा हुआ था कि ५० प्रोग्राम असिस्टेंट निकाले जाने वाले हैं। वे चार इन्स्टालमेंट्स में निकाले जाने वाले थे। पहले २४ आदमियों को नोटिस दिया गया। उस नोटिस के मिलते ही एक आतंक सा फैल गया। लोग घबराये हुये कुछ तो प्रेस की शरण में गये और कुछ ने एम० पी० लोगों की शरण ली। इसका परिणाम

यह हुआ कि दूसरे इन्स्टालमेंट वाले बच गये । लेकिन जिनको नोटिस मिल चुका था वे २४ आदमी निकाल दिये गये। इन्होंने राज्य सभा में इस पर प्रश्न भी करवाये । उसके बाद उन में से १३, १४ आदमियों को एडहाक बेसिस पर रख लिया गया और बाकी को किसी और जगह लगा दिया गया । उनके लिये यू० पी० एस० सी० ने कहा था कि उनको जो जनरल सिलेक्शन होता है उसमें उन्हें बैठने का मौका दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और मुझे पता लगा है कि वे २४, २५ आदमी अब निकाल दिये गये हैं और आज भी बेकार हैं यद्यपि मिनिस्ट्री के पास उनके लिये बहुत काम है, वह जगह जगह रेडियो स्टेशन खोल रही है । वह चाहे तो इन अनुभवी आदमियों को इन कामों में आसानी से लगा सकती है । लेकिन न मालूम ऐसा क्यों नहीं किया जाता, शायद वह इनसे नाराज़ हैं और उनको शरण नहीं देना चाहते, और यह अनुभवी आदमी मारे मारे फिरते हैं । मैं तो चाहूंगा कि एक इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की जाय और वह देखे कि इनफारमेशन और ब्राडकास्टिंग में क्या क्या ग़लतियां हैं । हम लोग तो बाहर से सारी चीज़ें नहीं जान सकते । अगर इस काम को जानने वाले दस पांच आदमी इसकी जांच करें तो वे पता लगा सकते हैं कि इसके अन्दर क्या क्या राज़ है ।

अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको ब्राडकास्टिंग के सिलसिले में बताऊं । इस विभाग में वही होता है जैसा कि इनफारमेशन में । यहां भी मिनिस्टरों की स्पीचेज़ का और इस तरह की चीज़ों का प्रचुर मात्रा में प्रचार किया जाता है । मैं इसका आपको एक उदाहरण दूं । अभी हाल ही में दिल्ली हिन्दी पत्रकार संघ की ओर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी की स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया । उसमें हिन्दी के अनेक विद्वानों ने भाग लिया था । डा० केसकर भी वहां थे । और श्री बालकृष्ण शर्मा भी वहां पर मौजूद थे । उन दोनों ने उस अवसर पर अपने अपने भाषण दिये थे । लेकिन आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के लिये ५ मिनट तक ब्राडकास्टिंग होता है और कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा और वह कहा, पर बेचारे बालकृष्ण शर्मा का कहीं नाम भी नहीं है । वह भी एक प्रख्यात व्यक्ति हैं, लेकिन उनका नाम भी नहीं लिया गया । हम यदि इसे चापलूसी न कहें तो क्या कहें । यदि रेडियो की यही पद्धति रही तो मैं इसे क्या समझ सकता हूं ।

दूसरी बात मुझे उन रीडर्स के बारे में कहनी है जो कि रेडियो विभाग में रखे जाते हैं । अंग्रेज़ी के रीडर को ६०० रुपये दिये जाते हैं, तो हिन्दी के रीडर को ४०० ही दिये जाते हैं और प्रान्तीय भाषा वालों को ३०० या ४०० दिये जाते हैं। यह भेद भाव क्यों ? जब हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है तो उसके रीडर को भी ६०० रुपये क्यों नहीं दिये जाते ? एक को कम देना और दूसरे को अधिक देना यह तो वर्ग भेद करना होगा ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : अंग्रेज़ी वालों का भी चार सौ कर दिया जाय ।

श्री बी० डी० शास्त्री : हां, यह भी हो सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : जब अंग्रेज़ी वालों का कम किया जायगा तो वह कहेंगे . . .

श्री बी० डी० शास्त्री : देखा जायगा ।

इसके अलावा मैं रेडियो की क़ीमत के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा । जहां वह भी मीडियम वेव और

[श्री बी० डी० शास्त्री]

शार्ट वेव के स्टेशन खोल रहे हैं वहां मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस पर क्या क़दम उठाया जा रहा है कि देहाती इनसे लाभ उठावें । अभी हमारी एक बहिन ने बतलाया कि ग्रामीण तो इतने शिक्षित हो गये हैं और इतना समझने लगे हैं कि उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है । वह तो पंडित हो गये हैं । पता नहीं कि वह किस देहात में रहती हैं जहां एक एक आदमी पंडित हो चुका है । मेरा तो यह अनुभव है कि जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वहां सात आठ लाख की देहाती जन संख्या में मुश्किल से दस पन्द्रह रेडियो हैं और वह भी उनके पास जिनको छोटा कैपीटलिस्ट या ज़मींदार या इलाक़े दार कह सकते हैं । जो हमारे देहाती भाई क़स्बों में आते हैं, गुड़, तेल नमक लेने, वह सोचते हैं कि इस रेडियो में क्या है, क्या इसमें कोई आदमी बैठा रहता है जो बोलता है । अभी इसके द्वारा उनके योग्यता और पांडित्य हासिल करने का सवाल ही कहां है । मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहब यह सोच रहे हैं कि इसको कैरोसिन के आइल लैम्प पर चलाया जा सकता है या नहीं । लेकिन मैं समझता हूं कि वह तरीक़ा बहुत बोझिल और दिक्कततलब होगा । मैंने सुना है कि उसमें दाम भी ज्यादा खर्च होगा । मैं तो सोचता हूं कि सरकार अलग से एक रेडियो इन्डस्ट्री कायम करे जिसमें सस्ते रेडियो तैयार किये जायें । चाहे यह गवर्नमेंट इन्डस्ट्री हो या प्राइवेट इन्डस्ट्री हो । जो मिनिस्टर साहब ठीक समझें उसके मुताबिक़ एक इंडस्ट्री कायम की जाय और उसमें कम क़ीमत में रेडियो तैयार किये जायें ताकि उससे देहाती जनता लाभ उठा सके । यद्यपि मैं सोचता हूं कि देहाती इससे भी कोई खास लाभ नहीं उठा सकेंगे । मैं तो कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर इस बात के लिये ज़ोर डाला जाय कि वह अपने शिक्षा के बजट म इस तरह का प्राविज़न रक्खें कि हर एक देहात के स्कूल में एक रेडियो होना ज़रूरी है और रेडियो द्वारा शाम को जब हमारे देहाती भाई फ़ुरसत पाते हैं, यानी सात बजे से नौ बजे तक या दोपहर को जब समय मिलता है तब उनको देहाती प्रोग्राम और सांस्कृतिक प्रोग्राम वग़ैरह सुनायें ताकि दरअसल उनका कुछ भला हो, खाली चिल्ला देने से और कह भर देने से उनका भला नहीं होने वाला है । मैं ज़ोरदार शब्दों में कहूंगा कि बेहतर यह होगा कि केन्द्र द्वारा प्रान्तीय सरकार पर यह दबाव डाला जाय और आप भी उनको उसमें कुछ सहायता दें ताकि एक स्कूल में एक रेडियो सेट हो, और अगर लाउडस्पीकर भी लगा दिया जाय तो कहना ही क्या है, तीन, चार गांवों का काम बन जायगा और ग्रामीण लोग मज़े से अपने घर में बैठे प्रोग्राम को सुन सकेंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : पढ़ाई बन्द कर दें ।

श्री बी० डी० शास्त्री : इससे पढ़ाई नहीं बन्द होगी, क्या शहर में रेडियो हैं, तो पढ़ाई नहीं होती ।

दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहूंगा कि देहात में लाइसेंस फीस भी कम से कम देहाती आदमियों को माफ़ कर दिया जाय और उसका तरीक़ा यह है कि जहां पर बिजली है, वहां तो लाइसेंस फीस माफ़ मत कीजिये । लेकिन जहां पर बिजली नहीं है, वहां उनको इसकी माफ़ी दी जाय । आपके इस रेडियो का ग्रामीण लोग जब तक कि उनको मुफ्त सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक वह इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे ।

आप एक ही प्रान्त में और एक ही भाषा और संस्कृति वाली यूनिट में कई रेडियो स्टेशन खोलने की सोच रहे हैं, और मैं ने सुना है कि आप इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इसके बजाय बेहतर यह होगा कि एक शक्तिशाली शार्ट वेव आप जहां तक एक भाषा और एक संस्कृति का प्रश्न है, उसकी आप एक यूनिट कायम करें, उसको शक्तिशाली बनायें और उससे रेडियो ब्राड-कास्ट करें क्योंकि इस तरह से अगर अलग अलग रेडियो स्टेशन आप खोलने लगे कि कोचीन, त्रिवेन्द्रम में अलग हो, कर्नाटक में अलग हो, बंगलौर में अलग और विजय-वाड़ा, रायचूर तथा देश के और सैकड़ों शहरों में अलग अलग हो, तो इससे काफ़ी दिक्कत पड़ेगी और इसलिये मैं चाहता हूं कि एक शार्ट वेव का शक्तिशाली सेंटर भाषा व संस्कृति वाली एक यूनिट के बीच एक ही जगह हो तो इससे कई लाभ होंगे।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य १८ मिनट ले चुके हैं। मैं दो बार घंटी बजा चुका हूं।

श्री बी० डी० शास्त्री : मैं सिर्फ एक ही मिनट और लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न एक मिनट का नहीं है। मेरे पहली घंटी बजाने के बाद उन्हें नई बात नहीं छेड़नी चाहिये थी। यदि उन्होंने अब नई बात छेड़ दी तो पांच मिनट और लग जायेंगे।

श्री बी० डी० शास्त्री : दूसरे विन्ध्य प्रदेश में एक रेडियो स्टेशन खोले जाने की मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। फ़िलम्स के बारे में मुझे यह कहना है...

सभापति महोदय : मैं स्वयं एक सामान्य सदस्य हूं और किसी सदस्य के भाषण के आड़े नहीं आना चाहता। पर किसी सदस्य के अधिक समय ले लेने पर चार के स्थान पर तीन ही सदस्य बोल पायेंगे। आप चाहें तो और बोल सकते हैं, मैं रोकता नहीं।

श्री बी० डी० शास्त्री : जैसी आज्ञा, मैं अब आगे नहीं बोलूंगा।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा दक्षिण) : चेयरमैन साहब, यह डिबेट जो चल रहा है और इसमें जो कहा गया है कि हम कितने आदमियों को इधर रखे हुये हैं, कितनों को निकाल रहे हैं और अगर निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, यह सब सुन कर मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि आखिर हम इन चीज़ों पर बहस करने के लिये जमा नहीं हुये हैं। हमको यह भी ख्याल रखना चाहिये कि पहले जब हम स्वतन्त्र नहीं थे, तब यह मंत्रालय अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रक्खा था, कुछ चन्द आदमी उन्होंने यहां के उसमें ले लिये थे। भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद पार्टीशन होने से जो अंग्रेज़ थे वे यहां से चले गये, जो पाकिस्तान के थे वह वहां चले गये, और हमको इस काम को चलाना ही था और इसलिये काफी आदमी उस विभाग में ले लिये गये काम चलाने के लिए, लेकिन आखिर में वह सरकारी विभाग है और सब काम क़ानून के अनुसार चलता है और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिये से हमें वहां कुछ आदमियों को लेना पड़ता है और आप जानते हैं कि पबलिक सर्विस कमीशन से आदमी आने में देर लगती है। इसलिये हमें समझना चाहिये कि क़ायदे के मताबिक़ आदमी रखने के लिये कमीशन को एप्रोच करना ही पड़ता है और उस के भेजे हुये आदमियों को रखना पड़ता है।

दूसरे यह शिकायत भी की गई कि आल इण्डिया रेडियो से ज्यादातर मिनिस्टर्स की ही स्पीचेज़ आती हैं, उन्हें

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

की सब खबर दी जाती और दूसरी कोई खबर नहीं दी जाती कि क्या बन रहा है और क्या हो रहा है, यह शिकायत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती । आखिर मिनिस्टरों को लोगों को यह तो बताना ही है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार का काम-काज कैसे चलाते हैं और इसलिये यह ज़रूरी हो जाता है कि पबलिक को मालूम होता रहे कि सरकार उनके वास्ते क्या क्या काम कर रही है और क्या योजना कर रही है ? आखिर यह रेडियो विभाग है किस लिये ? सरकार जो जो काम कर रही है, अपना देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यह बताने के लिये और लोगों को इसका ज्ञान कराने के लिये यह है । जो जो खबर देना उचित समझा जाय वह इस के द्वारा पबलिक को दी जाय ।

एक भाई ने शुरू में फ़िल्म्स के बारे में सरकार की उदासीनता की नीति की शिकायत की और फ़िल्म इण्डस्ट्री के उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ फ़ीगर्स भी दिये । यह ठीक है कि हमारे फ़िल्म व्यवहाय में फिल्में बनने में पहले की अपेक्षा बहुत काफ़ी प्रगति हुई है, परन्तु हमें देखना यह है कि जो फ़िल्में बनती हैं उनसे हमारे देश को क्या कुछ लाभ होता है और क्या उनसे हमारी संस्कृति बढ़ती है । यह देखना चाहिये कि लोगों को इनसे फायदा होता है या नुक़सान होता है । मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं फ़िल्म सम्बन्धी चित्र पत्र पत्रिकाओं में देखती हूं, विदेशी फ़िल्में हों या अपने देश की, उनमें से अधिकतर फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनसे हमारे देश को नुक़सान ही होता है । और मैं तो समझती हूं कि फ़िल्मों पर काफ़ी कड़ा सेंसर होना चाहिये । जहां तक विदेशी फ़िल्मों का सवाल है, उनको अगर हम किन्हीं इन्टरनेशनल रूल्स के कारण सेंसर नहीं कर सकते हैं, तो हमको उन पर काफ़ी हैवी ड्यूटी लगानी चाहिये जिससे कि हम उनको रोक सकें । हमारे देश में ऐसी प्रगतिशील फ़िल्मों की आवश्यकता है कि जिनसे हमें लाभ हो, हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि हो और हमारा समाज आगे बढ़े और उन्नति कर सके । यह बड़े खेद का विषय है कि इस ओर हमारे फ़िल्म निर्माताओं का ध्यान नहीं है और वे केवल पैसा कमाने की दृष्टि से सस्ते और गंदे चित्र प्रस्तुत करते हैं । ऐसे फ़िल्म हमारे देश में निर्मित नहीं होते जिन्हें देखकर आदमी के ज्ञान में उन्नति हो और उसके आचार विचार ठीक रहें । इसलिये मेरा कहना है कि सरकार को इस दिशा में कुछ न कुछ व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिये ताकि हमारी फ़िल्मों का स्तर ऊंचा हो और आज जो उनसे देश और समाज को नुक़सान पहुंच रहा है, उसको रोका जा सके । मेरा सुझाव है कि अगर ऐसी फ़िल्में दिखायी जायें जिनमें हमारे देश का भूगोल हो, अर्थात् हमारे विभिन्न पहाड़, नदियां वग़ैरह हों, तो लोगों को काफ़ी जानकारी हासिल होगी और वह बिना इधर उधर घूमे हुये उन स्थानों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु यह नहीं करते । इसलिये जो फ़िल्म आज कल बनाई जाती हैं उन को प्रोत्साहन देने की बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

संगीत के बारे में भी कुछ शिकायत की गई । यह भी मेरी समझ में नहीं आया कि संगीत के बारे में क्यों शिकायत की गई । जिस संगीत से प्रजा की जागृति होती है उस को छोड़ दिया जाय ऐसा मैं कैसे कहूं ? जिस संगीत में बढ़िया संगीत है, जिस में कला भरी है उस को क्यों छोड़ दिया जाय ? जिस को उस का ज्ञान है वह इस की परीक्षा कर सकेगा । परन्तु जो मामूली लोग हैं उन को तो जिस संगीत में काफ़ी भाव भरा हो, जिस में काफी भक्ति भरी हो, जिस में लोगों

का विकास हो ऐसा संगीत हो, उसे देना चाहिये। खाली फ़िल्म के गाने देना जिस से कुछ लाभ नहीं होता है ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संगीत नहीं देना चाहिये।

जितने रेडियो सेट्स देहात के लिये आप दे सकें उतने देना ज़रूरी है परन्तु जो कम्युनिटी सेट्स हैं उन को ठीक तरह से रखने और चलाने की अगर किसी में जानकारी न हो तो वह सेट्स कुछ काम में नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को सेट्स दिये जायें जिन को चलाना नहीं आता है तो वह सेट्स थोड़े दिन में बिगड़ कर बेकार हो जाते हैं। इस लिये आपने जो यह प्रबन्ध किया है कि ऐसे सेट्स बनाये जायें जिन को ज्यादा लोग घुमा या बिगाड़ न सकें, यह बड़ी अच्छी बात है। साथ ही आपने ऐसे सेट्स बनाने का मौक़ा प्राइवेट लोगों को दिया है जिस से कि चार पांच आदमी जो कुछ बना सकें वह बनावें, यह भी बहुत अच्छी बात है परन्तु अगर आप इस को और भी सस्ता कर सकें तो ज़रूर ऐसा करने की कोशिश कीजिये।

अब मझे कुछ फिल्म्स के बारे में कहना है, बनने वाली फ़िल्म के लिये नहीं बल्कि जो कि फ़िल्म रामैटीरियल के रूप में बाहर से आती हैं उसके बारे में। अगर उस को बनाने का कोई प्रबन्ध यहां हो सके तो अच्छा है क्योंकि इस तरह से हमारा काफी पैसा बाहर जाता है। आप इस के लिये ज़रूर सोच और कुछ न कुछ करने की कोशिश कीजिये।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
६२	श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा)।	प्रसारण तथा सूचना सम्बन्धी नीति का अननुमोदन।	१
६२	श्री एन० श्रीकान्तन नायर	चलचित्र विवाचन सम्बन्धी नीति का अननुमोदन।	१
६२	श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडा) :	प्रेस आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता।	१००
६२	श्री दामोदर मेनन	चलचित्र संगीत का प्रसारण	१००
६२	श्री एच० जी० वैष्णव	औरंगाबाद प्रसारण केन्द्र का बन्द किया जाना	१००
१२६	श्री एच० जी० वैष्णव	हैदराबाद राज्य के पराठवाड़ा भाग में नये प्रसारण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता।	१००

सभापति महोदय : यह सभी कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनसूचित जातियां) : प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुत अच्छी प्रगति की है और गत वर्ष में उसके कार्यकरण में बहुत सुधार किये गये हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यह मंत्रालय गृह मंत्रालय का एक अंग था और अब बहुत तीव्र गति से उसका विस्तार किया जा रहा है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि किसी देश में इस प्रकार के मंत्रालय ने इतना विकास नहीं किया है जितना कि उसने भारत में किया है।

हमें इस मंत्रालय को नवीन भारत के निर्माण के लिये एक सांस्कृतिक प्रयोगशाला के रूप में देखना होगा। उस पहलू से मेरे मित्र डा० केसकर ने सम्पूर्ण मंत्रालय के कार्यों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किये हैं। अतः वर्तमान कर्मचारी वर्ग अथवा वर्तमान पीढ़ी के बारे में कुछ कठिनाइयां या मतभेद हो सकते हैं और इस मंत्रालय के कुछ आलोचक भी होंगे किन्तु ऐसा होना तो अनिवार्य है।

यद्यपि ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी गतिविधियों में पर्याप्त प्रगति की है, फिर भी मैं उसके सांस्कृतिक पहलू के बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं कि विशेषकर विभिन्न भाषाओं के सम्बन्ध में अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। मुझे "वायस आफ अमेरिका" में उपयोग की जाने वाली हिन्दी भाषा को ऑल इण्डिया रेडियो के उद्घोषकों की भाषा से तुलना करने का अवसर मिला है और हमने यह पाया कि हमारे उद्घोषकों की भाषा बहुत ही कमज़ोर है। यह मेरा अपना विचार है और कुछ हिन्दी विशेषज्ञों की भी यही राय है। इसी प्रकार मलयालम की घोषणाओं में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह भी बहुत रद्दी होती है और कभी कभी तो वह ऐसी हास्यास्पद होती है कि मूल अंग्रेज़ी से उसका अर्थ बिलकुल भिन्न होता है।

अब संगीत के पहलू के सम्बन्ध में, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डा० केसकर ने पुरानी नीति बदल दी है और अब चलचित्र संगीत का उपयोग किया जाता है। इस के बारे में काफी आलोचना की गयी थी किन्तु इस परिवर्तन से अब भविष्य में इस विषय पर कदाचित आलोचना नहीं की जायेगी।

एक बात हमें यह याद रखनी चाहिये कि आधुनिक संगीत अथवा सरल संगीत वर्तमान संस्कृति की उपज है। हमें भारतीय कलाकारों के प्रति गौरव होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि हम भी उन कलाकारों का उतना ही सम्मान और आदर करें जितना कि जनता उनका सम्मान करती है।

कुछ समय पूर्व ऑल इण्डिया रेडियो द्वारा "ब्रेन्स ट्रस्ट" नाम से एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ करता था और मैं ने उस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना है। मुझे कहना पड़ता है कि उस कार्यक्रम के अधीन चर्चा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ होता था। इसी प्रकार चर्चा के लिये जो विषय चुने जाते थे, वे भी बहुत निम्न कोटि के होते थे। अतः इन कार्यक्रमों का स्तर अधिक ऊंचा किया जाना चाहिये।

चलचित्र निर्माण के बारे में मेरी यह राय है कि हमें देश में निर्मित भाषा चलचित्रों को अधिकाधिक महत्व देना चाहिये। मेरे विचार से सरकार हिन्दी, मलयालम और भारत की अन्य भाषाओं में निर्मित चलचित्रों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दे।

इसके साथ ही हमको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि भारत में किसी विशिष्ट प्रतिरूप अथवा आधार पर निर्माण की जाने वाली नवीन संस्कृति एशिया में अन्य पड़ौसी देशों की सांस्कृतिक प्रगति से भी सम्बद्ध हों। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह कार्य है कि चीन, रूस, जापान आदि देशों में जो बड़े बड़े राष्ट्रीय-पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी प्रलेखीय चलचित्रों और अन्य प्रकार के चलचित्रों द्वारा हमारे देशवासियों को दी जाये।

प्रेस सूचना कार्यालय के बारे में मुझे यह कहना है कि वह आज भारत सरकार के प्रचार-संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य सरकारों के अधीन प्रायः सभी प्रदेशों में ऐसे प्रचार-संगठन कार्य कर रहे हैं; किन्तु स्थानीय प्रचार संगठनों में और प्रेस सूचना कार्यालय में उचित समन्वय क्यों नहीं है यह मैं नहीं जान सका हूं।

पंचवर्षीय योजना के प्रचार के सम्बन्ध में यद्यपि देश के प्रायः सभी भागों में एक बहुत बड़ा संगठन कार्य कर रहा है, फिर भी देश में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के आकार को देखते हुये हम इस प्रचार को बहुत ही थोड़ा पाते हैं। देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक आधार पर छोटे बांध या रेलें बनाई जा रही हैं या छोटी मोटी सिंचाई योजनायें चलाई जा रही हैं। एकीकृत प्रचार-संगठन का यह काम होना चाहिये कि केवल चलती फिरती मोटर गाड़ियों से ही नहीं वरन् अन्य साधनों से भी इन कार्यक्रमों का उचित प्रचार किया जाय।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में करीब २७ या २८ दैनिक समाचार निकलते हैं और कई साप्ताहिक भी निकलते हैं। उस राज्य में पंचवर्षीय योजना के अधीन अनेक राष्ट्र निर्माण के कार्य हो रहे हैं और अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यावाहियां भी हो रही हैं किन्तु समाचार पत्रों में इन कार्यवाहियों का बहुत ही कम उल्लेख होता है। अतः उस प्रदेश में इस विभाग के पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे बराबर स्थानीय समाचार पत्रों के सम्पर्क में रहें और इस ओर ध्यान दें कि राज्य के विभिन्न भागों में हो रहे राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यवाहियों का नियमित रूप से प्रचार किया जाय।

अन्त में मैं सांस्कृतिक पहलू के सम्बन्ध में एक शब्द और कहूंगा। सांस्कृतिक पहलू का अर्थ केवल नाटक, नृत्य अथवा संगीत ही नहीं है, अपितु उसका सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन से, सारी जनता के जीवन से और राष्ट्र निर्माण से सम्बन्ध है। अभी तक केवल शास्त्रीय संगीत, कत्थक नृत्य तथा देश में प्रचलित अन्य प्रकार के संगीत नृत्यों से ही उसका सम्बन्ध दिखायी पड़ता है, किन्तु उससे सम्पूर्ण भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं होता। आज की भारतीय संस्कृति देश में हो रही प्रगति पर आधारित एक आधुनिक प्रतिरूप अथवा आधुनिक आधार पर आधारित आधुनिक संस्कृति है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से ही उस संस्कृति का उत्थान किया जा सकेगा। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस मंत्रालय की ओर अधिकाधिक ध्यान दे।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : पिछली बार जब मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर हुई चर्चा के समय बोला था तो उसके सम्बन्ध में मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप किये थे। इसलिये प्रारम्भ में ही मैं डा० केसकर को बता देना चाहता हूं मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। मुझे गांधी जी की यह शिक्षा सर्वदा याद रहेगी, वह कहते थे कि उन्हें अंग्रेजों से

[श्री चट्टोपाध्याय]

द्वेष नहीं था प्रत्यत उनकी सरकार से द्वेष था।"

मैं केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समाचार विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि अन्य विषयों पर कई वक्ता बहुत कुछ कह चुके हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये समाचार सम्पादकों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में क्या किया गया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वे बहुत लम्बी अवधि से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, तथा ईश्वर ऐसा न करे यदि इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों का क्या होगा। यह ठीक भी है कि ईश्वर के कार्यों का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि समाचार सेवाओं के निदेशक को, जो चार वर्ष से उसी पद पर कार्य कर रहा था तथा उसी पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। समाचार सेवाओं के उपनिदेशक तथा मुख्य समाचार सम्पादक का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों नहीं किया गया है? एक पदाधिकारी को, जो दो वर्ष पूर्व एक कनिष्ठ पद पर परीक्षण के रूप में कार्य कर रहा था, दुगने वेतन वाला पद क्यों दिया गया? परीक्षण अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् उसको दो बार नोटिस दिया गया परन्तु उसी को आकाशवाणी के लखनऊ स्टेशन पर हिन्दी प्रादेशिक समाचार प्रसारण का कर्त्ता धर्ता बना कर क्यों भेजा गया? क्या इन्स नोटिस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई थी तथा नियुक्ति से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति प्राप्त की गई थी? यदि बुरा न मानें, तो उसकी केवल अर्हता यही है कि वह राज्य सभा की एक आदरणीय सदस्या के पति हैं। इस प्रकार का अन्याय सूचना और प्रसारण विभाग में किया जा रहा है। जब कि बहुत से लम्बी सेवा के कर्मचारी अस्थायी हैं तो एक व्यक्ति को एक वर्ष के पश्चात् ही स्थाई बना दिया जाता है।

महानिदेशक का पद खाली पड़ा है तथा मालूम नहीं क्यों उस के लिये अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। अभी कुछ दिन पूर्व एक आई० सी० एस० भारतीय असैनिक सेवा उप सचिव आकाशवाणी में भेजा गया था तथा उसने कहां की प्रतिष्ठित कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे दोषारोपण किये थे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इस प्रकार के तथ्य सभा में प्रस्तुत करने चाहिये जिनसे सभा प्रभावित हो सके। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय सदस्य कह रहे हैं वह अपने पक्ष में कुछ कहने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री चट्टोपाध्याय : जालन्धर तथा शिमला में दौरे के अवसर पर माननीय मंत्री ने आकाशवाणी की कार का व्यवहार किया था।

डा० केसकर : माननीय सदस्य को कवितापूर्ण भाषण नहीं देनी चाहिये। इसमें अनियमितता क्या थी? यदि फिर अवसर मिला मैं उसको फिर व्यवहार में लाऊंगा। माननीय सदस्य को सरकारी नियमों का ज्ञान नहीं है तथा लम्बे वक्तव्य देने से पूर्व उन्हें नियमों का अध्ययन करना चाहिये।

श्री चट्टोपाध्याय : माननीय मंत्री ने अपने ढाई वर्ष के मंत्रित्व काल में आकाशवाणी में बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है। उन्होंने फ़िल्म फैडरेशन से झगड़ा किया तथा समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा विज्ञापकों से उनका झगड़ा जारी है।

मैं २५ फरवरी, १९५५ के अंग्रेजी प्रसारण को सुन रहा था। मेरे विचार से जिस व्यक्ति ने इसका प्रसारण किया था वह इस पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है। दूसरे इस दिन प्रति दिन के समाचारों के द्वारा कांग्रेसी प्रचार कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक उद्धरण देता हूं कि भारत के सपूत डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी के निधन पर सात घंटों तक आकाश-वाणी से उनके निधन के समाचार का प्रसार नहीं किया गया। सात घंटे के पश्चात् जब समस्त कलकत्ता शोकपूर्ण था इस समाचार को प्रसारित किया गया था। क्या यह कार्य-वाही जानबूझ कर की गई थी ? मेरे विचार से भविष्य में इस प्रकार की सूचनाओं को प्राथमिकता दी जाया करेगी।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): श्री चट्टोपाध्याय को इन सब बातों को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के स्थान पर एक पत्र में लिख कर मंत्री महोदय अथवा सचिव को भेज देनी चाहिये थी। सभी विभागों में पदोन्नतियां, अवनतियां तथा ग़लतियां होती रहती हैं और यह सब व्यौरे मंत्री महोदय अथवा सचिव को बताये जा सकते थे।

रक्षा तथा गृह कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ही नहीं अपितु किसी भी देश के, महत्वपूर्ण विभाग होते हैं तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय सदैव इनका ही समर्थन करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तथा हमें उसके अनुदानों की मांगें स्वीकार करते समय अपना निजी विद्वेष प्रकट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सदैव सजग रहना पड़ता है। परन्तु फिर भी मूल काल की कुछ छाया उस पर वर्तमान है जो कि केवल एक दो दिन में ही दूर नहीं की जा सकती है। हमारे मंत्री तथा इस मंत्रालय के सचिव का कार्य सराहनीय रहा है तथा साथ ही साथ इनसे पहले के सचिव की सराहना भी की जानी चाहिये जिसे कई सप्ताह तक आक्सीजन के सहारे जीवित रहना पड़ रहा है।

फ़िल्म डिवीजन, प्रेस आयोग तथा आकाशवाणी बड़े ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। बहुत ही खेद की बात है कि बिवाचन बोर्ड के भूतपूर्व सभापति ने एक अमरीकी संस्था में नियुक्ति स्वीकार कर ली है जिसके परि-णामस्वरूप फ़िल्मों के सेंसर करने में अमरीकी प्रभाव आने लगा है। फ़िल्मों के द्वारा हमें जनता को शिक्षा देनी है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि देश में ऐसी फ़िल्मों का प्रदर्शन न हो जिनसे देश के नवयुवकों का चरित्र बिगड़े। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सेंसर के द्वारा इसका सर्वदा ध्यान रखना चाहिये कि व्यक्तिगत अथवा निजी लाभ के लिये कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयत्न न करे। इस पर नियंत्रण लगना चाहिये। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि उस ने इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाया है तथा मैं आशा करता हूं कि चरित्र निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि केवल इस प्रकार की फ़िल्में ही विदेशों में भेजी जायें, जिनसे हमारी संस्कृति तथा सभ्यता का पूर्णरूप से दिग्दर्शन होता है।

एक राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय की भी स्थापना होनी चाहिये, जिसमें चंडीदास तथा देवदास जैसी उच्चकोटि की फ़िल्मों का संग्रह किया जाये। मंत्रालय द्वारा स्थापित दूसरी संस्था सांस्कृतिक फ़िल्म समिति है। इसकी एक शाखा बाल फ़िल्म समिति है। हमें इसकी वृद्धि उसी प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार कि बी० बी० सी० की है।

[श्री जोकीम आल्वा]

ब्रिटेन में टेलीविजन पर ४,८५८,४४४ पौण्ड खर्च किये जाते हैं जिनमें से ८६७,००५ पौण्ड पूंजी व्यय है। उन्हें आशा है कि कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत को छोड़ कर अन्य सभी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिये कि प्रत्येक घर में एक रेडियो सैट हो और समस्त देश प्रसारित कार्यक्रमों से लाभ उठा सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस आयोग द्वारा समस्या को जिस प्रकार सुलझाया है वह सराहनीय है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शोक है कि प्रेस आयोग के सभापति तथा सचिव दोनों का इस कार्य में ही देहान्त हो गया। प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसलिये सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करके उन सिफारिशों को छांटना है जिन पर कार्यवाही करनी है। जैसे श्रमजीवी पत्रकारों की समस्या है, पी० टी० आई० से सम्बन्धित समस्यायें हैं जिन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे कि प्रेस केवल व्यापारियों और चोरबाज़ारी करने वालों के हाथ की कठपुतली न रह कर हमारी संस्कृति तथा सभ्यता का भी दिग्दर्शन कराये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आकाशवाणी का प्रयत्न सराहनीय है। उसने स्त्रियों के प्रोग्रामों, विश्वविद्यालय प्रोग्रामों आदि के द्वारा हमारे सच्चे राष्ट्रीय जीवन को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

अमरीका तथा ब्रिटेन में चलचित्र बिवाचन बोर्ड एक व्यापारिक प्रधान संस्था है परन्तु हमारे देश के सभी बोर्डों में, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सभी में, जनता का प्रतिनिधित्व है। जांच समिति, संशोधन समिति है जिसके समक्ष उत्पादक अपनी कठिनाइयां प्रस्तुत कर सकते हैं। इन से प्रति अन्याय नहीं हो सकता है।

हमें नवयुवक सम्वाददाताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिये जिससे कि कार्य में कोई त्रुटि न रह जाये पहले हुई ग़लतियों को दुबारा न होने देने के प्रयत्न किये जाने चाहियें। हमें बी० बी० सी० के गुणों को सीखना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रेस सूचना विभाग अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहा है। वह साप्ताहिक पत्र निकालता है जिससे ज़िलों के भीतरी भागों तक में सूचनायें तथा समाचार पहुंचते हैं और जनता शिक्षित होती है। हमने अहिंसा के आध्यात्मक मूल्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है तथा इसके प्रचार का कार्य भार योग्य व्यक्तियों के हाथों में है और वह इस कार्य को सुचारु रूप से कर रहे हैं।

अन्त में मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि योग्य प्रेस सूचनाधिकारियों को महावाणिज्य दूतों के पदों पर नियुक्त किया जाय। मुझे प्रसन्नता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगें उचित हैं। भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन दिये जाने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब कि उन की ढाई करोड़ प्रतियां परिचालित लगेंगी।

सभापति महोदय : अन्य कटौती प्रस्तावों के साथ साथ कटौती प्रस्ताव संख्या ६३२ भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६३	श्री बूबराघस्वामी पैरम्बलूर	कार्यक्रम मंत्रणा समिति के सदस्यों का चुनाव करने सम्बन्धी नीति	१०० रुपये

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री कासलीवाल (कोटा—झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ३० मार्च, १९५५ को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ३० मार्च, १९५५ के सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी। इसके लिये दो घंटे का समय निश्चित है। श्री भागवत झा आज़ाद तारीख १८-३-१९५५ को केवल दो मिनट बोल पाये थे। अतः वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : जैसा कि मैं पहले बता चका हूं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ का ध्येय रिश्वतखोरी और बेईमानी को रोकना है। इस अधिनियम की उपधारा (३) के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि यदि अभियुक्त की सम्पत्ति असाधारण रीति से बढ़ गई हो और जिस के लिये वह कोई सन्तोषप्रद उत्तर न दे सकता हो तो उसे रिश्वत लेने का अपराधी सिद्ध किया जा सकता है। अतः श्री पटनायक ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह कोई नयी बात नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जो अपराधी सिद्ध हो उसकी ऐसी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिये। उसे केवल साल छः महीने का कारावास दण्ड देने से काम नहीं चलेगा। उस ने तो लाखों रुपये अपने घर में रख लिये और इस के लिये यदि उसे छः महीने की जेल भी काटनी पड़े तो इस की वह क्या चिन्ता करेगा ?

सरकार ने अभी एक परिपत्र भेजा है कि सरकारी कर्मचारी अपनी समस्त सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण लिख कर दें। यह तो ठीक है, किन्तु इस में वह सम्पत्ति शामिल नहीं की गई है जो किसी बैंक में रखी हुई है। बहुत से व्यक्ति विदेशों में स्थित बैंकों में अपना रुपया जमा करा देते हैं। बैंक नाम तथा रक़म बताने के लिये बाध्य नहीं होते हैं। अतः इस प्रकार के परिपत्र से क्या लाभ होगा। कोई भी अधिकारी खूब रिश्वत ले सकता है और उसे विदेशों में स्थित बैंकों में जमा कर के इस परिपत्र से बच सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने बैंक खातों की रक़मों का, चाहे वह देशी बैंकों में हों या विदेश स्थित बकों में हों भी उल्लेख करना चाहिये। वह

[श्री भगवत झा आज़ाद]

बैंक खाते भी इसमें सम्मिलित किये जाने चाहियें । उपधारा (३) बहुत विस्तृत है और उससे सरकार की विचार धारा का ठीक ठीक अनुमान होता है । श्री पटनायक का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अपराध सिद्ध हो जाने पर इस प्रकार की समस्त सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिये अन्यथा केवल कारावास दण्ड देने मात्र से ही कुछ नहीं होगा । साथ ही इस अधिनियम को इतना विस्तृत किया जाये कि न तो केवल असैनिक कर्मचारी अपितु उन सभी विभागों के कर्मचारी भी, जिन में अधिकांश बातें गोपनीय रखी जाती हैं, इसके अन्तर्गत आ जायें । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का सहर्ष समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं इस महत्वपूर्ण संशोधन के लिये श्री पटनायक की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं, किन्तु मुझे भय है कि इस संशोधन से भी भ्रष्टाचार के निवारण में अधिक सहायता नहीं मिलेगी । उनका आशय केवल यह है कि अपराध सिद्ध हो जाने की दशा में समस्त सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाये । अब प्रश्न केवल यही है कि क्या किसी अधिनियम अथवा विधान के द्वारा अपराध सिद्ध किया जा सकता है ।

मैंने माननीय गृहकार्य मंत्री से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मामलों के आंकड़े मांगें थे । १९५२, १९५३ और १९५४ के आंकड़ों को देख कर मुझे हताश हो कर कहना पड़ता है कि मामलों की संख्या बहुत थोड़ी है और उन में भी दोषसिद्ध हुये व्यक्तियों की संख्या और भी कम है और मुक्त हुये व्यक्तियों की संख्या अधिक है ।

क्योंकि चलाये गये मामलों की संख्या बहुत कम है और उन में से भी अधिकांश छूट गये हैं तो ऐसी दशा में क्या हम यह कह सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार कम हो गया है । भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है । रिश्वत को अदालत में साबित करना बड़ा कठिन होता है । क़ानून की बारीकियों का सहारा लेकर कोई भी चतुर व्यक्ति अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकता है । भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है और किसी विधि विशेष को या उपबन्ध को और अधिक कठोर बना देने से ही काम नहीं चलेगा । यदि हम चाहें तो भ्रष्टाचार के निवारण में बहुत कुछ सफल भी हो सकते हैं किन्तु दुःख की बात है कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं ली है ।

केन्द्रीय सरकार ने जो नये नियम बनाये हैं उन के बारे में श्री भागवत झा आज़ाद ने संकेत किया है । ये नियम अच्छे हैं किन्तु अधिकारी वर्ग जब तक ध्यान न दे तब तक यह कोरी कागज़ी कार्यवाही हो कर रह जायगी । यदि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार का अन्त किया जाय तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त उच्चाधिकारियों को इसके लिये विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा ।

अन्त में मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं । १९२४ में सर ग्रिमवुड इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने । उन्होंने उस समय आधीन अदालतों में प्रचलित भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया । अपने भेदियों द्वारा उन्होंने घूसखोर न्यायाधिकारियों का पता लगाया और उन्हें अपने कक्ष में बुला कर कहा कि या तो स्वयं नौकरी छोड़ दो या फिर जांच के लिये तैयार हो जाओ ।

लगभग सभी बेईमान अफसरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार उन्होंने भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की अदालतों का पिंड छुड़ाया। अतः मेरा अभिप्राय यही है कि केवल नियम बनाने से काम नहीं चलता है, उस के साथ सच्चे प्रयत्नों की आवश्यकता होती है।

श्री मुलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : मुझे श्री यू० सी० पटनायक के इस संशोधन से पूर्ण सहानुभूति है किन्तु इस के साथ ही साथ मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस प्रकार का उपबन्ध व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इस के लिये अदालत को लम्बी चौड़ी जांच करनी पड़ेगी कि अभियुक्त की कौन सी सम्पत्ति रिश्वत के धन से खरीदी गई है और कौन सी उसे उत्तराधिकार अथवा पुरस्कारादि के रूप में प्राप्त हुई है। अतः यह संशोधन अव्यवहार्य है।

इस विषय में मेरा सुझाव तो यह है कि यदि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो हमें चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। सरकार भी नौकरी देते समय अभ्यर्थी के चरित्र के बारे में काफ़ी पूछताछ करती है। प्राचीन काल में व्यक्ति का चरित्र घर में, पाठशाला में तथा धार्मिक स्थानों पर बनता था। अब तीनों में से एक भी स्थान पर चरित्र निर्माण नहीं होता है। न तो मां बाप इस की चिन्ता करते हैं और न अध्यापक ही। साथ ही कोई धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। अतः चरित्र बने तो कहां से बने। यही कारण है कि हमारा नैतिक स्तर बराबर गिरता चला जा रहा है और यही भ्रष्टाचार की जड़ है। सरकारी कर्मचारी यदि इसे दूर भी करना चाहते हैं, तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। जब तक हमारा चारित्रिक स्तर ऊंचा नहीं होता भ्रष्टाचार को रोकना प्रायः असम्भव है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस विधेयक के पारिचालन के पक्ष में हूं। अभी इस विषय पर अनेक मत तथा अग्रेतर सुझाव प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है। इस बारे में सभा में कई बार संकल्प पारित किये गये हैं। भारतीय दण्ड संहिता के हाल ही के संशोधन के अनुसार रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जाता है। अतएव रिश्वत को सिद्ध करना और भी कठिन हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि केवल अभियुक्त की सम्पत्ति की जांच की जाय इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस नयी उपधारा (३क) के अनुसार तो अभियुक्त के सम्बन्धियों की सम्पत्ति की भी जांच की जा सकती है। ऐसे उपबन्ध से अदालती कार्य में बड़ी असुविधा होगी और लाभ के स्थान हानि अधिक होगी। इन्हीं सब बातों पर विचार करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक की राय जानने के लिये परिचालित करने की आवश्यकता है।

सम्भव है कि इन धमकियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। गत कई वर्षों से इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु इस से भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हो रही है। केवल अभियोग चलाने से ही अपराधों में कमी नहीं होगी परन्तु ऐसा कोई कारण नहीं कि कोई राज्य अपराधियों के खिलाफ़ कार्यवाही न करे। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि चाहे विधेयक की भाषा को और सुधारा जा सकता है फिर भी यह आवश्यक है कि इसे परिचालित किया जाये और जनता को सूचित किया जाये कि इस प्रकार का अधिकार दिया जा रहा है। इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिये कार्यवाही करने के प्रश्न पर सरकार को भी गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। इसी विचार से भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया

[श्री राघवाचारी]

गया था परन्तु दुर्भाग्यवश संशोधन से अपराधी पहले से अधिक सुरक्षित हो गया है ।

अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह विधेयक के परिचालित किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करे ताकि इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा सके ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई है कि श्री पटनायक रक्षा सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त प्रशासकीय विषयों में भी रुचि लेने लगे हैं ।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने के काम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और वह समय आ गया है जब कि यह कार्य पूरा हो जाना चाहिये । सम्भव है कि नई उप-धारा (३ क) का सम्बन्धित पदाधिकारियों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री राघवाचारी ने इसे परिचालित करने के बारे में कहा है । इसे कोई व्यक्ति बुरा नहीं कहेगा, सभी इसका समर्थन करेंगे । परन्तु प्रश्न यह है कि इसे कैसे लागू किया जाये । नई उप-धारा (३ क) के बारे में मुझे बहुत सन्देह है । इसके अन्तर्गत सम्बन्धित पदाधिकारी की सम्पत्ति की जांच करनी पड़ेगी और इसके लिये विशेष कर्मचारी रखने पड़ेंगे । इसलिये मेरा विचार है कि सरकार को चाहिये कि वह सहयोग देकर इसकी भाषा इत्यादि में कुछ सुधार करके इसे ठीक प्रकार लागू कर सकने के योग्य बना दे । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ होने से करोड़ों रुपया खर्च किया जायेगा और बहुत से विभागों में भ्रष्टाचार की सम्भावना बढ़ जायेगी ।

न जाने क्या बात है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करने का जितना प्रयत्न करते हैं यह उतना ही बढ़ता जा रहा है । हम लोगों का पता लगाने, उनका न्यायालय में परीक्षण कराने और उनकी दोषसिद्धि का पूर्ण यत्न करते हैं फिर भी यह बढ़ता चला जा रहा है । जब तक इसे दूर करने के लिये निर्दयता से कार्यवाही नहीं की जाती तब तक एक साधारण व्यक्ति यह अनुभव नहीं करेगा कि सरकार ठीक प्रकार कार्य कर रही है और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं ।

यह संशोधनार्थ विधेयक लाने के लिये मैं श्री यू० सी० पटनायक को बधाई देता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह संहिता में हर सम्भव संशोधन करे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारीबाग—पूर्व) : जिस उद्देश्य से श्री यू० सी० पटनायक ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति मुझे कुछ कठिन जान पड़ती है ।

वर्तमान काल में, जब कि हम इस सिद्धान्त पर चल रहे हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को बचाने के लिये दस अपराधियों को छोड़ दिया जाये । न्यायालय में यह प्रमाणित करना बहुत कठिन है कि अमुक सम्पत्ति उस व्यक्ति की ही है जिसने यह भ्रष्ट काम किये । जो व्यक्ति अवैध रूप से धन प्राप्त करता है वह उस धन को अपने नाम पर जमा नहीं करता है । यह जानते हुये भी कि यह धन उसका है उसे जब्त नहीं किया जा सकता और उस धन को भू-सम्पत्ति इत्यादि के रूप में छुपाये रखा जा सकता है । इसका क्या प्रमाण मिल सकता है कि यह सम्पत्ति उसी व्यक्ति की है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और जिसका न्यायालय में परीक्षण हो रहा है ।

इन कठिनाइयों को दूर करना आसान नहीं है । अभी तो इस विधेयक को परिचालित

किया जा रहा है । बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं । इस समय मैं श्री यू० सी० पटनायक को एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार विधेयक तैयार करके हम जुर्माने की सीमा निश्चित कर सकते हैं या नहीं । मान लिया जाये कि १०,००० रुपये से कम जुर्माना नहीं किया जायेगा तो उस व्यक्ति के लिये बड़ी कठिनाई होगी जिसने भ्रष्ट तरीक़ों से केवल ५०० रुपये प्राप्त किया है । परन्तु मैं चाहता हूं कि ऐसा ही किया जाये । जुर्माना १०,००० रुपये से कम नहीं होना चाहिये । इस से उस पदाधिकारी के सम्बन्धियों को सबक़ मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी होगी ।

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सम्मानीय मित्र पटनायक जी ने यहां प्रस्तुत किया है इसके विरोध में जो आक्षेप उठाया गया है वह मेरी समझ में नहीं आया है । जिस उपधारा ३ का संशोधन किया जा रहा है वह इस प्रकार है :

> ५ (३) किसी ऐसे अपराध का परीक्षण करते समय जिसके लिये उपधारा (२) के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता । इस तथ्य को प्रमाणित किया जाये कि अभियुक्त अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास धन प्राप्ति के ऐसे साधन अथवा सम्पत्ति है जो उसकी अपनी आय से प्राप्त नहीं की जा सकती और यदि इसके प्रतिकूल कुछ सिद्ध न हो तो इस प्रमाण के आधार पर न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त व्यक्ति सरकारी कार्य करते समय अपराध करता रहा है और इसकी दोषसिद्धि इस कारण अमान्य नहीं समझी जायेगी कि यह केवल ऐसा पूर्व धारणा पर आधारित है ।

जब किसी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है तो उसकी अपनी या उसके रिश्तेदारों की या मित्रों के नाम पर जो सम्पत्ति है और बुरे मार्गों से कमाई हुई है तो उस प्रिज़म्प्शन पर सरकार एक हज़ार की जायदाद अपने कब्ज़े में लेती है । इस धारा का संशोधन करने के उद्देश्य से हमारे सम्मानीय मित्र ने संशोधन विधेयक उपस्थित किया है । जिस प्रकार से वे उसका संशोधन करना चाहते हैं उस पर मेरे विचार से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं यह इस लिये कह रहा हूं मेरे मित्र ने अभी कहा कि १०,००० का फाइन या जुरमाना आप लगायें लेकिन मेरे सामने ऐसे केसेस हैं कि जिन में ३० लाख, ४० लाख और ५० लाख की प्रापर्टी की एक फेहरिस्त हम ने मंत्रालय को दी थी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया । इस प्रकार का विभागीय भ्रष्टाचार रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार से एक शिक़ायत करने के लिये मैं आज इस सदन के सम्मुख खड़ा हुआ हूं । हमारे मंत्रालय भ्रष्टाचार को बाहर लाने के लिये मदद ही नहीं करते परन्तु मेरा तो उन पर आक्षेप यह है कि मंत्रालय दूसरे विभागों के काम में रोड़े भी अटकाते हैं । रेलवे के बारे में मैं यह बात चुनौती के साथ कह सकता हूं कि मुझे कई अफ़सरों ने और अधिकारियों ने बताया है कि हम प्रोसीक्यूशन तब तक नहीं कर सकते जब तक मंत्रालय की तरफ़ से हम को आज्ञा नहीं मिलती । पहले तो उनकी कठिनाई यह थी कि क्योंकि प्रापर्टी उनके नाम में है इसलिये उन पर अभियोग नहीं चल सकता था । अब भ्रष्टाचार के कानून में यह धारा रखी गयी है कि अगर किसी के पास प्रापर्टी हो और वह उसका एक्सप्लेनेशन न दे सकें तो उस पर अभियोग चल सकता है । इस प्रिजम्प्शन पर इस करप्शन ऐक्ट के अनुसार उसे सज़ा दी जा सकती है । आज कल हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े कर्मचारी हैं जिनके पास

[श्री वी० जी० देशपांडे]

दस दस लाख, बीस बीस लाख और तीस तीस लाख रुपया है । कहीं लड़की के नाम में ३० हजार है तो कहीं भतीजी के नाम ५० हज़ार है । इन्कम टैक्स वाले पूछते हैं कि यह प्रापर्टी कहां से आयी तो वे बता नहीं सकते । यह सब होते हुये भी हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है । इस कानून के अनुसार इनवेस्टीगेशन हो रहे हैं फिर भी समाज में सर्वत्र हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है । अगर किसी को सज़ा भी हो जाती है तो इससे उसको कोई अधिक हानि नहीं होती । उसको साल ६ महीने के लिये सज़ा हो जाती है पर वह और उसके रिश्तेदार पीढ़ियों के लिये मालदार हो जाते हैं । कनविक्शन होने के बाद भी वह अपनी जायदाद अपने पास रख सकता है । इसलिये जो विधेयक पटनायक साहब ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : श्री यू० सी० पटनायक द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्तमान विधेयक का उद्देश्य भली भांति समझा जा सकता है और यही कारण है कि सरकार इस विधेयक का जनमत जानने के हेतु परिचालित करने का विरोध नहीं कर रही है । फिर भी मैं इसमें जो कठिनाइयां हैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

प्रस्तावक का उद्देश्य यह है कि भ्रष्टाचार का अन्त कर दिया जाये और सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों की उस सम्पत्ति को ज़ब्त कर ले जो उसने अनुचित अथवा अवैध ढंग से प्राप्त की है । इसी लिये मैं ने कहा है कि प्रस्तावक का उद्देश्य सराहनीय है । प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से वे शिक़ायतें और बुराइयां दूर हो जायेंगी जो माननीय सदस्य के विचार में है । आज के वाद विवाद में और पिछली बार भी सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने कहा था कि विधेयक को इसके वर्तमान रूप में स्वीकार करना कठिन है । मैं सभा को बता दूं कि पहले से ही कुछ ऐसे उपबन्ध विद्यमान हैं । ऐसे मामलों में कारावास के रूप में दंड देने के अतिरिक्त न्यायालय, दंडाधीश अथवा सत्र-न्यायाधीश जुर्माना कर सकता है । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि अपराध की कठोरता के साथ साथ उसी अनुपात से जुर्माने की राशि भी बढ़ती जा रही है । हमें एक और बात पर भी विचार कर लेना चाहिये जिसकी ओर माननीय प्रस्तावक ने निर्देश किया है । संविधि पुस्तक में दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९४६ का नं० ६, विद्यमान है । हमें बताया गया है कि यह अध्यादेश इस समय लागू होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिये । इस समय सरकार यह विचार कर रही है कि अध्यादेश के उस उपबन्ध को, जो मैं अभी आपको पढ़ कर सुनाऊंगा, एक संशोधनार्थ विधेयक में कैसे निविष्ट किया जा सकता है जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है, क्योंकि उस उपबन्ध के कुछ लाभदायक पहलू भी हैं । इस विषय में जो कुछ लिखा है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

> "अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध का न्यायालय द्वारा परीक्षण अथवा जांच करते समय इस तथ्य को, कि अभियुक्त के क़ब्ज़े में धन प्राप्त करने के कोई साधन अथवा ऐसी सम्पत्ति है जो उसकी अपनी आय से प्राप्त नहीं की जा सकी अथवा जिस समय अपराध किया गया उस समय उसके धन प्राप्ति के साधन अथवा उसकी सम्पत्ति एक

साख बढ़ गई जिसके लिये वह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता । प्रमाणित किया जाये और उसे इसको स्पष्ट करने के लिये कहा जाये . . ."

इस उपबन्ध को स्वीकार कर लिया गया है । सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जो टेक चन्द समिति के नाम से प्रसिद्ध है । उसने इस प्रश्न की जांच की थी कि क्या सरकार के पास इसके लिये पर्याप्त विधान है या संशोधन द्वारा और अधिक उपबन्ध बनाने की आवश्यकता है । टेक चन्द समिति में संसद् के सदस्य थे उन्होंने इस विषय पर हर प्रकार से विचार किया और कई सुझाव दिये । सरकार ने वे सब सुझाव स्वीकार कर लिये हैं । मैं सभा को बता दूं कि भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम में संशोधन किये गये हैं और जहां तक भारत का सम्बन्ध है न्यायशास्त्र के स्वीकृत सिद्धान्तों में पहली बार परिवर्तन किये गये हैं, क्योंकि जब कभी यह देखा गया है कि किसी पदाधिकारी के क़ब्ज़े में कुछ सम्पत्ति है और वह नहीं बता सकता कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया और यह माना जा सकता है कि वह अनुचित अथवा अवैध ढंग से प्राप्त की गई है तो इसका भार अभियुक्त पर पड़ता है कि वह न्यायालय को बता कर उसका सन्तोष करे कि उसने वैध ढंग से इसे प्राप्त किया था । अतः आप देखेंगे कि एक परिवर्तन पहले ही किया जा चुका है । दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश में आगे यह उल्लिखित है कि जब किसी अभियुक्त की ऐसी पूर्वधारणा के आधार पर जो मैं ने अभी पढ़ कर सुनाई है दोषसिद्धि होती है तो न्यायालय साधारण जुर्माने के अतिरिक्त उस सम्पत्ति को भी ज़ब्त कर सकता है जो उसने अवैध अथवा अनुचित ढंग से प्राप्त की है । यह उपबन्ध बड़ा उपयोगी है और इस से प्रस्तावक इसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है । हम इस उपबन्ध को दंड विधि (संशोधन) अधिनियम में सम्मिलित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ।

कई सदस्यों ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये अधिक उत्सुक नहीं है । ऐसे कई मामले हैं जहां सरकार ने कार्यवाही की है । सरकार ने विशेष पुलिस कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं और ऐसे सब मामलों की जांच की जाती है जिनमें वरिष्ट पदाधिकारियों और गज़ेटिड अफ़सरों का हाथ होता है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : परन्तु मंत्री जांच में बाधा डालते हैं ।

श्री दातार : यह बिल्कुल ग़लत बात है । एक दिन पहले भी विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने राज्यों के मंत्रियों के ख़िलाफ़ यह निराधार बात कही थी । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये उत्सुक नहीं है । मैं कह रहा था कि सरकार यथासम्भव भ्रष्टाचार का अन्त करने का पूरा यत्न कर रही है । मेरे पास छोटे मामलों के बारे में ही नहीं बड़े मामलों के सम्बन्ध में भी आंकड़े हैं (अन्तर्बाधा) । मेरे पास १९४७ से १९५४ तक ५ या ६ वर्ष के आंकड़े हैं । मैं उन मामलों की संख्या बता सकता हूं जिन में अभियोग चलाने के आदेश दिये गये । दोष सिद्धियां हुईं और अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया और परिणामों से पता चलता है कि सरकार को इसका बहुत ध्यान है । ११६९ सरकारी कर्मचारियों पर अभियोग चलाये गये, ६७५ दोष सिद्धियां हुईं और ६६८ व्यक्ति दोषमुक्त किये गये । २१ मामलों में जिनका निबटारा न्यायालयों ने किया अभियोग असफल रहे और १९५४ की समाप्ति तक सरकार के

[श्री दातार]

खिलाफ २५५ मामलों का परीक्षण होना अभी शेष था ।

अधिक संख्या में दोषमुक्तियां किये जाने के बारे में भी कहा गया है ।

श्री डाभी (कैरा—उत्तर) : क्या वे गज़ेटिड अफ़सर थे ?

श्री दातार : उनमें से अधिकतर गज़ेटिड अफसर थे । जैसा कि अभी मैं ने सभा को बताया है उन मामलों का निबटारा एस० पी० करता है जो बड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध होते हैं और उनका नहीं जो श्रेणी चार के कर्मचारियों के विरुद्ध होते हैं ।

अतः ये आंकड़े विशेष रूप से संगत हैं और सदन को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि सरकारें यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहती है ।

एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिये यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न केवल केन्द्र में बल्कि विभिन्न राज्यों में भी पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । जहां तक श्री पटनायक के विधेयक का सम्बन्ध है, सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की राय भी जानना चाहेगी ।

भ्रष्टाचार को दूर करने के मामले में हमें बहुत सावधानी से काम लेना है । यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि सभी पदाधिकारी या अधिकांश पदाधिकारी या पदाधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या भ्रष्ट है । हो सकता है थोड़े से सरकारी पदाधिकारी भ्रष्ट हों । अधिकांश पदाधिकारी अपना काम सत्यनिष्ठा और क्षमता से करते हैं । उन पर सामान्य प्रकार के आरोप लगाने से जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । हमारा उद्देश्य एक कल्याण कारी राज्य स्थापित करना है और इस के लिये हम पदाधिकारियों से स्वेच्छापूर्ण सहयोग चाहते हैं, बलात नहीं । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अच्छे पदाधिकारी नियुक्त किये जायें और यदि कोई पदाधिकारी लोभ में आ जाता है तो उस के विरुद्ध विभागीय रूप मे कार्यवाही करने के लिये नियम हैं । अधिक गम्भीर मामलों में हम अभियोग भी चला सकते हैं । इस प्रयोजन के लिये विशेष पुलिस स्थापना है । जहां तक अभियोग चलाने का सम्बन्ध है, इस में कुछ कठिनाइयां हैं और कई बार अभियुक्त प्रविधिक आधारों पर बच जाते हैं । इन कठिनाइयों को दूर करना है और इस के लिये हम दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर रहे हैं । कुछ उपबन्धों में संशोधन किया जा चुका है । आप जानते हैं कि इस खेल में दो पक्ष होते हैं—घूस देने वाला और घूस लेने वाला । अतः मुझे विश्वास है कि यदि जनता का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाये, तो पदाधिकारियों का स्तर भी ऊंचा होगा । किन्तु, हम केवल इस सिद्धान्त पर निर्भर नहीं हैं । चूंकि लोगों के प्रति पदाधिकारियों में कुछ दायित्व है, इस लिये हम बहुत बड़े नियम बना रहे हैं । अखिल भारतीय सेवाओं सम्बन्धी कुछ नियम सदन के सामने रखे जा चुके हैं । जहां तक केन्द्रीय सेवाओं का सम्बन्ध है सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी कर्मचारी की सम्पत्ति की जांच कर के उस के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करें, चाहे वह सम्पत्ति उस के अपने नाम हो, या उस की पत्नी या किसी और व्यक्ति के नाम ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं विधेयक को परिचालित किये जाने का विरोध नहीं करूंगा । फिर भी हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या विधेयक के

वर्तमान प्रारूप से माननीय सदस्य का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करते हुये हमें उन पदाधिकारियों के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिये, जिन का कोई दोष नहीं है। सरकार सदस्यों के और जनता के सुझावों पर सहानुभूति से विचार करेगी। सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि इस विधेयक के अतिरिक्त और किन तरीक़ों से इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक को परिचालित करना स्वीकार कर लिया है। अब मेरे लिये आगे भाषण देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सारे सदन ने इस का समर्थन किया है।

मैं केवल मद्रास से इस आई० सी० एस० पदाधिकारी के मामले की ओर निर्देश करना चाहता हूं, जिसे भ्रष्टाचार के एक छोटे से अपराध के लिये दंड दिया गया है १९४० में उस ने एक सहकारी संस्था से ऋण लेकर थोड़ी सी सम्पत्ति लेने का प्रयत्न किया था किन्तु जब मुक़दमा चला था, उस के पास लाखों रुपये की सम्पत्ति थी। इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये था। बताया जाता है कि इस पदाधिकारी ने और कुछ और व्यक्तियों ने एक स्विस बैंक में बहुत सा रुपया जमा करवा रखा था। क्या इस सम्बन्ध में किसी विधान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ? मेरा निवेदन है कि प्रत्येक पदाधिकारी के लिये अपनी सम्पत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर देना चाहिये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

> "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे जुलाई, १९५५ के अन्त तक परिचालित कियाजाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक

सभापति महोदय: अब सेठ गोविन्द दास अपने विधेयक पर चर्चा पुनः जारी किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सेठ गोविन्द दास (मंडला—जबलपुर दक्षिण) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के दुधारु और वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जावे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा है।

सभापति महोदय : वह स्थगित हो गया था और फिर से रखा जा रहा है।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने वही तो कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाय यह मैं आपके सामने प्रस्ताव करता हूं।

आपने अभी यह बतलाया कि यह विधेयक यहां पर कब उपस्थित हुआ था और अब तक इस पर क्या हुआ। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि यह विधेयक यहां पर सन् १९५२ में ही उपस्थित हुआ परन्तु यथार्थ में केन्द्रीय धारा सभा में यह विषय सन् १९२६ से उपस्थित है। मैं ने उस समय, यानी आज से २९ वर्ष पहले, इस विषय को कौंसिल आफ़ स्टेट में उपस्थित किया था और तब से किसी न किसी रूप में यह बराबर आता रहा है। आप ने अभी यह बताया कि इस पर हमारे एटर्नी जेनरल का वक्तव्य हो चुका है, श्री पंजाब राव देशमुख का वक्तव्य हो चुका है और श्री पंजाब राव देशमुख के उस वक्तव्य के अनुसार उसी दिन श्री पी० एन० नन्दा के सभापतित्व में इस विषय पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उस कमेटी के टर्म्स आफ़ रिफरेन्स पर, उस के मुद्दों पर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके मुद्दे थे:

[सेठ गोविन्द दास]

(क) दुधारु गायों के अस्थायी रूप में दुग्धहीन हो जाने पर भी विशेषत: कलकत्ता, बम्बई आदि में उनकी हत्या का रोका जाना ;

(ख) वर्तमान विधि को अधिक प्रभावी बनाना जिसमें 'फूका' आदि बुराइयां रोकी जा सकें ।

(ग) उपर्युक्त केन्द्रों में दुग्ध चूर्ण बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करना ;

(घ) ढोरों के अन्त: राज्य आवागमन पर प्रभावी नियंत्रण लगाना ।"

अब आप यह देखिये कि इस के बाद . . .

सभापति महोदय : पहले उनको पुनर्विचार प्रस्ताव (रिज़म्पशन मोशन) रखना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने रिज़म्पशन मोशन आपके सामने रक्खा और रखने के बाद बोल रहा हूं । अगर आप कहें तो मैं अंगरेज़ी में भी रख दूं । मैं ने हिन्दी में रखा था । अगर आप की समझ में नहीं आया है तो मैं अंगरेज़ी में रक्खे देता हूं : --

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"मेरे द्वारा १२ मार्च, १९५४ को रखे गये निम्न प्रस्ताव पर स्थगित वाद विवाद पुन: आरम्भ किया जाये :—

"कि देश के दुधारू तथा वाहक ढ़ोरों की रक्षा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

सभापति महोदय : सभा द्वारा इसके स्वीकृत करने के बाद ही वह बोल सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मुझे यह कहने का अवसर मिलना चाहिये कि सभा इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करे ।

श्री एस० एस० मोरे : एक औचित्य प्रश्न पर प्रस्ताव रखते समय लम्बा भाषण देने के बाद अब चर्चा पुन: आरम्भ करने के प्रस्ताव पर पुन: वैसा ही भाषण दे सकते हैं?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बहुत संक्षिप्त भाषण देना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : मैं तीन चार मिनट में खत्म कर दूंगा । मैं इस पर इतना बोल चुका हूं और मेरी इस पर बोलने की इतनी इच्छा है कि जब तक गोवध यहां बन्द नहीं हो जाता तब तक मैं दिन और रात, महीने के तीस दिन और साल के ३६५ दिन इस पर बोलता रहूं । लेकिन चूंकि मैं यहां पर बहुत कुछ कह चुका हूं इसलिये बहुत थोड़े से में इस को खत्म कर दूंगा । मैं आप को यह बता रहा था कि इस कमेटी के टर्म्स आफ़ रिफ़रेन्स क्या थे और उसने अपनी सिफारिशों में क्या कहा ।

"भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने आठ महीने पहले दिये गये अपने प्रतिवेदन में बताया है कि गोहत्या पर पूरी पूरी रोक पूर्णत: अवांछित है ।"

मेरी यह समझ में नहीं आया कि कमेटी मुक़र्रर की गई थी एक बात के लिये और कमेटी ने फैसला किया और सिफारिश की दूसरी बात की । मुझे संस्कृत का एक पद याद आ जाता है :

"विनायकं प्रकुर्वाणो
रचयामास वानरम्"

यानी कमेटी को काम दिया गया था गणेश जी बनाने का लेकिन उस ने मूर्ति बनाई बन्दर की ।

सभापति जी, अब जब हम इस विषय को केन्द्र में लाते हैं तब यह कहा जाता है कि इस को राज्यों के पास भेज देना चाहिये और जब हम इस विषय को राज्यों में उठाते हैं तो चूंकि केन्द्र में और राज्यों में दोनों जगहों पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं इसलिये जो कार्रवाई कभी कभी यहां पर हो जाती है उस कार्रवाई का असर राज्यों पर भी पड़ता है ।

मुश्किल यह है कि हम इस विषय को निपटाना चाहते हैं पर न कोई न कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित कर दिया जाता है जिस से यह प्रश्न न यहां निपटता है और न वहां निपटता है। अब यह जो नन्दा साहब की रिपोर्ट है उन नन्दा साहब ने सन् १९४७–४८ में जो पहली कैटल प्रिज़र्वेशन कमेटी बनाई गई थी उस ने वह सिफारिश की थी कि इस देश में गोवध बन्द किया जाय। इन्हीं नन्दा साहब ने उस समय गोवध बन्दी के पक्ष में अपने दस्तखत किये थे और इन्हीं नन्दा साहब ने आज इस कमेटी की रिपोर्ट में गोवध बन्दी के विपक्ष में दस्तखत किये हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या रवैया है और सरकार के अफसरों का जिन को कि विशेषज्ञ कहते हैं उनका क्या रवैया है। मैं इस सम्बन्ध में आज महात्मा गांधी की राय को फिर दोहराता हूं। गांधी जी ने कहा था....

सभापति महोदय: आप जरा जल्दी खत्म कीजिये :

सेठ गोविन्द दास : मैं तीन चार मिनट में खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय: इसमें एक बैध बात है, इसी से महान्यायवादी से उपस्थित होने को कहा गया है। अतः मैं दूसरे सदस्यों को भी अवसर देना चाहूंगा।

सेठ गोविन्द दास: इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मेरी भावनायें हैं और जिन को मैं रोके रखता हूं उन को व्यक्त करने का जो भी मौका मिलता है उसको मैं जाने नहीं देना चाहता। मैं केवल दो मिनट के अन्दर ही खत्म कर दूंगा।

मैं महात्मा गांधी की जो राय थी वह बता रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि गो वध की योजना में यह तो आ ही जाता है कि तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिये। विनोबा जी ने भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में राय दी है। क्योंकि समय नहीं है इसलिये मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, केवल इतना कह देना चाहता हूं कि वे भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में हैं।

पशुधन से इस देश को दो हज़ार करोड़ रुपये की आय होती है। तक़रीबन २३ प्रतिशत, पर पंचवर्षीय योजना जिस पर बीस अरब रुपया खर्च होगा उसमें केवल चार करोड़ रुपया यानी ५०० वां भाग इस काम के लिये रखा है। रेलें जो कि ढाई करोड़ रुपये की आय देती हैं उन के लिये ४०० करोड़ रखा गया है। १६० गोसदन खुलने चाहिये थे पर खोले गये हैं केवल १७। खाद तैयार करने के लिये २२५ फार्म खोले जाने वाले थे, पर एक भी नहीं खुला। इन सब बातों को देखते हुये मेरे सुझाव हैं कि सरकार पंच वर्षीय योजना में गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करे। चमड़े, गोमास आदि के निर्यात को बन्द करे। पंच वर्षीय योजना में कम से कम एक अरब रुपया गोसम्वर्द्धन के लिये रखे। कृषि तथा जंगल विभाग ने जो भूमि अनुचित रूप में रोक ली है, उसे गोचर भूमि के लिये छोड़ दे। किसान तथा पशुधन के लाभ को दृष्टि में रखते हुये अमरीका से आने वाले घी को बन्द करे। वनस्पति घी को या तो रंग दे या यदि यह सम्भव न हो तो उस का जमाया जाना बन्द करे।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि :

"सेठ गोविन्द दास द्वारा १२ मार्च, १९५४ को रखे गये निम्न प्रस्ताव पर स्थगित बादविवाद पुनः आरम्भ किया जाये :—

"कि देश के दुधारु तथा वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जना चेयरमैन साहब, हम ने एटौर्नी जनरल की राय १ मई को इस हाउस में सुनी . . . .

कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बोलिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह एक क़ौमी मसला है और मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि मैं हिन्दी में ही बोलूं।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : सूचनार्थ। क्या पहले जो सदस्य बोल चुके हैं, इस पुनः प्रारम्भ हुई चर्चा में उन्हें भाग लेने दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : सभा के सामने प्रमुख प्रश्न यह है कि इस विषय में यह सभा विधान बनाने में सक्षम है या राज्य विधान सभायें। विधेयक के गुण-दोष पर तो बहुत थोड़ी बातें कही जा सकती हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शायद मेरे लायक़ दोस्त की इत्तिलाह दुरुस्त नहीं है और मैं उन को बताना चाहता हूं कि मैं इस पर अभी तक नहीं बोला। अगर मैं बोला भी होता तो भी मैं तलाना चाहता हूं कि खुद स्पीकर साहब ने पिछली बार फरमाया था कि अटौर्नी जनरल जब राय दें चुकेंगे उसके बाद मैम्बर्स को बोलने का मौक़ा दिया जायगा कि वे भी अपनी राय दें . . . . .

सभापति महोदय : महान्यायवादी ने अपना विचार बताया है। इस बात पर जो सदस्य नहीं बोल चुके हैं, वे अब बोल सकते हैं।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० **एम० एम० दास**) : क्या यह वाद विवाद महान्यायवादी के अभिमत पर ही हो रहा है ?

सभापति महोदय : प्रश्न यही है कि क्या हम इस बारे में विधान बनाने में सक्षम है। माननीय सदस्यगण यथासम्भव संक्षेप में बोलें, जिससे अधिकाधिक सदस्य बोल सकें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चैयरमैन साहब, एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि इस हाउस की लैजिसलैटिव कम्पिटेंस में यह बिल है या नहीं। मैं इसके मुतालिक बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि फिलवाक़या सवाल तो इससे भी लम्बा चौड़ा है लेकिन हमारे पास इस पर बोलने के लिये सिर्फ एक ही घंटा है और मैं यह नहीं चाहता कि इस पर बोलते हुये एक घंटा मैं खुद ही लगा दूं और दूसरे मेम्बरों को बोलने का मौक़ा ही न मिले। यह मुनासिब न होगा। इसलिये मैं जितना भी ब्रीफली बोल सकूंगा बोलूंगा। लेकिन मैं अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर आम कायदा यह है कि जब कभी इस किस्म का सवाल आता है तो उस पर न चैयर जिम्मेवारी लेती है और न कोई और। इसका फैसला करने का तो इस हाउस को ही इख्तियार है। चुनाचे अब्बल मौके पर जब डा० अम्बेदकर साहब यहां पर ला मिनिस्टर थे, और जब सेठ साहब का बिल आया उस वक्त उन्होंने ऐतराज किया कि यह इस हाउस की लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस में नहीं है। उस वक्त मैंने कहा था कि इस हाउस को पूरा इख्तियार है कि वह इस बिल को पास करे। उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब ने यह करार दिया था कि वह बतौर डिप्टी स्पीकर के इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे और मेम्बर्स को ही इख्तियार होगा कि वे अपने आप ही इसका फैसला करें कि यह इस हाउस की लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस में है या नहीं और यह फैसला वोटों के ज़रिये किया जायेगा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी कान्स्टीट्यूशन में एक प्रोवीजन है नम्बर १४३ जिसमें गवर्नमेंट को इख्तियार है कि अगर वह चाहे तो किसी कान्स्टीट्यूशनल

प्वाइन्ट पर हमारी सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकती है। तो वह सेक्शन इस तरह पर है:

> "विधि या तथ्य के किसी प्रश्न के उठने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का विचार पूछ सकते हैं, और वह आवश्यक कार्यवाही करने के बाद अपना विचार राष्ट्रपति को भेज सकेगा।"

४ म० प०

मैं खुश होता अगर गवर्नमेंट आर्टिकल १४३ के नीचे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देती और उसका फैसला हर एक शख्श पर बाइंडिंग होता। लेकिन गवर्नमेंट ने यह मुनासिब नहीं समझा। मैं उन वजूहात में नहीं जाना चाहता कि क्यों गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझा गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे एटार्नी जनरल की राय तलब की और उनको यहां तशरीफ लाने की दावत दी। एटार्नी जनरल साहब की कोई भी राय हमारी इज्जत के काबिल है और मैं उस राय को बड़ी इज्ज़त की निगाह से देखता हूं लेकिन जहां मैं उसको इज्जत की निगाह से देखता हूं वहां मैं यह भीजानता हूं कि जहां तक कानून का सवाल है वहां एक वकील को दूसरे वकील की राय को इस निगाह से देखना होता है कि उसने किन वजूहात पर यह राय दी है उस वकील की पोजीशन से हमको मुतास्सिर नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं आनरेबिल मेम्बर साहिबान से अर्ज करूंगा कि वे इसी निगाह से इस राय को देखें और यह न सोचें कि यह राय किसने दी है। हम लोग बड़े अकीदतमन्द हैं और बहुत बार इस बात को देखते हैं कि कौन इसको कह रहा है। हमें सिर्फ यह देखना चाहिये कि जो कुछ वह फरमा रहे हैं वह कहां तक ठीक है। । इसलिये हर मेम्बर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखता है यह देखने के लिये कि यह हाउस इस कानून को पास करने के लिये काम्पीटेंट है या नहीं।

अब मैं उन वजूहात पर आता हूं कि जिनकी रू मे हमारे एटार्नी जनरल साहब ने यह राय दी है कि इस पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है। अव्वल तो मैं अर्ज करूंगा, हमारे एटार्नी जनरल मुझे माफ फरमायेंगे, कि जो उनका एप्रोच था इस सवाल की तरफ मैं उसे दुरुस्त नहीं समझता। हमारे कांस्टीट्यूशन में तीन लिस्टें नी हुई हैं जिनमें दो स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव कम्पीटेंट की लिस्टें हैं। इसके अलावा एक तीसरी कानकरेंट लिस्ट है। उसमें एप्रोच यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक चीज का अख्तियार है, हर कानून को पास करने का अख्तियार है। हमने जब इस कांस्टीट्यूशन को बनाया था तो जान बूझ कर इसको यूनीटरी वायस दिया था। उसमें हमने आर्टिकल २४८ रखी है जिसकी मुराद है कि जो चीजें इन तीनों लिस्टों में नहीं हैं उनके लिये सारी रेजीड्यूअल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को हैं। अगर हमको साफ़ तौर पर पता नहीं चलता कि कोई खास चीज़ इन लिस्टों में है तो उसके लिये इस दफा के मुताबिक़ सेंट्रल गवर्नमेंट को ताक़त दी गयी है। इसलिये अब सिर्फ एक ही सवाल है जो कि आनरेबिल मेम्बर साहिबान को देखना चाहिये कि यह सबजेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है या नहीं। अगर यह स्टेट लिस्ट में नहीं आता तो फिर किसी और लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट १ और ३ में सेंट्रल गवर्नमेंट को ताक़त दी हुई है। और कान्स्टीट्यूशन की दफा २४८ में उसको कोई भी क़ानून बनाने का अख्तियार दिया हुआ है। तो अब सीधा सवाल यह रह गया कि आया यह लिस्ट २ में आता है या नहीं। जब हमारे एटार्नी जनरल साहिब लिस्ट २ पर बहस कर रहे थे तो उन्होंने आइटम

[पंडित डाकुर दास भार्गव]

नम्बर १५ का हवाला दिया था। लेकिन फिर शायद उनको ख्याल आया कि आइटम १५ साफ नहीं है। तो उन्होंने दो तीन और आइटम्स की तरफ़ तवज्जह दिलायी। उन्होंने आइटम्स ६, १४ और २७ की और रेफर किया। इन दफाओं का हवाला देना ही यह साबित करता है कि हमारे एटार्नी जनरल साहब इस बारे में यह समझते थे कि यह मामला साफ तौर पर दफा १५ के मातहत नहीं आता है। मैं दफा ६, १४ और २७ को अभी न लेकर सिर्फ दफा १५ को लेता हूं। दफा १५ में यह लिखा है:

"पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।"

इसके बाद आप देखें कि दफा ६ में यह लिखा हुआ है:

"सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय"।

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इसका पबलिक हैल्थ, सैनीटेशन और डिसपेंसरीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह जो हासपिटल्स और डिसपेंसरीज़ हैं इनका ताल्लुक़ इन्सानों से है। दफा ६ में क़तई कोई ज़िक्र ऐनीमल्स का नहीं है। अगर एटार्नी जनरल साहब इसके पिथ और सब्सटेंस को देखें तो इस दफा ६ का ताल्लुक़ जानवरों से नहीं है।

इसी तरह से आप दफा १४ को देखें। उसमें यह लिखा है:

"कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि शिक्षा और गवेषणा परकों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारन भी है।"

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह कहना कि दफा १४ को देखने से यह वाज़ै होता है कि यह बिल यहां पर नहीं आ सकता है यह दुरुस्त नहीं है। इसके अन्दर न तो गाय का ज़िक्र है और न किसी और जानवर का ज़िक्र है। अगर यह कहा जाय कि इसका ताल्लुक़ गाय से इसलिये है कि एग्रीकल्चर में गाय काम में आती है तो मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह दलील बिल्कुल ग़लत होगी।

अब आप देखिये दफा २७ को। उसमें लिखा है:

"सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में क उपबन्धों के अधीन रहते हुये वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।"

इससे किसी जानवर का ताल्लुक़ नहीं है। अब आप लिस्ट ३ के आइटम ३३ को देखें जिसका हवाला मद २७ में दिया हुआ है। वह इस तरह पर है:

"नाट्यशाला, नाटक-अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुये चलचित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद।"

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह हरगिज़ नहीं कहा जा सकता है कि यह जितने जानवर हैं यह गुड्स हैं क्योंकि पहली चीज़ दफा २७ में यह है कि:

"वस्तुओं का उत्पादन, संभरण और वितरण ....।"

यह गाये गुड्स नहीं हैं। मेरी तो अक्ल में नहीं आता कि इसका कोई ताल्लुक़ कैसे किलिंग आफ़ काउज़ के साथ हो सकता है। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि जब उन्होंने यह देखा कि यह चीज़ दफा १५ में नहीं आती है तो उन्होंने दूसरी दफाओं का रेफरेंस दिया है कि कहीं न कहीं तो यह आ ही जायगा। लेकिन उनके इस रेफरेंस से ही ज़ाहिर है कि यह दफा १५ में नहीं आता। पेश्तर इसके कि मैं दफा १५ के ऊपर और कुछ कहूं मैं

हाउस की तवज्जह जो कानकरेंट सबजेक्ट्स की लिस्ट है, लिस्ट नम्बर ३, उसके आइटम नम्बर १७ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण ।"

तो आप देखें कि दफात ६, १४ या २७ इससे रेलेवेंसी नहीं रखती । इनके बनिस्बत कानकरेंट लिस्ट की दफा १७ इसके ज्यादा रेलेवेंट है । यह अवश्य कबूल नहीं कर सकती कि किसी जानवर के हाथ या टांग तोड़ने की सजा देने का क़ानून (पशुओं के प्रति निर्दयता मद १७) तो सेंटर बना सके और अगर कोई इस जानवर को जान से मार दे, जो सब से बड़ी निर्दयता है, तो उसको क़ानून सेंटर न बना सके और स्टेट ही ऐसा क़ानून बना सके । दफा २० भी इसके मुत्तलिक़ हो सकती है ।

तो जहां तक दफ़ा १५ का सवाल है उसके अन्दर तो यह आता नहीं है । इसमें यह है कि "पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय ।"

एनीमल का लफ्ज़ स्टाक के साथ इस्तैमाल नहीं होगा । जब किसी ऐक्ट की किसी दफा में एक लफ्ज़ किसी ख़ास मानी में इस्तैमाल किया जाता है तो वह दूसरे लफ्ज़ से इंटर-चेंजिबिल नहीं होता । तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि लेजिस्लेचर ने जान बूझ कर उन अल्फाज़ को खास मानी में इस्तेमाल किया है । इसी लिये इसमें लिखा है "इम्प्रूव-मेंट आफ स्टाक एण्ड प्रीवेंशन आफ एनीमल डिजीजेज़" यह नहीं लिखा है कि "इम्प्रूवमेंट आफ एनीमल्स" । तो स्टाक के लिये एनीमल लफ्ज़ इस्तैमाल नहीं हुआ है । इसका मतलब यह है कि स्टाक में और एनीमल में फ़र्क़ है । आगे दफा २० में दिया है "प्रोटेक्शन आफ़ वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्डस" इसमें भी लफ्ज़ स्टाक नहीं दिया गया है । तो मैं अर्ज़ करूंगा कि "एनीमल" और "स्टाक" में बड़ा फ़र्क़ है । इसके पेश्तर कि मैं इसके मानी डिक्शनरी से आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करूं आप कान्स्टीट्यूशन की उन आर्टिकल्स को देख लें जहां से यह सारा तनाज़ा चला है । आर्टिकिल ४८ जो हमारे कान्स्टीट्यूशन में है वह इस तरह पर है

अनुच्छेद ४८ कहता है :

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा ।"

यह दो हिस्सों में बटा हुआ है । एक हिस्सा उन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है जो प्रीज़रवेशन एण्ड इम्प्रूविंग दी ब्रीड्स के बाबत है, उसका दूसरा हिस्सा स्लाटर आफ़ काउज़ एण्ड अदर मिल्च एण्ड ड्रौट कैटिल के बाबत है । यह दो अलग अलग चीज़ें हैं और एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ़ हैं । ब्रीड्स का प्रीज़र-वेशन और पार्टिकुलर ऐनिमल्स का स्लाटर इन दोनों में बहुत फ़र्क़ है । एक मजमूई चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि ब्रीड्स का प्रोटेक्शन होगा, दूसरा एक खास जानवर के मारे जाने से ताल्लुक़ रखता है । अगर आप इस नुक्तेनिगाह से देखें तो में आपकी तवज्जह इंडियन पिनेल कोड की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि जिस पिनेल कोड ने बड़े अर्से से इस क़िस्म के जरायम के तौर पर माना । इण्डियन पिनेल कोड में जिसमें "मिसचिफ़" की तारीफ़ दी हुई है, दफा ४२८ और ४२९ उनको मैं आपकी ख़िदमत में ख़ास तौर पर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि मेरा दावा है कि जहां तक कि दफ़ा १५ का सवाल है, यह दफ़ा १५ किसी सूरत में भी ऐसी नहीं है कि जिस की रू से यह मामला स्टेट लिस्ट का बन सके ।

> "भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४२५ कहती है कि जो कोई व्यक्ति जनता को ग़लत रूप में हानि पहुंचाने वाली बात को जानते हुये भी किसी सम्पत्ति को नष्ट करता है . . ."

इसमें पबलिक का लफ्ज़ अंडरलाइन है और मेरा दावा है जैसा कि अभी सेठ गोविन्द दास ने महात्मा जी के कुछ वाक्यों को उद्धृत किया कि खसूसन जहां तक गाय, बैलों और घोड़ों वगैरह का सवाल है, वह पबलिक इंटरेस्ट की केटेगरी में आ जाते हैं, भले ही वह किसी एक प्राइवेट आदमी की मिलकियत हों, लेकिन पबलिक को उनको नुक़सान पहुंचाने से या मारे जाने से पबलिक का नुक़सान होता है । इसी तरह सेक्शन ४२८, और ४२९ में लिखा है कि अगर कोई ऐसा काम करता है और उससे पबलिक को नुक़सान पहुंचता है तो वह "मिसचिफ़" साबित हो जाती है, जैसे कि दो आदमियों के पास एक घोड़ा है, तो अगर एक मालिक घोड़े को मारदे तो वह इस क़ानून के मुताबिक़ मुजरिम क़रार दे दिया जाता है। गो वह घोड़े के मालिकान में से एक है ।

मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि यह क़ानून जो बना था तो इस वजह से बना था कि जहां तक इन ऐनिमल्स का सवाल है, उनको अगर कोई मारेगा, तो सजा होगी । यह जनरल ला आफ़ दी लैंड है और मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि अगर कोई और सेप्रेट लेजिस्लेशन न भी आये तो भी यह जनरल ला उस के जुर्म को साबित करने के लिये काफ़ी है ।

इसके अलावा अगर आप कानकरेंट लिस्ट की इंटरी १ और २ को मुलाहिज़ा फ़रमायें तो आप पायेंगे कि जहां तक पेनेल मामलों का सवाल है, वह दोनों के दोनों ऐसे हैं कि जो कानकरेंट लिस्ट में आते हैं । मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि कानकरेंट लिस्ट नम्बर ३ में क्रिमिनल ला के जो कि इंडियन पेनेल कोड में दर्ज है, सारे मामले शामिल हैं सिवाय उन जुर्मों के जो कि लिस्ट १ और २ में स्पेसिफाइड हैं। इसी तरह दफ़ा १५ में जो प्रीज़रवेशन प्रोटेक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ़ स्टाक की बाबत ज़िक्र है, वह कांस्टीट्यूशन की दफा ४८ में शामिल है । दफा ४८ में ऐसा दर्ज है: "गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों के वध को प्रतिषेध करने के लिये"। पहले हिस्से में प्रीज़रविंग एण्ड इम्प्रूविंग दी ब्रीड्स का ज़िक्र है । और मेरी अदब से गज़ारिश यह है कि दफा पन्द्रह में जो दिया है वह आर्टिकल ४८ के पहले हिस्से में आ गया है । दफा १५ में प्रीज़रवेशन, प्रोटेक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ़ स्टाक है, वह दफा ४८ में शामिल हैं । जहां तक स्लाटर का ताल्लुक़ है वह जनरल ला आफ़ दी लैंड और क्रिमिनल ला आफ़ दिस कंट्री में आता है । उसका कोई वास्ता दफ़ा १५ से नहीं है । अगर क़ानून का मंशा इसके खिलाफ़ होता तो दफ़ा १५ में इस स्लोटर पर बैन का भी ज़िक्र होता ।

मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह हो सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि स्लाटर अगर न किया जायगा तो इससे उनका प्रीज़रवेशन होगा लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ग़लत ख्याल है । मैं यह मेंनटेन करता हूं कि आप सारी ऐनिमल और प्लान्ट किंगडम को इम्प्रूव करते हैं, उनको प्रीजर्व करते हैं,

तो क्या इस वजह से करते हैं कि आज उसको खा जायं भक्षण कर जायं ? आप पाउल्टरी शीप को रखते हैं तो क्या इस वास्ते रखते हैं कि उनको मार डालेंगे ? किलिंग अलग चीज़ है, प्रीज़रवेशन बिल्कुल अलहिदा चीज़ है। हुत दफ़ा चीज़ों का प्रीज़रवेशन इसलिये किया जाता है कि हम उनको मार डालें। मिसाल के तौर पर एक पाउल्टरी फार्म में पचासों मुर्गे और मुर्गियां हों, अगर किसी को उनमें से कोई कंटेजियस डिजीज़ लग जाती है तो पूरी पाउल्टरी फार्म के इंटरेस्ट में उस मुर्गे या मुर्गी को सैग्रेगेट कर दिया जाता है और किन्हीं सूरतों में उनको मार तक डाला जाता है। इस वास्ते प्रीज़रवेशन फ़ौर किलिंग हो सकता है और किलिंग फ़ौर प्रिज़रवेशन हो सकती है, यह दोनों बिल्कुल अलहिदा चीज़ें हैं, यह दोनों इस तरह से वा स्ता नहीं हैं कि जहां प्रीज़रवेशन का ज़िक्र हो, वहां किलिंग ज़रूर आयेगी। मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि इस नुक्ते निगाह से इसके अन्दर यह अल्फाज़ दर्ज नहीं है। दफा १५ में सिर्फ प्रीज़रवेशन, प्रोटेक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ़ स्टाफ़, यही अल्फ़ाज़ हैं, इसके अन्दर किलिंग का लफ्ज़ नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने तीसरी दफ़ा और रख दी। मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि इस ला का हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि चार जानवरों को प्रीज़र्व कर लिया जाय। इसका असल में मतलब जैसा कि सेठ जी ने बतलाया है कि इस देश के अन्दर जो कनफ्यूज़न है, वह हट जाय। हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू विश्व भर में शान्ति का ढिंढोरा पीटते हैं और वह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के अन्दर शान्ति हो। महात्मा गांधी, श्री किदवई, और श्री मुन्शी ने बार बार बतलाया है और हाउस में हुई उनकी स्पीचेज़ में यह चीज़ आयी है कि इस काम की यानी गायों के नस्ल दिये जाने की ज़िम्मेवारी हर एक गवर्नमेंट पर है और महात्मा जी और क़िदवाई साहब ने फरमाया था कि यह काम हमें गाय को ह्यूमन फैमिली का हिस्सा समझ कर करना चाहिये और ज़िम्मेदार लोग ही इन जानवरों को बचा सकते हैं और प्रीज़र्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कितने ही अफ़सर ऐसे हैं जो उसमें यक़ीन नहीं करते कि यूज़लेस कैटिल को रक्खा जाय, मैं समझता हूं कि खुद मिनिस्टर साहब भी इसी ख्याल के होंगे। तो भी उन्होंने इस सम्बन्ध में जो स्टेटमेंट दिया, मैं उसकी दाद देता हूं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वह इतना वाज़े स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम दफ़ा ४८ के पाबन्द है, और यह हमारी कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट है, चाहे कोई मिनिस्टर माने इस मत का हो या न, जहां तक गाय का सवाल है, दफा ४८ आखिरी चीज़ है और गऊ वंशकी रक्षा की जायगी। प्लानिंग कमिशन ने गोसदन के वास्ते चार करोड़ रुपया दिया है। और उन्होंने भी दफा ४८ की रू से बैन स्लोटर करने को माना है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हम गोसदनों को बन्द कर देंगे। गवर्नमेंट इस पालिसी की पाबन्द है, हमारी गवर्नमेंट इसके मुताल्लिक़ अपनी पालिसी रक्खी हुई है, अब चाहे उसके कोई मिनिस्टर साहब उसमें यक़ीन रक्खें या न रक्खें क्योंकि इस मामले में दो ओपीनियन्स हो सकती हैं और जो लोग इस बारे में कंट्रेरी ओपीनियन रखते हैं, वह मुझे उतने ही अजीज़ हैं जितने कि वह लोग जो कि इसके मुआफ़िक़ ओपीनियन रखते हैं। आइटेम के अल्फ़ाज़ से साफ़ ज़ाहिर है कि इसमें किलिंग शामिल नहीं हो सकता। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस तरह से यह सवाल हल नहीं हो सकता। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि एक बिल को देखने का यह सही तरीक़ा नहीं है कि आप उसकी दो, तीन लाइन्स को जो आब्जेक्ट एण्ड रीज़न्स में लिखी है सिर्फ देखें उस पूरे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बिल के पिथ एण्ड सबसटेंस को देखें तो आप पायेंगे कि उसका पिथ एण्ड सब्सटेंस यही है कि जानवर मारे जायेंगे तो मुजरिम को सज़ा होगी । जो आब्जेक्ट व रीज़न्स में दर्ज नहीं है । सेठ जी चाहते तो बहुत ज्यादा थे । दो घंटे बोले और ऐसी बातें कहीं जो हमारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं थीं, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर चाहे जितने रीज़न्स दिये जायें, मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकते हैं, पर इस का सारा पिथ एण्ड सब्सटेंस है उस का किलिंग, नीज़ आज स्टाक से किसी जानवर का मतलब निकाला जाय तो यह ठीक नहीं है । मैं अर्ज़ करूंगा कि यहां स्टाक का जो लफ्ज़ है उस के माने ऐनिमल नहीं है, गाय नहीं है, बैल नहीं हैं। स्टाक ऐसी चीज़ है जिस के कि कोई भी माने निकल सकते हैं । इन्सान गुलामों को भी स्टाक कहते हैं, लकड़ी को भी स्टाक कहते हैं, पोल्ट्री को भी स्टाक कहते हैं, फूड को भी स्टाक कहते हैं । मैं ने दो डिक्शनरियां आक्सफोर्ड और वेब्स्टर देखीं और उन के अन्दर स्टाक लफ्ज़ के पचासों माने हैं । अगर कहीं कोई शख्स कहता कि स्टाक की जगह कोई लफ्ज़ मुक़र्रर कर दो तो मैं मानता, लेकिन यहां स्टाक के माने ही मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हैं ? मैं यह अर्ज़ करूंगा कि स्टाक के माने ऐनिमल नहीं हैं, स्टाक के अन्दर एक ऐनिमल नहीं है । अगर स्टाक के कोई माने हैं तो वह उस ब्रीड के हैं और उस ब्रीड को बचाने के वास्ते ऐसा कहा जा सकता है । जहां अंगरेज़ी में स्टाक का लफ्ज़ है, वहां हिन्दी भाषा के कान्स्टिट्यूशन की दफा १५ में उस का कितना ठीक तर्जुमा किया है । देखिये उन्होंने कैसे स्टाक के माने समझे :

"पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण ।"

मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि स्टाक के माने अगर नस्ल के हों तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि नस्ल को ठीक रक्खे । क्वालिटी के वास्ते सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि किसी जानवर को मारा न जाय। और उस पर बेरहमी न की जाये । प्रिज़र्वेशन के क्या माने हैं ? कि ठीक से रक्खा जाये । प्रिज़र्वेशन आफ़ शीप होता तो उस के यह माने होते कि शीप को न सिर्फ बचाया जाय बल्कि ठीक भी किया जाय । प्रिज़र्वेशन आफ़ पोल्ट्री के माने यह हैं कि पोल्ट्री को इम्प्रूव किया जाय । अगर अण्डा छोटा होता है तो उस को ऐसा किया जाय कि वह बड़ा होने लगे । इसलिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पर स्टाक के माने हर्गिज़ हर्गिज़ ऐनिमल के नहीं लिये जा सकते क्योंकि मेरे पास इस वक्त दो डिक्शनरियां हैं, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आप को पढ़ कर सुनाता कि इनमें क्या माने लिखे हैं । अगर आप वेब्स्टर और आक्सफोर्ड डिक्शनरियों में, जो कि इस वक्त मेरे पास हैं स्टाक के माने देखें तो आप हैरान रह जायेंगे, शायद स्टाक का ऐसा एक लफ्ज़ अगरेजी में रखा गया है कि जिस के माने ही नहीं समझ में आते । हिन्दी में उस के ठीक माने लगाये गये हैं । जैसे मैं ने चन्द रोज़ पहले यहां पर कहा था कि हम ने कान्स्टिट्यूशन में कम्पेन्सेशन का लफ्ज़ रक्खा था नतीजा यह हुआ कि हम को उस को बदलना पड़ा क्योंकि उस के माने दुरुस्त नहीं थे, उसी तरह से हालांकि स्टाक का लफ्ज़ पुरानी गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट के ज़माने से इस्तेमाल में गलती से चला आता है , लेकिन ताहम जब स्टाक के माने किये गये तो उसके माने नस्ल के किये गये । इसी लिये इस ४८ आर्टीकल के दो हिस्से किये गये उस का एक हिस्सा जिस का ताल्लुक़ ब्रीड से था उस को दफा ४८ में स्टेट के मातहत रक्खा गया और

दूसरा हिस्सा जो है उस को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत रख दिया गया २४८ की रू से कांकरेंट लिस्ट की १७ आइटेम की रू से यह कैसे हो सकता है कि लाठी मारे तो सज़ा का क़ानून सेंटर बना सके, और छुरा मारे तो सिर्फ स्टेट सज़ा का क़ानून बना सके ।

जनाब वाला, शायद यह कहा जाय कि यह बात आया मुनासिव होगी या नहीं, लेकिन कानून के अन्दर हम ऐसी कोई चीज़ नहीं देख सकते । इंटरप्रेटेशन का पहला असूल अलफ़ाज़ को देखने का है । हम किसी की स्पीचेज़ को नहीं देख सकते, कोई चीज़ नहीं देख सकते सिवा अल्फाज़ को । अगर वह साफ़ हो इन अल्फाज़ के जो माने निकलें वही हम को देखना है । सारी कान्स्टिटुएन्ट ऐसेम्बली की मदों को जो उस ने दफा ३१ में बनाया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दुरुस्त तौर पर रद्द कर दिया, और जो माने अल्फाज़ के निकलते थे उन को ले लिया । इसी तरह से यहां पर जो लफ्ज़ हैं 'पशु की नस्ल' के माने जेनस से हैं, इन्डिविजुअल ऐनिमल से नहीं है । इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि दफा १५ में जो स्टाक लफ्ज आया है उस के माने किलिंग से हर्गिज़ ताल्लुक़ नहीं हैं । किलिंग और मेन्टेनेन्स (प्रिज़र्वेशन) में बड़ा फ़र्क़ है । दोनों एक चीज़ नहीं हैं । इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक कान्स्टिट्यूशन का सवाल है हमें पूरी लेजिस्लेटिव काम्पिटेन्स है और अब में इस प्रिज़म्प्शन से बोलूंगा क्योंकि हमारी पावर्स तो मुकम्मिल हैं और हमारी पावर्स में से यह पावर्स निकाल कर स्टेट को दी गई हैं, इसलिये प्रिज़म्पशन यह है कि हाउस को फुल पावर्स हैं और यह हाउस इस मामले में पूरी तरह से काम्पिटेंट है ।

जनाब वाला, मैं इस सवाल पर जो कुछ अर्ज़ करना चाहता था वह अर्ज़ कर चुका, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल की मेरिट्स पर थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं ।

सभापति महोदय: वाद-विवाद ४-४९ बजे समाप्त होगा ।

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, अगर इस हाउस की यह राय है कि इस के लिये और समय दिया जाय तो क्या आप बढ़ा नहीं सकते ?

सभापति महोदय: यह तो हाउस की बात है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हमें ५-३० तक बैठ कर यह वाद-विवाद समाप्त कर देना चाहिये । शायद महान्यायवादी भी कुछ कहना चाहें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हाउस को बिल्कुल यह अख्तयार है कि वह वक्त को बढ़ाये । मेरी अदब से गुज़ारिश यह है कि आज इस सवाल पर बहस कर ली जाय । बाक़ी जो सवाल है उस पर बाद में गौर हो सकता है, लेकिन शायद हाउस यह चीज़ कर नहीं सकता है क्योंकि स्पीकर साहब की रूलिंग है कि लेजिस्लेटिव काम्पिटेन्स का फसला हाउस इस वक्त नहीं करेगा । इसका फैसला उस वक्त होगा जब बिल के ताल्लुक़ में मोशन होगा जब हाउस इस के कंसिडरेशन को पास कर देगा बशर्ते हाउस के सामने कोई कंसिडरेशन मोशन हो । इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे वास्ते और कोई चारा नहीं रह जाता अलावा इस के कि मैं आप की इजाज़त से चन्द अल्फाज़ इसी वक्त अर्ज़ कर दूं :

सभापति महोदय: यदि हम विधेयक के गुणदोष और खंडों पर चर्चा करने लगें, तो वाद-विवाद समाप्त नहीं हो सकता । समय थोड़ा है और आध घंटा समय बढ़ा

[सभापति महोदय]

दिया जाये फिर भी बहुत अधिक सदस्य अपने नाम भेज चुके हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं वही करना चाहता हूं जो आप चाहें । संविधान सम्बन्धी वाद-विवाद समाप्त हो जाने के बाद मैं विधेयक पर कुछ बोलना चाहूंगा । जहां तक विचार-प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुझे आगे बोलने का अधिकार नहीं है । मैं सिर्फ पांच मिनट और चाहता हूं ।

जनाब वाला, जहां तक इस की मेरिट्स का सवाल है, मुझे निहायत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सवाल बार बार हाउस के अन्दर आता है और हमारी गवर्नमेंट ने यह बिल जिस तवज्जह का मुस्तहक़ था उस की गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की । जिस वक्त हमारे आनरेबल डा० राजेन्द्र प्रसाद साहब ऐग्रिकल्चर के मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने इस के वास्ते एक बहुत सरल तरकीब बतलाई थी । इस सवाल को हल करने के वास्ते उन्होंने एक कमेटी मुक़र्रर की थी जिस ने सन् १९४८-४९ में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । उस की तजवीज़ों को गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया ने और आनरेबिल श्री जयराम दास दौलत राम ने क़बूल किया । बाद में, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, अगर यह गवर्नमेंट चले चाहती तो इस मामले को ठीक तरह से तय कर सकती थी । देश में जो यूचस जानवर हैं उन की तादाद गवर्नमेंट के आंकड़ों के बमूजिब ४८ लाख से ज्यादा नहीं है । यहां तारीफ़ की गई है कि हमारे ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब ने उस दिन बड़ी वफादारी के साथ स्टेटमेंट दिया और हाउस ने माना कि गवर्नमेंट इस ४८ आर्टिकल पर अमल कर रही है, जहां मैं गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूं कि वह हर तरह से कैटिल के सुधार के लिये रूपया लगा रही है और हमारे मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट के हर स्टेप को जस्टिफाई किया । लेकिन मैं एक चीज़ में उन से मुत्तफ़िक़ नहीं हूं । मैं उनका ध्यान उस मुगालते की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि आम तौर पर लोग करते हैं और जिस की वजह से वह इस मामले के इस तरह के हल के हक़ में नहीं हैं । जो मुगालता वह करते हैं वह यह है कि इस मुल्क में १० फ़ीसदी से ३० फीसदी तक यूजलेस कैटिल हैं । मेरे पास रिपोर्ट है, वक्त कम है नहीं तो मैं पढ़कर सुनाता, सिर्फ रेफरेन्स दे दूंगा, इस गवर्नमेंट की राय के मुताबिक़ ३८ लाख से ज्यादा यूजलेस ऐनिमल्स इस देश में नहीं हैं । बाक़ी जितने ऐनिमल हैं जो अनप्रोडक्टिव थे, जो वर्धा के अन्दर आधा सेर दूध देते थे वह आज चार सेर दूध देते हैं । मैं इस मसले के अन्दर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है । लेकिन यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि प्रोडक्टिविटी कैटिल की खूब बढ़ाई जा सकती है । १०, १५ बरस पहले हमारे आनरेबिल डा० राजेन्द्र प्रसाद साहब हिसार तशरीफ ले गये थे, वहां पर उन्होंने फरमाया था कि १५ वर्ष के अन्दर सारे यूजलेस कैटल अपने आप खत्म हो जायेंगे चाहे उन्हें मारो या न मारो । क्योंकि उनकी तबअई उम्र इतनी है । प्राब्लेम यह था कि आखिर उन यूजलेस ऐनिमल्स को क्या किया जाय । आज भी वह प्राब्लेम हल हो सकती है । लेकिन उस का तरीक़ा उन को मारना नहीं है । सब से अच्छा तरीक़ा यह है कि ऐसे बुल्स का कैस्ट्रेशन कर दिया जाय ताकि वह खराब पशुओं के प्रोक्रिऐशन के काबिल ही न रह जायें । उन की प्रोडक्टिविटी को ठीक करने के लिये दरअस्ल यही एक क़दम है जिस से कुछ फायदा हो सकता है । जिस तरह से डा० देशमुख ने राइस के मामले में इतनी कोशिश कर के देश को तबाही से बचाया है और अपना फ़र्ज़ पूरा किया है उसी तरह से, मुझे कोई

शुबहा नहीं है कि वह इस प्राब्लेम को भी साल्व कर देंगे । यह मामला तो पहले ही ठीक हो गया होता पर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह करतीं । पिछले सालों में दरहक़ीकत बड़ी प्राब्लेम्स का गवर्नमेंट को सामना करना पड़ा । बहुत सी प्राब्लेम आ कर खड़ी हो गईं, रिहैबिलिटेशन प्राब्लेम, फूड प्राब्लेम वगैरह से ही इतने दिन तक फुर्सत नहीं मिली । फिर भी आप सुन कर हैरान होंगे कि तीन करोड़ रुपया प्लैनिंग कमिशन ने नस्लों की सुधार के वास्ते दिया, उसमें से सिर्फ २० लाख रुपया खर्च किया गया, एक करोड़ रुपया उस ने गोसदनों के वास्ते दिया था, इस में से तीन लाख रुपया खर्च किया गया । १०० करोड़ रुपये से ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड कैम्पेन में लगा दिया । लेकिन हमारी गायों की तरक्क़ी के लिये कुछ नहीं किया गया सिर्फ २० लाख खर्च किया गया । कई आदमियों को गायों के नाम से ही चिढ़ है । गायों का नाम सुना और नाक भों बढ़ाते हैं और कम्यूनलिज्म की दुहाई देते हैं । मैं गाय की परस्तिश नहीं करता, जब मैं ने इस मसले को कान्स्टिट्यूशन की दफा ४८ में पेश किया था, मैं इस आर्टिकल के वजूद में आने के लिये ज़िम्मेदार हूं, उस वक्त मैं ने कहा था कि मैं इस मसले को यहां पर इकोनोमिक बेसिस पर रखता हूं । ज्यादा तर इकोनोमिक वजूहात से हमारे पूर्वजों ने गाय को न मारने की हिदायत की । वेदों से ले कर आज तक इस देश के अन्दर बुजुर्गों ने क़रार दिया है कि गाय मारने के क़ाबिल नहीं है और अवैध्य है । मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं उन अश्खास की बात जो कल जा कर पहले उस रिपोर्ट पर दस्तखत करते थे कि काऊ स्लाटर क़तई बन्द होना चाहिये और आज वही कहते हैं कि बिना गाय को मारे काम नहीं चलेगा । मैं इस चीज़ को मानने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं उन लोगों में से हूं जिन को यह उम्मीद है कि गवर्नमेंट की पालिसी अवाम के मन के मुताबिक़ होगी । और मैं खुश हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पालिसी मेरे कहने और यक़ीन के मुताबिक़ है । डा० पंजाब राव देशमुख का भी खयाल मेरे मन के मुताबिक़ है और उन का जो अमल है वह बिल्कुल कान्स्टिट्यूशन के मुताबिक़ है और हमारी गवर्नमेंट का अमल और स्टेटमेंट भी उसी के मुताबिक़ है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम सब चाहते हैं कि इस देश का फायदा हो, और इस मसले की तरफ़ फौरन ध्यान देना चाहिये । मैं इस वक्त इस मसले के एकोनोमिक ग्राउण्ड्स में नहीं जाना चाहता । क्या आप नहीं जानते कि २३०० करोड़ रुपये की आमदनी हमारे गो वंश से होती है यानी नेशनल आमदनी का पचास फीसदी है । सभी लोग इस को जानते हैं और सब लोग इस से मुत्तफिक़ हैं । अगर इस मसले का सच्चा इलाज हो जायेगा तो इस से हमारा प्रोडक्शन और भी बढ़ सकता है और हमारा फायदा हो सकता है । मैं अर्ज़ करूंगा कि आप किसी भी नुक्ते निगाह से देखें इस का इलाज बहुत सहल है बशर्ते कि गवर्नमेंट इस की परवाह करे । सात बरस तक गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की । मैं कहना चाहता हूं कि सेठ जी और डा० पंजाब राव देशमुख में कोई फर्क़ नहीं है । दोनों सी० पी० के ही रहने वाले हैं और दोनों ही का रास्ता एक है । सेठ जी सिर्फ इतना और कहते हैं कि जो किया जा रहा है सिर्फ़ क़ानून की मदद और दे दी जाय । बाक़ी कार्रवाई तो गवर्नमेंट भी कर रही है । मैं तो कहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पूरी ताक़त हासिल है इस के करने के लिये और उस को यह काम ज़रूर करना चाहिये । अगर हिन्दुस्तान के अन्दर डिमाक्रैसी के कुछ माने हैं, अगर मरहूम श्री किदवई के साथ हमारा कुछ भी फ़र्ज़ है, उनके कथन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के अनुसार तो हिन्दुस्तान की डिमाक्रैसी की मांग है, और अगर हिन्दुस्तान के ९९ फीसदी आदमियों की राय को गवर्नमेंट फ्लाउट नहीं करना चाहती है। हम ने क्या देखा यू० पी० के अन्दर जहां से कि हमारे श्री पंत जी तशरीफ़ लाये हैं, कि वहां पर एक कमेटी बैठाई गई, उस की रिपोर्ट है जो यूनेनीमस है गाय के वध पर बैन लगाने के बारे में।

सेठ गोविन्द दास : उस में तीन मुसलमान भी थे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं ने संविधान की दफा ४८ पेश की थी उस वक्त तक़रीबन यूनैनिमसली उस को ऐक्सेप्ट किया गया। मैं अर्ज़ करूंगा कि ऐसी हालत में यह हमारी बदक़िस्मती होगी अगर गवर्नमेंट लोक-सभा के मेम्बरान के सामने लीगल प्वाइन्ट्स को ले कर कहे कि यह हाउस दरअस्ल काम्पिटेन्ट नहीं है। इस मामले पर अग़र आप इस बिल के विचार-प्रस्ताव को नहीं मानते हैं जो कि पब्लिक ओपीनियन का प्रतीक है तो आप देश की राय के बखिलाफ़ जाते हैं और यही कहा जायेगा कि आप देश की ठीक तरजमानी नहीं कर रहे हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : प्रधान मंत्री ने संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करते हुये सदस्यों से राज्य की नीति के निदेशक-तत्वों को याद रखने के लिये अनुरोध किया था। इन में से एक तत्व अनुच्छेद ४८ में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि :

> "राज्य....विशेषतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधार के लिये तथा उन के वध का प्रतिशेध करने के लिये अग्रसर होगा।"

यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के सात साल बाद भी हमारी सरकार ने इसे क्रियान्वित करने के लिये कोई पग नहीं उठाये। इसमें राजनीति या गुटबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है। यदि जनमत गणना करायी जाये, तो आप देखेंगे कि भारत के ९९ प्रतिशत लोग गोवध पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने की मांग करते हैं। गोवध-निषेध भारत का एक पुराना सिद्धान्त है। गांधी जी ने कई बार कहा है कि गोरक्षा मेरे लिये स्वराज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक भारत में गोवध बन्द न किया जाये स्वराज्य निरर्थक है। अब आप को स्वराज्य मिल चुका है और यदि आप गांधी जी का नाम लेते हैं, तो आप को चाहिये कि आप स्वतन्त्र भारत में गोवध तत्काल बन्द कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गोसंबर्धन जांच समिति नियुक्त की थी और जिसमें गैर हिन्दू सदस्य भी थे, उसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था स्वास्थ्य और सद्भावना के हित में सारे भारत में गोवध पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध होना चाहिये। यह किसी विशेष जाति या प्रदेश का प्रश्न नहीं बल्कि अखिल भारत का प्रश्न है। कानूनी स्थिति के बारे में मैं महान्यायवादी से सहमत हूं कि यह विषय सूची १—अर्थात् संघ सूची में नहीं आता और न ही यह सूची ३—अर्थात् समवर्ती सूची में आता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या उन का यह कहना ठीक है कि यह विधान केवल राज्य विधान मंडलों के वैधानिक क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने सूची २—अर्थात् राज्य सूची की तीन या चार मदों, मद ६, १४, १५ और २७ की ओर निर्देश किया है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का विषय मद ६, १४ और २७ से कोसों दूर हैं। केवल एक मद यहां कुछ संगत है और वह मद १५ है और

इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यह इस प्रकार है: पशु की नस्ल का परिरक्षण संरक्षण और उन्नति : मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक कोई पशु-परिरक्षण विधेयक नहीं है । इस का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है और आप को इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिये । इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह है कि कल से किसी ढोर, गाय या गाय वंश का वध नहीं किया जायेगा । यह पशु की नस्ल का परिरक्षण या सुधार नहीं है ।

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति । इस विधेयक के लिये समय लगभग समाप्त हो चुका है । यदि सभा की यह इच्छा है कि आगे चर्चा की जाये, तो समय बढ़ाने के लिये एक औपचारिक प्रस्ताव करना पड़ेगा ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाये । मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता कि:

> "विधेयक पर विचार करने के लिये निर्धारित समय १५ मिनट अर्थात् पांच बजे तक बढ़ा दिया जाये ।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

> "विधेयक पर विचार करने के लिये निर्धारित समय १५ मिनट अर्थात् पांच बजे तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एन० सी० चटर्जी : अनुच्छेद ४८ में नस्ल सुधारने, गौ, बछड़े और दुधारु पशुओं के वध को रोकने का उपबन्ध किया गया है, परन्तु सप्तम अनुसूची में "गोवध निषेध" का वर्णन नहीं है । यह जानबूझ कर छोड़ा गया है, क्योंकि यह संसद् की सर्वशक्तिमान शक्ति के अधीन आता है । इसलिये इसके अनुच्छेद २४८ के अधीन आने के कारण संसद् इस विषय पर विधान बनाने का अधिकार रखती है और यह संसद् की क्षमता से परे नहीं है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक का पूर्णत: विरोध करती है, और मैं इस सभा से इसे पूर्णत: और बिल्कुल रद्द करने के लिये प्रार्थना करूंगा । इसके मुख्य कारण ये हैं कि हमारे वैधानिक परामर्शदाताओं ने हमें यह परामर्श दिया है कि इस सभा को इस विषय पर इस प्रकार की विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु मेरे पूर्व वक्ता ने उस वैधानिक मत को ग़लत बताया है । इस मामले में सरकार के लिये अपने वैधानिक परामर्शदाताओं के मत को मानना पर्याप्त है ।

इसके अतिरिक्त बात यह है कि यह विधेयक हम में बहुत से सदस्यों को भावनाओं के आधार पर अच्छा लगता है, परन्तु यह विधेयक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा । हम सब देश के पशुधन की रक्षा करना चाहते हैं । धार्मिक भावना के अतिरिक्त आर्थिक एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कारणों से हमें अपने पशुधन की गिरती हुई अवस्था को देख कर डर लगता है । इसलिये पशुधन की रक्षा और उन्नति आवश्यक है । उनकी संख्या की चिन्ता कम है, परन्तु तेज़ी से उनका क्षीण होना दुखदायी है और इसे रोकना होगा । इसके लिये कार्यवाहियां की जा रही हैं और कुछ सफलता भी मिली है तथा अधिक सफलता मिलने की आशा है । परन्तु इस समस्या को हल करने का हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये । अन्यथा हमारे लिये बड़ी कठिनाई यह हो जायगी कि पशुधन की रक्षा की आशा करते हुये हम वास्तव में उन्हें

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ठुकराने लगेंगे । मैं स्पष्ट कर दूं कि केवल इस विधेयक को पारित कर देने से ही देश के ढोरों की रक्षा नहीं हो सकती । हमें इस समस्या को हल करना है कि पहले की अपेक्षा पशुओं की अवस्था बहुत बुरी है । यह विधेयक मुर्दा हड्डियों में जान नहीं डाल सकता । अतः इसके लिये तो रचनात्मक काम करने की आवश्यकता है । बम्बई में इसी रीति से काम किया गया है और पश्चिमी बंगाल में भी इसी रीति से काम किया जा रहा है । आप यह कह सकते हैं कि इस काम को तेजी के साथ करना चाहिये । आप कर सकते हैं । परन्तु इस रीति विशेष से उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी । इस में तनिक भी सन्देह नहीं कि देशवासी देश के पशुधन की और विशेषकर दुधारु पशुओं की रक्षा करना चाहते हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण है । परन्तु जो काम आप करना चाहते हैं उस की अपेक्षा आप उससे ठीक विपरीत प्रभाव रखने वाला कार्य कर रहे हैं । महान्यायवादी के मतानुसार यह राज्यों की सरकार द्वारा विचार करने का मामला है । मेरा राज्य सरकारों को भी यही परामर्श है कि वे भी ऐसे विधेयक पर विचार न करें ।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : आप उनकी रक्षा करने के लिये चाहते हैं कि उनका बध किया जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं यह कह रहा हूं कि देश के पशुधन की रक्षा करने का यह ढंग नहीं है । मैं इस बात को नहीं मान सकता कि पशु अर्थशास्त्र की अपेक्षा अधिक महत्व-पूर्ण हैं और मैं मनुष्यों को गायों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं । मैं इसे स्वीकार नहीं करता और मैं प्रधान मंत्री का पद छोड़ने को तैयार हूं, परन्तु मैं इस प्रकार की बात नहीं होने दूंगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : आपको इसे स्वीकार करना होगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इस के बारे में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि भारत में इस प्रकार का आन्दोलन व्यर्थ मूर्खतापूर्ण और उपहास का विषय है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : माननीय प्रधान मंत्री को "मूर्खतापूर्ण" शब्द वापस लेना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इस विषय पर सरकार की स्थिति और नीति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमें इस में सफलता मिले या पराजय, परन्तु इस आन्दोलन से घबरा कर इस विषय में नहीं झुकेंगे । हम रचनात्मक उपाय करेंगे और हम इस मामले में समझौते भी नहीं करेंगे । मैं उन मित्रों को परामर्श देता हूं, जो अर्थशास्त्र या कृषि का ज्ञान नहीं रखते, कि वे ऐसी कार्यवाही न करें जिसके कारण देश के पशुधन का नाश हो सकता है और महत्वपूर्ण संविधानिक परिणाम निकल सकते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या प्रधान मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये कहा है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा करने में बिल्कुल गलती की है । उन्हें स्वायत्तशासी होने के नाते ऐसा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि बम्बई सरकार ने यह कार्यवाही करने से इनकार कर दिया है ? परन्तु यहां हम भारत सरकार और इस संसद् की ओर से बोल रहे

हैं, और जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि हमें इस विषय में कुछ नहीं करना है । हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते ।

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे श्रेष्ठ नेता इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनके प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है और कांग्रेस जिसके नेता वे हैं, उसी संस्था में मैं ने जब से अपना सार्वजनकि जीवन आरम्भ किया लगभग ३४ वर्षों से तब से मैं रहा हूं । परन्तु जिस प्रकार पंडित जी को अपना मत रखने का अधिकार है, उसी प्रकार वे तो सच्चे प्रजातन्त्रवादी हैं, वे हम लोगों को भी अपना मत रखने का अधिकार देंगे.....

श्री नन्द लाल शर्मा: नहीं, इसीलिये विहप ईश्यू किया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : कम से कम जब मैंने प्रधान सचेतक से कह दिया था कि यह मेरी कानशंस का सवाल है, यह मेरी अन्तरात्मा का प्रश्न है और मैं इसे सन् १९२६ से आज तक लगातार २९ वर्षों से लाता रहा हूं, तब उन्होंने और पंडित जी ने मुझे इस बात का अधिकार दिया कि मैं इस प्रश्न को यहां पर उपस्थित कर सकता हूं और इस सम्बन्ध में मेरा जो मत है वह भी मैं दे सकता हूं, इसलिये कोई यह नहीं समझे कि कांग्रेस दल वाले किसी की अन्तरात्मा को कुचलना चाहते हैं !

श्री जवाहरलाल नेहरू: आपको पूरा अधिकार है ।

सेठ गोविन्द दास : आपने स्पष्ट देख लिया कि पंडित जी कितने बड़े प्रजातन्त्रवादी हैं । पंडित जी पर इस प्रकार का कोई आक्षेप करना कि पंडित जी इस देश की राय के खिलाफ़ जाना चाहते हैं, या वे इस देश की राय के खिलाफ़ जायेंगे, गलत बात है । पंडित जी इस देश की नब्ज़ को जितना जानते हैं, मेरा यह दावा है कि उतना इस देश की नब्ज़ को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता और यह इस देश का सौभाग्य है कि हम को पंडित जवाहरलाल नेहरू का सदृश नेता मिला है ।

श्री वी० जी० देशपांडे: क्वैश्चन ।

सेठ गोविन्द दास: परन्तु इसी के साथ मैं पंडित जी से आपकी मार्फत, अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक गो वध का मामला है, वहां तक उनकी जो राय है, उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है । उनके विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में जो राय है उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है । अगर उनके पास इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं कि जो यह समझते हैं कि गाय की उन्नति का यह रास्ता नहीं है, तो हमारे पास भी ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी राय इन विशेषज्ञों के ठीक खिलाफ़ है । पंडित जी देखें कि देश की परिस्थिति क्या है । इस बात को मैं ने अनेक बार स्पष्ट किया है । आज हम देख रहे हैं कि इस देश में जो पशु मारे जा रहे हैं वे पशु अच्छी से अच्छी नस्ल के हैं । बम्बई के एक क़साईखाने को मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा, आपकी मार्फ़त, कि वे स्वयं जा कर देखें कि वहां की क्या हालत है कलकत्ते के कसाईखाने को वे जाकर देखें, मद्रास के क़साईखाने को जाकर देखें और मेरा यह विश्वास है बर्मा में और दूसरे स्थानों पर जो भी हुआ है, वह मेरी ताईद करता है कि जबतक इस देश में गोवध बन्द नहीं हो जाता तब तक हम अच्छे से अच्छे पशुओं की भी रक्षा नहीं कर सकते । हमारे कई प्रान्तों ने.....

सभापति महोदय: शान्ति, शान्ति समय पूरा हो गया। अब प्रस्ताव पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है:

"कि दुधारु और वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोकसभा में विभाजन हुआ: पक्ष में १२*; विपक्ष में ९५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इसके बाद लोक सभा सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* यह संख्या शुद्ध करके १३ कर दी गयी थी। देखिये वाद-विवाद—भाग २, दिनांक ४ अप्रल, १९५५ स्तम्भ ३२७५.

GIPD—HS- 54 LSD—707-55—